खण्ड-464, अंक-5
मंगलवार, 12 आषाढ़, शक संवत् 1929
(3 जुलाई, 2007 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2007)

खण्ड 464 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
प्रदेश में बसों का संचालन बन्द होने से सम्बन्धित नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1-44
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री तेजपाल सिंह "कृष्ण" श्री गुरु प्रसाद उर्फ श्री गुरु प्रसाद शास्त्री तथा श्री श्रीनाथ के निधन पर शोकोद्गार ...	45-46
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	46
बलिया के चिलकहर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा पूर में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46
वाराणसी कैन्ट क्षेत्रान्तर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के मंडुआडीह स्टेशन के क्रासिंग नं0-4 पर ओवर ब्रिज के निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47
महाराजगंज जनपद के पिपरा खादर गांव के पास क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण बरसात से पहले कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47-48
बुलन्दशहर स्याना मार्ग पर सड़क दुर्घटना में मृतक नत्थी सिंह के परिजनों एवं अन्य घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48
गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत ब्रजघाट से पूठ को जोड़ने हेतु बीच में स्केप (नाले) पर पुल के निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48
गोरखपुर स्थित रामगढ़ झील को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	49
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	49-50
उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 183 से 196 तक का उल्लंघन किये जाने विधान सभा द्वारा प्रायोजित बजट का जनपद प्रतापगढ़ में दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	50-53
भारतीय संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम 1999 तथा उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के प्राविधानों को लागू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	53-58

विषय	पृष्ठ-संख्या
पन्द्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2007 (दिनांक 21 मई 2007 से 23 मई, 2007 तक) में नियम 301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (पटल पर रखा गया)	59
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	59-61
प्रदेश के कतिपय विश्वविद्यालयों की सभा में कार्य करने हेतु प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव .. (स्वीकृत)...	61-62
प्रदेश के कतिपय विश्वविद्यालयों की सभा में कार्य करने हेतु प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों के नाम-निर्देशन करने के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव ... (स्वीकृत) ...	62-63
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 .... (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) ...	63-70
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 .. (संशोधन अस्वीकृत विधेयक पारित)	70-75
मुख्य मंत्री द्वारा विधान परिषद् की सदस्यता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मध्यान्ह भोज में सम्मिलित होने हेतु संसदीय कार्य मंत्री का सभी सदस्यों से अनुरोध	76
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	76-109
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	109-110
जनपद झांसी स्थित उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की कताई मिल की बंदी तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि एवं वेतन आदि अन्य बकायों का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वस्त्रोद्योग मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	110
जनपद सिद्धार्थनगर के मिसरौलिया थानाध्यक्ष द्वारा गृह [illegible] रिकों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री का वक्तव्य	110-113
जनपद कुशीनगर के नौरंगिया विधान सभा क्षेत्र तथा कतिपय अन्य चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का बकाया तथा गन्ना अन्तर मूल्य का कई वर्षों का	

विषय		पृष्ठ-संख्या
	भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शम्भू चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री का वक्तव्य	113-114
जनपद	शाहजहांपुर के जिला अस्तपाल में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की कमी से जनसामान्य को हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य	114-117
जनपद	इलाहाबाद के बारा क्षेत्रान्तर्गत नहरों में पानी की कमी से किसानों को हो रही गम्भीर कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ...	117-118
प्रदेश	में समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धन कन्याओं के विवाह हेतु प्रदत्त धनराशि को बढ़ाये जाने तथा गरीबी के मानक के अन्तर्गत आने वाली अन्य जातियों की कन्याओं को भी लाभार्थी श्रेणी में रखे जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश सौरभ द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	118-120
जनपद	सुल्तानपुर की मुसाफिरखाना तहसील के पूरे मातादीन पाण्डेय, पूरे सूबेदार व अन्य ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	121
नत्थी	... ...	122-123

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

(मंगलवार, 3 जुलाई, 2007)

(उपस्थित सदस्य-354)

अंगद यादव श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
अरविन्द सिंह, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम, हाजी श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद

अप्रकाशित

आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल, श्री	बिजनौर
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र, दिवाकर श्री	कानपुर देहात
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन, श्री	गाजीपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरु प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूसाराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि प्रसाद, श्री	सोनभद्र
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा

जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप नारायण सिंह, श्री	झाँसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री मऊ	
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर, एडवोकेट श्री	इटावा
भोला, श्री आजमगढ़	
मंजू, श्रीमती बलिया	
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद

मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्तरविदासनगर(भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शखवार, श्री	कानपुर देहात
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया , श्री	फतेहपुर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुँवर	कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, श्री	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर

सत्यमेव जयते

राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
शिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिबगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट–आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रदेश में बसों का संचालन बन्द होने से सम्बन्धित नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने नियम-311 में एक सूचना दी है। हमें सुन लें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने भी नियम-311 में एक सूचना दी है, इन्हें भी सुन लें और मेरी बात भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, आपने जो सूचना दी है, उस पर नियम-51 में भी सूचना आ गई है, जो बसें बन्द हो गयी हैं।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि इस पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये। बसें बन्द हो जाने के कारण लाखों आदमी सड़कों पर पड़े हैं, लोग घेराव कर रहे हैं। यदि नियम-51 से काम चल जाता तो मैं न कहता लेकिन इस पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, नियम-56 आज नहीं लिया गया है। 311 के अन्तर्गत जो सूचनायें आती थी, उनको नियम-56 में सुनते थे। लेकिन आज नियम-56 की सूचनाएं नहीं ली गयी हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, शासन इसका संज्ञान ले ले और कम से कम इसके बारे में कल तक जानकारी दे दें। बसें सब बन्द हो गयी हैं। मान्यवर, जहां 1100 बसें खड़ी हों, उसके रूट बंद हो गये हों तो वहां पर स्थिति क्या होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मान्यवर, क्षेत्र में जाना कैसे सम्भव होगा ?

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्यमंत्री जी, यह जो बसें बंद हो गई हैं इसको देख लें।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

जी मान्यवर। आपने जो निर्देश दिया है वह हम देख लेंगे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं का विवरण

**1-श्री नरेश अग्रवाल, श्री श्यामदेव राय चौधरी तथा डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय कितना बिजली का उत्पादन है तथा कितनी मांग है ? क्या यह सत्य हैं कि मांग व उत्पादन में अन्तर देखते हुये प्रदेश के अधिकांश

जिलों में विद्युत कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो इस मांग की पूर्ति के लिये ऊर्जा विभाग द्वारा क्या कोई नीति बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

प्रदेश में इस समय अधिकतम प्रतिबंधित मांग 8500-8600 मे0 वा0 है तथा उत्पादन निम्नवत् है :-

1-जल विद्युतगृह (विष्णु प्रयाग)	400-500 मे0 वा0
2-ताप विद्युत गृह	2700-2800 मे0 वा0
3-को-जनरेशन	100-200 मे0 वा0

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय विद्युत गृहों से प्रदेश को 3600-3700 मे0 वा0 विद्युत उपलब्ध है।

विद्युत की मांग एवं उपलब्धता के अन्तर के कारण कटौती आवश्यक होने पर ही की जाती है।

विद्युत उत्पादन एवं मांग के अन्तर की पूर्ति के लिये विद्युत उत्पादन की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 से सम्बन्धित :-

प्रदेश में अतिरिक्त बिजली उत्पादन हेतु नई परियोजनाओं पर निम्नानुसार कार्य किया जा रहा है :-

1-2x210 मेगावाट पारीक्षा विस्तार तापीय विद्युत परिग्रोजना-इस परियोजना के अन्तर्गत 210 मे0 वा0 की दो इकाईयां पारीक्षा में स्थापित की जा रही हैं। पहली इकाई नवम्बर, 2006 में कामर्शियल भार पर आ चुकी है तथा दूसरी इकाई ट्रायल रन पर चल रही है। परियोजना के पूर्ण होने पर 80 प्रतिशत पी0 एल0 एफ0 के आधार पर 2900 मि0 यू0 प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन होगा।

2-2×250 मेगावाट पारीक्षा विस्तार तापीय विद्युत परियोजना-इस परियोजना की स्थापना हेतु ब्वायलर, टरबाइन एवं जनरेटर की आपूर्ति इरेक्सन, टेस्टिंग, कमिशनिंग तथा संबंधित सिविल कार्यों हेतु मैं बी0 एच0 ई0 एल0 को आदेश निर्गत किया जा चुका है। इस परियोजना की पहली एवं दूसरी इकाई जुलाई, 2009 तथा नवम्बर, 2009 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

3-2×250 मेगावाट हरदुआगंज विस्तार तापीय विद्युत परियोजना-इस परियोजना की स्थापना हेतु ब्वायलर, टरबाइन एवं जनरेटर की आपूर्ति इरेक्सन, टेस्टिंग, कमिशनिंग तथा संबंधित सिविल कार्यों हेतु मै0 बी0 एच0 ई0 एल0 को आदेश निर्गत किया जा चुका है। इस परियोजना की पहली एवं दूसरी इकाई अक्टूबर, 2009 तथा फरवरी, 2009 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

4-2×500 मेगावाट अनपरा "डी" तापीय विद्युत परियोजना-इस परियोजना की स्थापना हेतु ब्वायलर, टरबाइन एवं जनरेटर की आपूर्ति इरेक्सन, टेस्टिंग, कमिशनिंग तथा संबंधित सिविल कार्यों हेतु मैं बी0 एच0 ई0 एल0 से टेक्निकल आफर प्राप्त हो गये हैं तथा कामर्शियल आफर शीघ्र अपेक्षित है। मेन प्लान्ट के कायदिश पारित हो जाने पर प्रथम तथा द्वितीय इकाई की कमीशनिंग क्रमशः 40 एवं 46 माह में संभावित है।

5-उपरोक्त नई इकाईयों की स्थापना के अतिरिकत ताप विद्युत गृहों की रिफर्बिशमेंट योजना के अन्तर्गत वर्तमान इकाईयों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य भी प्रस्तावित हैं।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से सम्बन्धित

निजी क्षेत्र में लगने वाली विभिन्न प्रमुख परियोजनायें निम्नवत् हैं :-

(अ) तापीय एवं जल विद्युत परियोजनायें

कुल अनुबंधित क्षमता-2130 मे0 वा0

क्र0सं0	परियोजना का नाम	विकास कर्ता का नाम	क्षमता (मे0 वा0 में)
1	श्रीनगर जल विद्युत लि0 परियोजना	मेसर्स अलकनन्दा हाइड्रो पावर कं0	330 मे0 वा0 (4x82.5मे0 वा0)
2	विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना	मै0 जय प्रकाश पावर बैन्चर्स लि0	400 मे0 वा0 (4x100 मे0 वा0)
3	रोजा ताप विद्युत परियोजना	मै0 रोजा पावर सप्लाई कं0	600 मे0 वा0 (2x300मे0 वा0)
4	जवाहर ताप विद्युत परियोजना	मै0 जवाहरपुर पावर प्रा0 लि0	800 मे0 वा0 (2x400 मे0 वा0)

(ब) प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के आधार पर ऊर्जा क्रय हेतु निजी क्षेत्र में लगने वाली विभिन्न तापीय परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

1	अनपरा सी तापीय विद्युत परियोजना	मै0 लैन्को कोण्डापल्ली पावर प्राइवेट लि0	1000 मे0 वा0 (2x500 मे0 वा0)
2	बारा (इलाहाबाद) तापीय विद्युत परियोजना		1980 मे0 वा0 (3x660 मे0 वा0)
3	करछना (इलाहाबाद) तापीय विद्युत परियोजना		1320 मे0 वा0 (2x660 मे0 वा0)

एन0 टी0 पी0 सी0 के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में 1320 मेगावाट क्षमता का तापीय विद्युत गृह जनपद इलाहाबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

(स) सह उत्पादन परियोजनायें

कुल अनुबंधित क्षमता	924.66 मे0 वा0
चालू इकाइयां	404.36 मे0 वा0
निर्माणाधीन	520.30 मे0 वा0

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय। मैं प्रश्न कर रहा हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि इन्होंने इसे गम्भीरता से देखा होता तो इनका जवाब यह नहीं होता। इन्होंने जो जवाब में योजनायें बतायीं, चाहे वह जवाहर ताप विद्युत परियोजना हो, रोजा ताप विद्युत परियोजना हो, आनपारा-सी हो या फिर बारा तापीय विद्युत परियोजना हो, इनकी तो अभी शुरूआत ही नहीं हुई हैं लेकिन मैं समझता हूं कि हर बार पिछले सात-आठ साल से यह फीगर दी जाती रही है। अगर यह गम्भीर होते तो इस पर विचार करते और विचार करने के बाद इसमें जवाब देते। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है ? चाहे वह हाइड्रो हो, चाहे थर्मल हो या चाहे को-जनरेशन हो, उसका कितना प्रतिशत हम उत्पादन कर रहे हैं, यानि हमारा पी0 एल0 एफ0 कितना है ? और जो उत्पादन और मांग में अन्तर है, आपने कहा कि केन्द्रीय सेक्टर से छत्तीस सौ, सैतीस सौ मेगवाट की खरीद कर रहे हैं, तो यह बता दें कि हमारा सेन्ट्रल शेयर कितना है, उस शेयर पर कितनी बिजली हम खरीद रहे हैं और उस बिजली का कर्ज हम कितना दे रहे हैं ? क्योंकि आज अखबार में पढ़ा है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने मा0 हाईकोर्ट के स्थगन आदेश को रद्द कर दिया है जिसके अन्तर्गत हमने पीक आवर में जो एक्स्ट्रा बिजली है उसका जो दाम केन्द्रीय सरकार ने लगाया, एन0 टी0 पी0 सी0 और अन्य कारपोरेशन ने लगाया इससे हमारा दो रुपया एक्स्ट्रा हो जायेगा। तो, मैं यह जानना चाहता हूं कि सेन्ट्रल शेयर कितना है और उस सेन्ट्रल शेयर से अतिरिक्त कितनी बिजली ले रहे हैं, सेन्ट्रल वेयर के बराबर हमको बिजली मिल रही है या नहीं, यदि नहीं मिल रही है तो आप क्या कर रहे हैं ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि फ्रीक्वेन्सी के हिसाब से यह होता है। फ्रीक्वेन्सी यदि कम होती जाती है तो रेट ज्यादा देना पड़ता है और फ्रीक्वेन्सी 49.05 तक केवल तीन रुपये पैतालिस पैसे था। बाद में फ्रीक्वेन्सी कम होती गयी तो सेन्ट्रल ने रेट बढ़ा दिये। जितना हम ओवरड्राल करते हैं, उसके बाद बढ़ता है तो बाद में पैंतालिस पैसा तक हमको देना पड़ा है। जितनी फ्रीक्वेन्सी कम होती जाती है तो रेट ज्यादा देना पड़ता है। दूसरा जो इन्होंने हाईकोर्ट के बारे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया तो यदि हम ओवर ड्राल करेंगे तो पैसा हमको ज्यादा देना पड़ेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मैंने स्पष्ट सवाल पूछा था कि उत्तर प्रदेश की क्षमता क्या है, उसके अगेन्स्ट कितना बिजली उत्पादन कर रहे हैं ? हमारा प्लान्ट लोड फैक्टर कितना है, यदि कम है तो उसको बढ़ाने के लिये हम क्या कर रहे हैं ? दूसरा मैंने सवाल किया था कि कितना हमारा केन्द्रीय शेयर बन रहा है और वह हमें कितना दे रहे हैं। यदि शेयर कम दे रहे हैं तो उनसे बात करें। जब हमारी सरकार थी और मा0 श्री शिवपाल सिंह यादव जी ऊर्जा मंत्री थे, हमने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी से कहा था कि सात-आठ सौ मेगावाट हमें दे दीजिये तो केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि आप लोग हमारी सरकार के खिलाफ बयान देते हैं तो हम आपको बिजली कैसे दे देंगे ? हम लोगों ने उस बात पर बड़ी आपत्ति व्यक्त की थी, कि राजनैतिक विचार धारायें अलग होती हैं, लेकिन सरकारें अलग होती हैं, प्रदेश का हित अलग

होता है, एक मंत्री का यह जवाब माननीय प्रमोद तिवारी जी भी हम लोगों के साथ में गये थे, प्रमोद जी डिफेंस करेंगे क्योंकि इनके क्लाइंट बदल जाते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

ऐसा कुछ भी माननीय केन्द्रीय मंत्री जी ने नहीं कहा था।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इनके क्लाइंट बदल जाते हैं इनकी भाषा एक रहती है कल जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी उधर थे तो भी इनकी भाषा वही थी और जब मायावती जी हैं तो भी इनकी भाषा वही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके क्लाइंट ही बदलते हैं लेकिन सत्यता के आधार पर हम कह रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि हमारा शेयर कितना है ? जो आज सेन्ट्रल का उत्पादन है उसमें कितने परसेण्ट हमारा शेयर होना चाहिये और उस शेयर के हिसाब से कितने मेगावाट बिजली हमको मिलनी चाहिये ? और हमको सेन्ट्रल कितनी दे रहा है ? कम दे रहा है तो उसके लिये हमने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय नरेश अग्रवाल जी को बतानाचाहता हूं कि हम तो बिजली और ज्यादा ले रहे हैं। फ्रीक्वेन्सी जितनी कम होती जाती है, उतनी ही बिजली हम ओरड्राल ले रहे हैं उसके पैसे भी हमको ज्यादा देने पड़े हैं और जहां तक बात है लेने की तो हम 3600 से 3700 मेगावाट तक हम केन्द्र सरकार से ले रहे हैं। इसमें टाण्डा है और एन0 टी0 पी0 सी0 है मान्यवर। जैसा कि माननीय नरेश जी ने पूछा है, पी0 एल0 एफ0 द्वारा साठ परसेण्ट और साठ से 62-63 तक जा रहा है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा प्रश्न बहुत साफ है। मेरा ख्याल है कि माननीय ऊर्जा मंत्री शायद मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं या हम समझाने में सक्षम नहीं हैं या आप जयादा समझ रहे हैं, बस दो ही चीजें हो सकती हैं। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है कि हमारी उत्पादन क्षमता क्या है ? उत्पादन क्षमता तीन तरीके से है श्रीमन्, एक थर्मल है, एक हाइड्रो है तीसरी कोजेनरेशन है। हमारी कुल उत्पादन क्षमता क्या है ? उस क्षमता के आधार पर हम कितना उत्पादित कर रहे हैं ? और उसी के आधार पर पी0 एल0 एफ0 इन्होंने 60 और 62 परसेण्ट बताया है। लेकिन यह बता दें कि हम उसके हिसाब से कितनी उत्पादित कर रहे हैं ? दूसरा प्रश्न हमने पूछा कि यह कह रहे हैं हम 3600, 3700 मेगावाट ड्रा कर रहे हैं हम मना नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं कि आप 4000 मेगावाट ड्रा करें। श्रीमन् सेण्ट्रल का नियम है कि हर राज्य का शेयर सेण्ट्रल अपने उत्पादन में तय करता है और जो राज्य का शेयर है उसकी दर तो कण्ट्रोल रेट की होती है। मैं कण्ट्रोल शब्द ही कहूंगा क्योंकि उसका रेट उत्पादन के रेट से कुछ मार्जिन आफ प्राफिट के हिसाब से होता है। उसके अनुसार, उसके अलावा हम जो ड्रा करते हैं उन सबका रेट अलग-अलग है। आप अगर 36-37 सौ मेगावाट ड्रा कर रहे हैं तो इसमें कितनी अतिरिक्त ड्रा कर रहे हैं ? मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूं कि सेण्ट्रल का हमारा

शेयर कितना है ? उस शेयर के अनुसार हमको पूरी बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है ? उसके अलावा हम कितनी बिजली ड्रा कर रहे हैं जिस पर हमें अधिक दाम देने पड़ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल साहब, उत्पादन के सन्दर्भ में तीनों यूनिटों के उतदन का स्पष्ट उत्तर दे दिया, प्रथम अंश में प्रश्न के, कि इन-इन यूनिटों से हमारा इतना-इतना उत्पादन हो रहा है, इतनी डिमाण्ड है और इतना हमको कम पड़ रहा है। यह उत्तर स्पष्ट हो गया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, हमने उत्पादन क्षमता भी तो पूछी है, उत्तर प्रदेश की क्या है ? हमारे जो पावर प्लाण्ट लगे हैं उनकी उत्पादन क्षमता क्या है ? और उसके अनुपात में यह कितना उत्पादन कर रहे हैं यह इन्होंने बता दिया है तो हमने उत्पादन क्षमता भी तो पूछी है दूसरा सेण्ट्रल शेयर के बारे में पूछा है, वह इन्होंने कहां दिया है ? आपका तो हमें संरक्षण चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, हम कहां संरक्षण दे रहे हैं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, हमने माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी को इनके सारे प्रश्नां का उत्तर लिख कर के दे दिया है। हम जल विद्युत ग्रह विष्णु प्रयास से 400 से 500 मेगावाट बिजली जेनरेट कर रहे हैं, ताप विद्युत ग्रह से 2700 से 2800 मेगावाट जेनरेट कर रहे हैं, कोजेनरेशन से हम 100 से लेकर 200 मेगावाट तक जेनरेट कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर हमने इनको बता दिया है, लिखित रूप में भी इनके पास पहुंच गया है। इसके अलावा इसमें क्या बचता है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन्, हम तो सीधा-सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे पावर स्टेशन जो लगे हैं उनसे कुल कितनी बिजली पैदा होनी चाहिये ? इन्होंने बताई इतनी पैदा हो रही है। तो कुल कितनी हमारी उत्पादन कैपेसिटी है ? हमारी क्षमता क्या है और दूसरा हमारा केन्द्र का शेयर कितना है ? और हमें केन्द्र कितना दे रहा है ? कितनी अतिरिक्त ले रहे हैं ? हमारा इतना सीधा सा सवाल है। उसके बाद आगे चले हम।

श्री राम वीर उपाध्याय-

मान्यवर, जल विद्युत से कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं, ताप विद्युत गृह से यह पैदा कर रहे हैं। पी0 एल0 एफ0 क्या है, यह सब आपको बता दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बैठ जायें। मैंने श्री अवधेश प्रसाद जी को बुला लिया है।

कल एक सवाल इस बात का उठा था कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पर 45 मिनट का समय लग गया। अब इस प्रश्न पर भी लगभग 18 मिनट से ज्यादा समय लग चुका है। इसीलिये समय का ध्यान रखना है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि उत्पादन क्षमता हमारी कितनी है ?

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

पर्ची मंगवा लें, नहीं बता पा रहे हैं तो।

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय नेता प्रतिपक्ष हमें किसी पर्ची की आवश्यकता नहीं है। पूरी तैयारी के साथ आया हूं, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

उत्पादन आपने बताया, उत्पादन क्षमता आपकी कितनी है और उसके सापेक्ष कितना उत्पादन हो रहा है। यह वे जानना चाह रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

दूसरे मान्यवर केन्द्र का शेयर कितना है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, चार हजार मेगावाट की हमारी क्षमता है। सेन्ट्रल सेक्टर से 45 सौ मेगावाट का है, 3700 हम ले रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, केन्द्र का शेयर हमारे पास 4500 मेगावाट का है और हम कम 3600-3700 मेगावाट ड्रा कर रहे हैं। अर्थात् अपने शेयर से कम ड्रा कर रहे हैं तो फिर एकस्ट्रा रेट देने की जरुरत क्या पड़ गयी है। जब हम कोर्ट में गये तो पूरी बात रखनी चाहिये थी । हम जो पूरा शेयर ड्रा नहीं कर रहे। उस का कारण क्या है ? हमारे यहां बिजली की कमी है, हम एक्स्ट्रा दाम दे रहे हैं तो वह किस बिजली का दाम दे रहे हैं ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, हमसे पहले यहां माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ऊर्जा मंत्री रहे हैं, कैसे-कैसे किया था, यह पूरा प्रदेश जानता है। क्या हालत कर दी पूरे प्रदेश की। (व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

यह आरोप गलत है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, [x x x] (सत्ता पक्ष की ओरसे मेजों की थपथपाहट)

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मेरे बाद दूसरे ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं। यह भी ऊर्जा मंत्री इससे पहले रहे हैं।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, इन्होंने क्या-क्या किया [x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, यह बात करना कि आपका क्या आचरण था ? यह उत्तर नहीं होता है। सीधे जो प्रश्न किये गये उसका जवाब आना चाहिये था।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, 2 बार उपाध्याय जी प्रदेश के ऊर्जा मंत्री रहे हैं। जो इन्होंने कह दिया कि इनके जमाने में चौपट हो गया तो आपने अपने जमाने में क्यों नहीं सुधारा ? आपने क्या सुधारा, बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

आरोप-प्रत्यारोप नहीं होगा, सीधा जवाब दें। आरोप-प्रत्यारोप नहीं होना चाहिये।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, आरोप को वापिस लें।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब ने प्रश्न पूछा और माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया, अब इसमें क्या हो गया ?

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, अभी आपका पूरा जवाब नहीं आया है, केवल आरोप लगाया गया है।

श्री अध्यक्ष-

जवाब आ गया है, आपने सुना नहीं होगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो आरोप लगाया है, मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं उस पर चर्चा हो जाय या फिर आरोप को वापिस लिया जाय। ये दो बार ऊर्जा मंत्री रहे हैं। इस तरह से आरोप लगाना उचित नहीं है। मैंने सिर्फ प्रश्न पूछा है, सीधा सा प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो कहते ही हैं कि आपके सरकार की कम उपलब्धियां रही हैं, आपके सरकार में यह हुआ, आपके सरकार में यह हुआ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आप आश्वासन दे दीजिये कि यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा है जो असंसदीय हो। उन्होंने इस बात को कहा है कि आप भी ऊर्जा मंत्री रहे हैं औरआपने ऊर्जा मंत्री रहते हुये उत्तर प्रदेश में कोई नया उत्पादन इकाई को स्थापित करने कार्य नहीं किया जिसके कारण आज बिजली की यह स्थिति है तो इसमें आरोप क्या हुआ ? चौपट किया ही है, नई इकाई को स्थापित न करने से प्रदेश की जो हालत है, उसकी जिम्मेदारी है ही और यही माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, यह जवाब बिल्कुल नहीं है। यह जवाब नहीं आया है, यह कार्यवाही का पार्ट है इसको आप दिखवाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

अगर आरोप होगा तो मैं दिखवा लूंगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

पारीक्षा की दो इकाइयां हैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी, बता दें उनका आदेश किस सनू में दिया गया था उनको लगाने का। माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तब इनमें से किन योजनाओं के लिये पैसा जारी किया गया, यही बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय चौधरी साहब को बुला लिया है उनका प्रश्न हैं, आप बैठें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आप मंत्री जी को ही संरक्षण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपको ही ज्यादा संरक्षण दे रहे हैं, आपको 20 मिनट बुलवाया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जवाब ही नहीं आ रहा है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने पीठ पर आरोप लगाया है। हम लोग भी सदन के मेम्बर रहे हैं। किसी भी एक सदस्य को लगातार इतने समय तक अनुपूरक प्रश्न पूछने का ऐसा दृष्टांत शायद ही हो। आज आपके इतना ज्यादा अवसर देने के बाद भी आपके ऊपर आरोप लगाया जाना निश्चित रूप से उचित नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैंने तो यही कहा कि मंत्री जी को जयादा संरक्षण दे रहे हैं हमको नहीं दे रहे हैं। हमने कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कहा था कि आपको ही ज्यादा संरक्षण दे रहे हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि प्रश्न पूछने और अनुपूरक करने में कौन कितना बुद्धिमान है और कौन अपने अनुपूरक से किसको असहज स्थिति में डाल सकता है। जनता को चाहिये बिजली। माननीय नरेश अग्रवाल जी, जो पूर्व में बिजली मंत्री रहे हैं उन्होंने भी कहा कि यह बहुत कुछ लगातार हम दोहराते रहे हैं, वही बातें दोहराई गई हैं और इस माननीय सदन का सदस्य होने के नाते मुझे भी याद आ रहा है कि जो पूर्ववर्ती सरकार रही है उन्होंने भी इस सदन में आश्वासन दिया था, सत्तारूढ़ होते ही कि आगामी दो वर्षों में हम दो रुपये प्रति यूनिट बिजली की दर से जनता को बिजली देंगे लेकिन हम सबको ता है कि एक यूनिट बिजली भी उत्पादन नहीं बढ़ा और पूरा कार्यकाल समाप्त हो गया। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो कुछ बताया गया है, इसके अनुसार यह भी बताया गया है कि 2009 में और 2010 में यह कार्य पूरे हो जायेंगे और इतनी बिजली यूनिट उत्पादित होने लगेगी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो इसके पहले नोयडा में बहुत बड़ी जमीन विद्युत संयंत्र लगाने के लिये दे दी गयी थी, बिल्कुल कौड़ी के मोल, उस सम्बन्ध में इस विधान सभा में बहुत प्रश्न भी आये थे और जनता को यह आश्वासन दिया गया था सदन के माध्यम से, कि दो साल में बिजली उत्पादित होने लगेगी और गैस आधारित बिजली हम 2 रुपये प्रति यूनिट में देंगे। उसकी क्या प्रगति है, उसका कब तक काम प्रा हो जायेगा ? और यह जो कुछ कहा गया है, अदालत में तारीख मिलती है और सदन में आश्वासन। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि माननीय विद्युत मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि इसके अनुसार क्या वाकई वह बिल्कुल गम्भीर हैं, ईमानदार हैं यह सरकार और क्या आगामी दिनों में बिजली मिलने लगेगी ? और जैसा नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने कहा कि यह सब वह भी दोहराते आये हैं फिर इस सरकार ने उन्हीं चीजों को दोहराया है तो क्या यही काम होता रहेगा और जनता आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन प्राप्त करती रहेगी या उसको अपनी आवश्यकत के अनुसार बिजली भी मिलेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, इनका आधा सवाल हमसे पूछने का है। चौधरी साहब आप वरिष्ठ सदस्य हो। मैं खड़ा होना नहीं चाहता था लेकिन इतना गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पार्टी ने और केन्द्र सरकार ने तथा कुछ और ने मिलकर के पूरी कोशिश की कि किसी तरह यह प्लान्ट न लगने पाये। यह गैस आधारित प्लांट था। गैस केन्द्रीय सरकार ने अपने कब्जे में लेकर नहीं दी और देने से मना किया। दूसरी बात, कि जब यह कौड़ी के भाव कह रहे हैं जबकि एग्रीमेंट हमारा यह था कि यह 3750 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। लेकिन कोशिश यह होगी कि कम से कम एक हजार मेगावाट, 500 मेगावाट बिजली जल्दी उत्पादन करना पड़ेगा। उस समय हमारे प्रदेश को 1500 मेगावाट बिजली की आवश्यकता थी तो हम लोगों ने विचार किया कि एक हजार मेगावाट भी अगर उत्पादन हो जायेगा तो उसके लिये चार-साढ़े चार साल लगेंगे यह एग्रीमेंट में है और पहली बिजली जो पैदा होगी वह

उत्तर प्रदेश को दी जायेगी। लेकिन केन्द्रीय सरकार से कितना विवाद खड़ा हुआ, कितना आन्दोलन चला और आन्दोलनकारियों ने बगल में हरियाणा में 25 हजार एकड़, 30 हजार एकड़ जमीन लेने की हिम्मत नहीं पड़ी। इसी तरह अभी पश्चिम बंगाल में 10 हजार एकड़ जमीन के लिये ऐसे ही दरख्वास्त देकर उन्होंने वहां प्लांट लगाने का फैसला किया और कब्जा किया उस पर क्या हाल हुआ ? इनकी कहीं हिम्मत नहीं पड़ी। यह सब ढोंगी, हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, इतना झूठ और इतना गुमराह करने वाले वरिष्ठ सदस्य हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि एक जूट नहीं हैं। उसके बाद तमाम हस्तक्षेप करने के बाद भी 1930 मेगावाट बिजली पैदा करने का काम शुरु हो गया, रोजा, श्रीनगर, अनपरा-सी। उसके बाद भी आप यह कहें कि हमारा प्रयास नहीं था, इससे ज्यादा निराधार और कुछ नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि बी0 जे0 पी0 की मानसिकता कैसी है, जो दो कौड़ी के भाव कहते हैं, यदि आपको पता नहीं है तो अन्दाजा नहीं बोलना चाहिये। वहीं की जमीन जो छः महीने पहले बेची गयी है उससे यह जमीन खराब थी और उससे तीन गुना ज्यादा पैसे किसान को दिये गये और किसान के एग्रीमेंट से हुआ है। किसानों ने जब तक एग्रीमेंट नहीं दिया उद्योगपति को तब तक हमने जमीन लेने नहीं दिया। आप गुमराह मत कीजिये जो आप कर रहे थे, अभी तक आपकी मानसिकता नहीं निकली।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने मेरा नाम लिया है इसलिये मेरा कुछ कहना है। वह शायद मेरे आक्षेप को समझ नहीं पाये, मैंने विद्युत उत्पादन एक यूनिट भी नहीं की गयी, के सन्दर्भ में कहा था। उन्होंने कहा था कि नोयडा में जो प्लान्ट लगाने जा रहे हैं, जिसके लिये जमीन अधिग्रहीत की है, वहां दो रुपये प्रति यूनिट बिजली उत्पादित करके देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था, वहां एक यूनिट भी बिजली उत्पादित नहीं हुई, क्या मैं यह गलत कह रहा हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इस बिन्दु पर अभी चर्चा होगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, नोएडा में जो यूनिट स्थापित हो रही थी, इस समय उसका क्या स्वरूप है, इतना माननीय सदस्य जानना चाहते हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहूंगा, यह परम्परा तो नहीं रही है कि सदन में कोई सदस्य प्रश्न पूछे और जवाब कोई दे, लेकिन कुछ अधिकार है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती और उस अधिकार का उपयोग अगर नेता विरोधी दल ने किया है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन जहां तक यह कहना कि केन्द्र सरकार ने गैस नहीं दी, इस पर मेरा कहना है कि गैस क्या दादरी गांव को दे दी जाती ? मान्यवर, जब प्लान्ट ही नहीं लगा, उस प्लान्ट के लिये दुनिया के किसी बाजार में आर्डर नहीं हुआ तो गैस आखिर किसको दे दी जाती ? मान्यवर, सच्चाई तो यह है कि दादरी में जो जमीन दी गयी, वह विवादित रही और जितनी जमीन दी गयी, उसकी आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता से कहीं ज्यादा जमीन दी गयी और किसानों की जमीन सस्ते दाम पर ली गयी और जो प्रोजेक्ट दो साल

के अन्दर पूरा करने के लिये कहा गया था वह अगर पूरा नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तत्कालीन प्रदेश सरकार और एक बहुत बड़े नेता पर है, उसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार के ऊपर नहीं डाली जा सकती। केन्द्र सरकार हर तरह का सहयोग करना चाहती थी और हर तरह का सहयोग कर रही है और भविष्य में भी जब कभी भी तापीय परियोजना लगायी जायेगी तो भी सहयोग किया जायेगा। यह सही बात है, मैं यहां तक तो सहमत हूं कि जो कांग्रेस ने लगवाया था टाण्डा और ऊंचाहार परियोजना उसे भारतीय जनता पार्टी वालों ने बेच दिया, वहां तक मैं सहमत हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी केन्द्र सरकार पर आरोप नहीं लगा सकती। केन्द्र सरकार की नीयत में बिल्कुल खोट नहीं था अगर खोट था तो समाजवादी पार्टी की सरकार पर था।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, अगर पहले गैस देने की गारन्टी केन्द्र सरकार नहीं देगी तो काम नहीं हो पायेगा। हम जानते हैं कि इन्हें क्यों खड़ा होना पड़ा लेकिन अध्यक्ष महोदय केन्द्र सरकार से भी एग्रीमेंट सशर्त होता है कि जब आप पूरा बनाकर खड़ा कर देंगे तो हम गैस देंगे। उसके लिये बहुत प्रयास किये गये लेकिन केन्द्र सरकार ने उस पर एग्रीमेंट नहीं किया। जाओ पता लगा आओ और जहां तक किसानों का सवाल है। एक-एक किसान ने अपनी स्वीकृति से जितना मूल्य मांगा, लिखकर दिया है, भुगतान किया गया है। एक गांव के दो-चार किसान, पूरे गांव के किसान भी नहीं थे, उनको उकसाने के लिये बाकायदा कांग्रेस सरकार ने, केन्द्र सरकार ने साधन दिये और पैसा दे करके विरोध करवाया।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी कोई चर्चा नहीं हो रही है, इस सवाल पर काफी समय हो गया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक नेता की गलती से दादरी प्रोजेक्ट की यह दशा हुई है। वह जिस परिवार में चले जाते हैं भाइयों में झगड़ा हो जाता है। इससे कांग्रेस का कुछ लेना-देना नहीं है। कांग्रेस सरकार पर आरोप गलत है, कांग्रेस सरकार पर लगाये गये आरोप का मैं खण्डन करता हूं। मान्यवर, उस समय अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उस समय की सरकार की नीयत में खोट था।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ऊर्जा मंत्री जी, चौधरी साहब का प्रश्न है कि दादरी में जो प्रोजेक्ट लगाया गया है उसकी क्या स्थिति है, वह चल रहा है या नहीं चल रहा है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री श्यामदेव राय चौधरी साहब ने यह कहा कि अब तक पिछली सरकारों ने केवल आश्वासन दिये और दो रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से प्रदेश को बिजली देने का वायदा किया था। अब तक जितनी सरकारें आयीं झूठे आश्वासन देती रही हैं। मैं आपके माध्यम से चौधरी साहब को बताना चाहता हूं कि रामवीर उपाध्याय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का

सिपाही है, यह कोई बात कहेगा तो जो बहन कुमारी मायावती जी के जो निर्देश हैं, आदेश हैं, जो विचार हैं, जो उनकी इच्छा शक्ति है, उसको देखते हुये रामवीर उपाध्याय कोई बयान यहां देगा, झूठे आश्वासन नहीं देता हूं। झूठे आश्वासन कभी नहीं दिया। वर्ष 2002 में जब हमारी सरकार थी तो नवम्बर, 2002 में 420 मेगावाट की पारीक्षा में इकाई का शिलान्यास किया था और श्री अभय सरन कपूर, सी0 एम0 डी0 थे उत्पादन निगम के, उनको यह निर्देश दिये थे कि 500 मेगावाट से लेकर 1000 मेगावाट की पारीक्षा में व्यवस्था की जाय नया बिजलीघर लगाने की। हरदुआगंज में की जाय , ओबरा में की जाय, अनपरा में की जाय । उस समय आदणीय बहन मायावती ने जो निर्देश दिये थे उसी परिपेक्ष में सारी कार्यवाही शुरू हुई है । साढे तीन साल में पिछली सरकार कुछ नहीं कर पायी ।

हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी नेती बहन कुमारी मायावती ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा की और सख्त आदेश दिए कि बिजली की समस्या के समाधान के लिए उत्पादन बढ़ाया जाय और बिजली चोरी को रोका जाय । इसी परिपेक्ष में 26 मई 2007 को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से कोयले के आवंटन के लिए मिली । 28 मई, 2007 को मै स्वयं प्रधान मंत्री जी से मिला, 30 तारीख को मैं उर्जा मंत्री श्री शिन्दे साहब से व्यतिगत रूप से मिला । तीन साल के अन्दर उत्तर प्रदेश के अन्दर जो बिजली की समस्या है उसका समाधान निश्चित रूप से करेंगे, यह आपसे वादा करते है । बहन कुमारी मायावती जी चाहती हैं कि विद्युत की समस्या का समाधान हो और हम उसे 3 साल में करके दिखलायें।

मान्यवर, जहां तक दादरी का प्रश्न है तो वहां कोई काम नहीं हुआ है । मुकेश अम्बानी जी की गैस की स्वीकृति नहीं हो पाई । गैस स्वीकार हो जाय तो वह काम आगे बढ़ाने को तैयार हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल -

इस सरकार ने बिजली कटौती के संदर्भ में क्या नीति निर्धारित की है, यह माननीय मंत्री जी सदन में बता दें ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से अग्रवाल साहब को बताना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बिजली की चोरी हो रही है, कटौती कैसे कम होगी ? एक तो बिजली चोरी रोकेंगें दूसरे उत्पादन बढायेंगे तभी बिजली उपलब्ध होगी अभी मैं यही उत्तर दे रहा था जिसपर श्री अग्रवाल साहब नाराज हो गये थे ।

श्री अध्यक्ष-

वह नाराज नहीं हुए थे ।

श्री रामवीर उपाध्याय-

पिछले 10 वर्षों में प्रदेश मे क्या हुआ ? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2002 में पावर हाउस लगाया था लेकिन बाद में उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कार्यवाही की उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष-

मैं अब दूसरा प्रश्न ले रहा हूं।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवार, सदन मे जब किसी के पास सवाल का उत्तर नहीं होता है तो वह भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने लगता है। अभी दादरी परियोजना की बात उठी उसमे मुकेश अम्बानी की कम्पनी को गैस सप्लाई करनी थी उस समय केंन्द्र में किसकी सरकार थी ? इसमें भारतीय जनता पार्टी बीच में कहाँ से आ गयी?

राजकीय कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का विवरण

**2-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राजकीय कर्मचारियों के मूल वेतन में महंगाई भत्ते का पचास प्रतिशत जोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जुड़ने के उपरान्त आयी मूल वेतन की धनराशि पर मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त बढ़े हुये वेतन पर मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता कब तक दे दिया जायेगा ?

विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी राज्य मंत्री (श्री यशपाल सिंह)-

जी हां।

जी नहीं।

प्रदेश शासन की वित्तीय स्थिति एवं विकास सम्बन्धी प्रतिबद्धताओं को देखते हुये इस हेतु आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को राज्य सरकार वहन करने की स्थिति में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

अब यशपाल सिंह चौहान अपना प्रश्न पूछें।

श्री यशपाल सिंह चौहान-

मान्यवर, प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है लेकिन इस प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से जो उत्तर आया है वह कर्मचारियों के प्रति उदासीनता का भाव दर्शाता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी सैफई मेले में सेल टैक्स की छूट देकर करोड़ों रुपया खर्च किया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक प्रश्न पूछे आरोप न लगायें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय सदस्य क्या पूछ रहे हैं ?

श्री यशपाल सिंह चौहान-

मैं अनुपूरक ही पूछ रहा हूं। सैफई में मेला लगाकर छूट दी गई। सरकारी कर्मचारियों को कैंटीन से स्कूटर, मोटर साइकिल व अन्य सामान पर पहले छूट मिलती थी वह छूट क्या सरकार देगी ?

श्री अध्यक्ष-

आप जो अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं उसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। आप कहां चले गये क्या अनुपूरक चाहते हैं ?

श्री यशपाल सिंह चौहान-

मेरा प्रश्न था यदि हां तो क्या जुड़ने के उपरान्त आयी मूल वेतन की धनराशि पर मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता दे दिया गया है। उत्तर आया जी नहीं। उत्तर में यह लिखा है कि प्रदेश शासन की वित्तीय स्थिति एवं विकास सम्बन्धी प्रतिबद्धताओं को देखते हुये इस हेतु आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को राज्य सरकार वहन करने की स्थिति में नहीं है। मैंने सैफई वाली बात इसलिये रखी क्योंकि इस तरह की छूट पहले सरकारी कर्मचारियों को कैंटीन के माध्यम से मिलती थी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री यशपाल सिंह चौहान-

मैं जो आगे कहना चाहता हूं उसे सुनें। अरे आपका ही विषय है, सुनिये तो। सुनने का धैर्य धारण करिये।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह आपकी ही बात कह रहे हैं। चौहान साहब जो अनुपूरक प्रश्न पूछिये वह प्रश्न की ही परिधि में पूछिये।

श्री यशपाल सिंह चौहान-

मान्यवर, मेरा कहना है कि जिस तरह से सैफई में छूट दी गई थी उसी तरह से सरकारी कर्मचारियों को स्कूटर, मोटर साइकिल पर कैन्टीन के माध्यम से जो छूट मिला करती थी, क्या उस छूट को देंगे ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

माननीय सदस्य इस तरह से आरोप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं।

आबकारी, लोक निर्माण एवं सिंचाई गन्ना विकास तथा चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, जो प्रश्न है वह न तो सैफई से सम्बन्धित है न मोटर साइकिल और स्कूटर से सम्बन्धित है। मूल प्रश्न से सम्बन्धित जो भी प्रश्न पूछा जायेगा, उसका मैं जवाब दूंगा। संभवतः माननीय सदस्य कोई प्रश्न नहीं बना पा रहे हैं इसलिये इधर उधर की बात कर रहे हैं। नये सदस्य हैं। प्रश्न से सम्बन्धित जो भी अनुपूरक पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

नये सदस्य नहीं हैं, पुराने सदस्य हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मैं कह रहा हूं कि मूल प्रश्न से सम्बन्धित जो भी उनका अनुपूरक प्रश्न होगा उसका जवाब दिया जायेगा।

(माननीय सदस्य श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल और श्री गौरी शंकर के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

दोनों में से एक बैठ जायं। कौन बैठेगा, यह आप तय कर लें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

(श्री यशपाल सिंह चौहान के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

चौहान साहब आप बैठ जायं। आप मूल प्रश्नकर्ता हैं, फिर प्रश्न कर लीजियेगा। अग्रवाल जी को प्रश्न करने दें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, प्रश्न था कि सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डी0 ए0 मूल वेतन में जोड़ दिया गया है ? आपने जवाब दिया जी हां। आगे मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि मूल वेतन पर डी0 ए0 जुड़ने के बाद उस धनराशि पर मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता दे दिया गया है ? आपमे जवाब दिया जी नहीं। यदि नहीं, तो क्यों ? आपने कहा कि वित्तीय स्थिति के कारण नहीं दिया जा सकता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों ने राज्य सरकार को जो प्रतिवेदन दिया था उसमें उनकी क्या मांगे थी ? जो प्रतिवेदन दिया था उसमें क्या यह मांग भी थी ?

श्री अध्यक्ष-

अगर आप जानते हैं कि प्रतिवेदन दिया था तो उसकी स्पैसिफिक जानकारी दीजिये कि फलां तारीख को प्रतिवेदन दिया था और उसमें यह यह बिन्दु थे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

राज्य कर्मचारियों ने जून, 2006 में दिया था।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जिस लैटर का यह उल्लेख कर रहे हैं, संभवतः इनके प्रश्न से लगता है कि वह पत्र इन्हीं के पास है, मेरे संज्ञान में नहीं है और जहां तक चौहान साहब सैफई का पूछना चाहते हैं अलग से पूछ लें। सरकार जवाब देगी। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि विपक्ष के पास कोई अनुपूरक प्रश्न ही नहीं है। जिस लैटर का उल्लेख आप कर रहे हैं वह मेरे संज्ञान में नहीं है। आपकी सरकार के समय में आया होगा और अपने रखा होगा।

(तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर माननीय सदस्य श्री विद्या सागर गुप्ता उपस्थित नहीं थे।)

श्री अध्यक्ष-

तारांकित प्रश्न संख्या-2 स्थानान्तरित हो गया है इसलिये स्थगित है।

(तारांकित प्रश्न संख्या-3 पुकारे जाने पर माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह राजपूत उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में कृत्रिम (सिन्थेटिक) दूध व मिलावटी दूध बेचने पर प्रतिबन्ध हेतु कार्य योजना

*1-श्री विद्या सागर गुप्ता (अनुपस्थित)-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कृत्रिम (सिन्थेटिक) दूध व मिलावटी दूध बेचने पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अनन्त कुमार मिश्रा)-

प्रदेश में कृत्रित (सिन्थेटिक) दूध व मिलावटी दूध के निर्माण एवं बिक्री को रोकने हेतु शासन व महानिदेशालय स्तर से समय-समय पर शासनादेश/निर्देश निर्गत किये गये हैं।

स्वास्थ्य विभाग के अधीन खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा नियमावली, 1955 के अन्तर्गत कृत्रिम (सिन्थेटिक) दूध व मिलावटी दूध के निर्माण एवं बिक्री को रोकने हेतु मंडल मुख्यालयों एवं प्रत्येक जनपद में मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी के अधीन मुख्य खाद्य निरीक्षक/खाद्य निरीक्षक तैनात हैं। इन निरीक्षकों द्वारा आवंटित ब्लाकों में नियमित/विशेष जांच/नमूना संग्रह की कार्यवाही की जाती है। नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों के माध्यम से भी प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

समय-समय पर छापामार अभियान भी चलाकर दोषी विक्रेता एवं व्यापारियों को चिन्हित कर नमूना संग्रह किया जाता है। संग्रहीत नमूनों की जांच राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं में करायी जाती है। नमूनों की जांच कराने के पश्चात् नमूनें अपमिश्रित पाये जाने पर दोषी निर्माताओं/विक्रेताओं के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जाता है। वादों की प्रभावी पैरवी कर दोषी निर्माताओं/विक्रेताओं को सजा/अर्थदण्ड दिलाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

*2-श्री हुकुम सिंह-

[2सरे सोम0 के तारा0 प्र0 सं0-6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम के सभी विद्यालयों में एक ही प्रकाशक की पुस्तकें पढ़ाने की मांग

*3-श्री महेन्द्र सिंह राजपूत (अनुपस्थित)-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम के सभी विद्यालयों में अलग-अलग प्रकाशकों की पुस्तकें निर्धारित की गई हैं, जिसमें कुछ विषय की पुस्तकों के अध्याय में भिन्नता होने के कारण विद्यार्थियों को कठिनाई होती है ? यदि हां तो

क्या सरकार प्रदेश के समस्त अंग्रेजी माध्यम के माध्यमिक विद्यालयों में एक ही प्रकाशक की पुस्तकें पढ़ाये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (ठाकुर जयवीर सिंह)-

जी हां।

जी नहीं। सभी पुस्तकें पाठ्यक्रम के अनुरूप रहती हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही तथा निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध हेतु आवश्यक निर्देश

*4-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग को अधिक जनोपयोगी बनाये जाने हेतु विभाग में डाक्टरों व कर्मचारियों की कमी को पूरा किये जाने हेतु सरकार कोई कार्य योजना लागू करने पर विचार कर रही है ? क्या सरकार इस दिशा में कार्यवाही करते हुये निजी प्रैक्टिस में लिप्त डाक्टरों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

चिकित्सकों की 2450 रिक्तियों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 को अधियाचन प्रेषित किया गया था, जिसके सापेक्ष 1553 चिकित्सकों की संस्तुतियां प्राप्त हुई हैं, इसमें से 1290 चिकित्सकों की नियुक्ति/तैनाती के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं अवशेष 897 पदों के सापेक्ष चयन की संस्तुति प्राप्त होने पर रिक्त पदों पर नियुक्ति/तैनाती कर दी जायेगी।

तात्कालिक रूप से चिकित्साधिकारियों एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के दृष्टिगत 1400 चिकित्साधिकारियों, 642 फार्मासिस्टों, 783 लैब टेक्नीशियन, 92 एक्सरे टेक्नीशियन, 101 नेत्र सहायक एवं 930 स्टाफ नर्स को संविदा पर नियुक्त किये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0 लखनऊ को निर्देश दे दिये गये हैं।

जी हां।

निजी प्रैक्टिस में लिप्त 153 चिकित्सकों के विरुद्ध अनुशासनिक जांच संस्थित की गयी है तथा उनका निजी प्रैक्टिस भत्ता रोकने हेतु शासनादेश संख्या-1785/सेक-2-पांच-07(55)/97 टी0 सी0, दिनांक 23 अप्रैल, 2007 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा है अपने उत्तर में, 'चिकित्सकों की 2450 रिक्तियों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 को अधियाचन प्रेषित किया गया था, जिसके सापेक्ष 1553 चिकित्सकों की संस्तुतियां प्राप्त हुई हैं, इसमें से 1290 चिकित्सकों की नियुक्ति/तैनाती के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं अवशेष 897 पदों के सापेक्ष चयन

की संस्तुति प्राप्त होने पर रिक्त पदों पर नियुक्ति तैनाती कर दी जायेगी।' तो मैं जानना चाहता हूं कि जो अधियाचन भेजा गया उसके सापेक्ष उनकी नियुक्ति की संस्तुति मिल गई। वह पूरी की पूरी नियुक्ति क्यों नहीं की जा सकी ? इसमें क्या दिक्कत है ? स्वास्थ्य विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इसमें विलम्ब होना उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि यह जो चिकित्साधिकारी एवं अन्य को संविदा पर रखने की बात कही गई है उनको किन शर्तों के आधार पर संविदा पर नियुक्त किया जा रहा है। निजी प्रैक्टिस बहुत भयंकर रोग है। तमाम शिकायतें मा0 सदस्यों की चाहे वह किसी पक्ष के हों रहती हैं। जहां लोगों की नियुक्तियां हैं, तैनाती हैं वहां कोई मिलता नहीं हैं मालूम होता है निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसको रोकने के लिये सरकार जो भी कदम उठा रही है वह पर्याप्त नहीं है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या इसमें आप सख्ती करेंगे ? इसमें सख्ती से जिसकी जहां तैनाती हुई है वह वहां नियुक्त रहें। अगर सुचारु रूप से कार्य नहीं करते हैं तो इस्तीफा देकर चले जायें।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मा0 सदस्य को बताना चाहता हूं कि संविदा पर लोगों की भर्ती हो रही है इसमें जितने लोग टर्नअप कर रहे हैं सबकी पोस्टिंग की जा रही है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

इसमें शर्तें क्या हैं ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

एम0 बी0 बी0 एस0 है। जो मानक निर्धारित किये हैं वही हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मैंने ी जी को कोई असहज स्थिति में डालने वाला अनुपूरक नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता जो निजी प्रैक्टिस का मामला है, यह बहुत भयंकर रोग है और जन-जीवन से जुड़ा हुआ है। डाक्टर तैनाती ले लेते हैं और ड्यूटी नहीं करते हैं, उसका खामियाजा पीड़ित व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। तैं जानना चाहता हूं कि ऐसे डाक्टर जो बिल्कुल संवेदनहीन हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है और वह तैनाती लेकर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई गम्भीर प्रक्रिया अपनाने पर विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष-

उत्तर का अ न्तिम पैरा आप देखें, उसमें कार्यवाही का उल्लेख है। उसमें कठिन से कठिन कार्यवाही की बात लिखी है। जितना प्रतिबन्धित करना चाहिए, वह उत्तर में आ गया है। अब इससे भी संतुष्ट न हों तो बता दें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरे संतुष्ट होने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जिनके लिये यह व्यवस्था है, उनको इस व्यवस्था का लाभ पहुंचे। यह मेरे संतुष्ट-असंतुष्ट होने का सवाल नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिन गरीबों, पीड़ितों के लिये इन डाक्टरों की तैनाती की जाती है, वहां वह ड्यूटी करें और उसका लाभ जनता को मिले। यह कार्य वह नहीं कर रहे हैं, वहां से गायब रहते हैं और यह पूरे प्रदेश में है।

आपने बताया कि 153 के विरुद्ध अनुशासनिक जांच संस्तुत की गई है। इससे पहले भी बात आई थी कि जिलाधिकारी, कमिश्नर द्वारा जांच की जायेगी, पुलिस में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी जायेगी और भी क्या-क्या बातें हुई थी ? मैं चाहता हूं कि उनकी ड्यूटी, उनके वेतन का लाभ जनता को मिले तो इसके लिये आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं जिससे उसका लाभ जनता को मिल सके ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, इस विषय में मैं सदन को अवगत करा देना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों हाउस चलने से पहले मैं तो स्वयं अकस्मात् निरीक्षण करने गया था, बाराबंकी और रायबरेली में। रायबरेली में निजी प्रैक्टिस की तो कोई सीधी-सीधी बात नहीं आयी परन्तु जो दवा अस्पताल में थी, डा0 आर0 एस0 अग्रवाल ने उसका पर्चा लिखा था। पर्चा देखने के बाद मैंने इमीडिएटली लखनऊ पहुंच कर उसको सस्पेंड कर दिया। वहां की सी0 एम0 ओ0 को जो जननी योजना में 1400 रुपये उपलब्ध कराया जाता है, वह तुरन्त मिल जाता है या 7 दिन के अन्तराल में मिल जाना चाहिये। जब एक ए0एन0एम0 के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि 1 जनवरी से वहां पर जितने प्रसव हुये हैं, महिलाओं को एक भी पैसा नहीं दिया गया है तो मैंने ड्यूटी को निर्धारित करते हुये सी0 एम0 ओ0 को सस्पेंड किया। मान्यवर, जब भी नेग्लीजेंस आफ ड्यूटी का मामला आयेगा, हमारी नेता का निर्देश है, वह बख्शा नहीं जायेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी स्वयं दौरा कर रहे हैं, चौधरी जी, अब आप बैठें, बाद में फिर अनुपूरक कर लीजियेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी संविदा पर रखने की जो बात कही गयी है मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं और आग्रह करना चाहूंगा कि आपने एम0 बी0 बी0 एस0 की योग्यता बतायी तो जो आयुर्वेदिक और यूनानी डाक्टर हैं, उनको भी इस नियुक्ति में वरीयता दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न में यह कहां है ? इसके लिये अलग से प्रश्न लगा हुआ है। आप आयुर्वेदिक, यूनानी कहां से पूछ रहे हैं ? आप वरिष्ठ सदस्य हैं। यहां प्रश्न दूसरा है और अगर आप अलग से जानकारी चाह रहे हैं तो इसके लिये प्रश्न लगा दें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी समस्या होती है चिकित्सकों के चयन की। लोक सेवा आयोग को जब अधियाचन भेजा जाता है तो विज्ञापन से लेकर वहां से चयन करके सूची बनाकर शासन को भेजने में 5-6 वर्ष लग जाते हैं। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी तो मैं खुद स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस कठिनाई को दूर करने के लिये और चिकित्सकों के जल्दी चयन के लिये क्या सरकार स्वास्थ्य चयन आयोग बनाने पर विचार करेगी ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, चिकित्सकों की कमी को ध्यान में रखते हुये सरकार ने संविदा पर चिकित्सकों की भर्ती का निर्णय लिया है और इसमें 18 हजार रुपये के नियत वेतन पर उनकी भर्ती का निर्णय लिया गया है। जहां तक पाण्डेय जी ने जो सुझाव दिया है तो उसका परीक्षण करा लिया जायेगा और परीक्षण के उपरान्त विधिक राय लेकर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं कोई ऐसा अनुपूरक नहीं करना चाहता जिससे मंत्री जी को असहज स्थिति में पड़ना पड़े। मैं बहुत सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह जो निजी प्रैक्टिस का मामला है यह बहुत गम्भीर है और इसलिये गम्भीर है कि इसका जो उद्देश्य है कि जहां चिकित्सकों की नियुक्ति होती है वहां वह ड्यूटी करें। क्योंकि जो पीड़ित आते हैं उन्हें उसका लाभ मिलना चाहिये। लेकिन यह धन के पीछे भागने की दौड़ के कारण अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं और वह ड्यूटी के बजाए प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। समय-समय पर सभी सरकारों ने इसके लिये कुछ न कुछ उपाय किये हैं लेकिन वह पर्याप्त नहीं पाये गये। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह दौरे पर गये थे तो डाक्टर तो नहीं मिला लेकिन दवा वगैरह मिल गई। आप खुद कह रहे हैं कि वह चल रहे हैं। आपने मामला हल्का करने के लिये कह दिया कि वह चल रहे हैं। प्रश्न को हल्का मत कीजिये। मैं समझता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी अगर मेरी भावना को और जनता के कष्ट को समझ रहे हैं तो इसका उत्तर दिला दें।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय चौधरी साहब की चिन्ता सही है और उसी चिन्ता को ध्यान में रखते हुये प्रदेश की आम जनता को स्वास्थ्य सेवायें मुहैया हो सकें इसके लिये ही माननीय मंत्री जी ने स्वयं बिना कार्यक्रम के जगह-जगह निरीक्षण किया और उसके लिये शासन स्तर पर समिति भी बनाई गई है। जिलों में डी0 एम0 की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है वह समिति जांच करके शासन को रिपोर्ट देगी। मान्यवर, जहां पर भी इस प्रकार की शिकायतें पाई जाती हैं तो उसमें कार्रवाही होती है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में भूजल रिचार्ज हेतु शासन की विभिन्न योजनाएं

*5-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में और विशेषकर लखनऊ मध्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लगातार गिरते हुये भू-जल के स्तर को रोकने के लिये सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री लखीराम नागर)-

विगत वर्षों में प्रदेश के अधिकांश शहरों में भूजल स्तर में गिरावट दृष्टिगोचर हुई है, जिसके निराकरण हेतु प्रदेश के शहरी क्षेत्रों जिसमें लखनऊ शहर भी सम्मिलित है, में वर्षा जल संचयन एवं

भूजल रिचार्ज हेतु बहु आयामी रणनीति अपनायी जा रही है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं में भूजल संवर्द्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें की गयी हैं :-

(i) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(ii) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था कर दी गयी है।

(iii) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित करने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(iv) 200 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों में ग्रुप रिचार्ज स्कीम स्थापित कराने का प्राविधान भी किया गया है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि भविष्य में निर्मित होने वाली आवासीय योजनाओं में जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवेज नेटवर्क के साथ-साथ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भूजल रिचार्ज हेतु पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जायेगा।

(v) पूर्व में निर्मित शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेसिटंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(vi) प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत, जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(vii) भूगर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरुकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में भूगर्भ जल दिवस शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मा0 अध्यक्ष जी, पूरा उत्तर प्रदेश लगातार गिरते हुए भूजल के स्तर से चिन्तित है और इसके अनेक कारण हैं। मुख्य कारण यह है कि बेहिसाब भूजल दोहन और दूसरा गिरते भूजल के कम्लेन की कोई विशेष योजना सरकार द्वारा नहीं बनायी गयी है। मैं सीधे-सीधे दो प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपया बताने का कष्ट करें। एक तों यह कि जहां भूजल स्तर 15 मीटर से नीचे चला गया है वहां

पर ट्यूबवेल पर रोक लगाने पर विचार करेंगे और दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि निजी नलकूप, जैट पम्प और समरिसिबल पम्प के निर्माण पर अंकुश लगाने पर विचार करेंगे ?

श्री लाखीराम नागर-

मान्यवर, मैंने पहले ही जवाब दे दिया है कि ट्यूबवेल लगाने पर पाबन्दी लगायी गयी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप शांत रहें, मा0 मंत्री जी जवाब दे रहे है। उन्होंने बताया है कि पाबन्दी लगायी गयी है।

श्री लालज वर्मा-

मान्यवर, मैं बता दूं। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि जहां जल स्तर 20 मीटर से नीचे गया है वहां निजी नलकूप या जैट पम्प पर रोक लगाने पर विचार करेंगे। तो मान्यवर, यह व्यापक प्रश्न है और किसानों के हितों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, पेयजल की समस्या को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है और इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए नये पम्पसेट पर रोक लगायी है, लेकिन जो पुराने चल रहे हैं उसमें जनहित में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है। जहां तक गिरते जलस्तर पर कार्यवाही करने का सवाल है, इसमें अभी पहले भी सवाल आया था, उस समय हमने अवगत कराया था कि सरकार इस बारे में चिन्तित है और उसके लिए तमाम योजनाएं है। विशेष रूप से तालाबों के नये निर्माण का कार्य, अनधिकृत कब्जे हटाये जाने का कार्य, आवासीय जो मकान बनाये जा रहे हैं उसमें रिचार्जिंग की व्यवस्था बनायी गयी है। यह निर्देश इसलिए दिये गये हैं जिससे जलस्तर नीचे न जाने पाये और इसके पर्याप्त उपाय किये जा रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार इस बारे में जो निर्देश हैं उसके अनुसार कार्यवाही करेगी।

श्री राम बिशुन अ।

मान्यवर, मुझे भी एक प्रश्न कर लेने दें।

श्री अध्यक्ष-

अब इसमें सब बातें आ गयी हैं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने सारे जवाब दे दिया है आप बैठ जायें। मैं एक अन्तिम प्रश्न सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी को पूछने की अनुमति देता हूं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी मेरी विधान सभा क्षेत्र में सरकार ने यह बात कही है कि जो तालाब पहले से बने हुए थे, उन तालाबों में अतिक्रमण हो गया है, उस अतिक्रमण को हटा करके जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह बात कही है, उनको पुनः तालाब के रूप में जीवित किया जायेगा मेरी विधान सभा क्षेत्र में अन्ना सोती का तालाब, हैदरबेग का तालाब, मोती झील, रामनगर कालोनी का तालाब इनके ऊपर अतिक्रमण है और अभी तक कोई कार्यवाही इनको हटाने के लिए नहीं की गई है। मेरा प्रश्न है क्या माननीय मंत्री जी इन तालाबों का अतिक्रमण हटा करके और इनको पुनः जल संचयन करने के लिए तालाब के रूप में परिणित करने का कार्य करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मूल प्रश्न के उत्तर में ही इस बात को कहा गया है कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत, जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं। यह मूल प्रश्न में ही है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

टीक है अब तो उत्तर आ गया माननीय सदस्य।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, कहां उत्तर आ गया ? यह तो जनरल उत्तर है। मैंने लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के तालाबों का नाम लेकर उल्लेख किया है उस पर दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और इसका उत्तर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

एक योजना चल रही है, तालाबों पर से अवैध कब्जा हटाने की, उसमें कब्जा हटाने का सरकार का एक जनरल आदेश हो गया।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की राजधानी में तालाबों के ऊपर अतिक्रमण है और अतिक्रमण सरकार नहीं हटवा रही है, इसलिए मैंने सरकार का ध्यान आकृर्षित किया है। मुझे उत्तर चाहिए कि इतने दिनों में अतिक्रमण हटा करके उसको तालाब के रूप में परिणित करने की सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

अब तो यह एक जनरल आदेश के तहत आ गया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रत्येक जिले के लिए निर्देश दिए गये हैं उसमें लखनऊ भी शामिल है और निश्चित रूप से इसमें कार्यवाही हो रही है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, कब तक कार्यवाही हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

कार्यवाही हो जायेगी। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के प्राइमरी/जूनियर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में कथित परिवर्तन

*6-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बच्चों को सरकारी विद्यालयों में जो प्राइमरी/जूनियर पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

सरकारी विद्यालयों के प्राइमरी/जूनियर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों को नये सिरे से क्रमशः वर्ष 1999 तथा वर्ष 2000 में विकसित किया गया था, जो अभी विद्यालयों में लागू है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से उनके उत्तर के सम्बन्ध में केवल दो चीजें जानना चाहता हूं नम्बर एक, क्या माननीय मंत्री जी जूनियर कक्षाओं में जो सरकारी विद्यालय है उनमें योग शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा का समावेश करेंगे ? नम्बर दो-शिक्षा की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है, उसके लिए क्या कोई कार्य-योजना बनायेंगे ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसके लिए पहले ही कह चुका हूं कि इसमें वर्ष 1999 और 2000 मं एक कमेटी बैठा करके पूरा इसमें परिवर्तन जितना होना था वह हो चुका है। रही बात दूसरी शिक्षा के स्तर के बारे में, शिक्षा का स्तर पूर्णरूप से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, माननीय मुख्य मंत्री जी, प्राथमिकता के आधार पर इसे ले रही हैं और शिक्षा का बिल्कुल पूर्णरूप से सुधार करने को तत्पर हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब खन्ना साहब क्या बचा है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक प्रश्न, मान्यवर मैंने स्पष्ट रूप से केवल दो प्रश्न पूछे थे, क्या जूनियर कक्षा में योग और नैतिक शिक्षा का समावेश करेंगे ? और दूसरा अगर गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए अभी तक क्या स्टेप उठाये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष-

एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि पाठ्यक्रम में हम कोई इस तरह का विचार नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह का पाठ्यक्रम जोड़ेंगे तो वह तो उससे आच्छादित हो गया अब शिक्षा के सुधार के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी आप क्या कह रहे हैं ?

श्री धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, शिक्षा में सुधार के सम्बन्ध में हमारा यही कहना है कि कोई भी विद्यालय बगैर अध्यापक के नहीं रहेगा। हर विद्यालय में शिक्षक तैनात किये जा रहे हैं।

मान्यवर, सप्ताह भर का पाठ्यक्रम तय कर दिया है जिससे प्रत्येक माह कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जायेगा किसी माह में जाकर यह जानकारी की जा सकेगी कि कौन सा सब्जेक्ट था और कौन से सप्ताह में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया गया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने सदन में यह कहा है कि शिक्षकों की कमी रहने नहीं दी जायेगी। मान्यवर, आज मेरे एक अतारांकित प्रश्न संख्या-30 के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि गोरखपुर मण्डल में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के निम्नलिखित पद रिक्त हैं प्र0अ0 के कुल रिक्त पद 986, स0अ0 के कुल रिक्त पद 9448, यह गोरखपुर मण्डल में रिक्त हैं। तो जो यह टोटल 10,434 पद क्ति हैं गोरखपुर मण्डल में यह कमी कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह अलग से कहां सवाल बना रहे हैं ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, अतारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर दे दिया गया है लेकिन इसके लिये जो मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि यथाशीघ्र आदरणीया बहन मायावती जी के निर्देशानुसार पद भरेंगे। बहन जी का नाम लेते ही आपको दिक्कत होने लगती है। यथाशीघ्र बहन जी के नेतृत्व में सारी सीटें भर दी जायेंगी। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

अब तो कह दिया कि भर्ती कर देंगे।

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भर कर मानक पूरा करने की व्यवस्था

*7-श्री उदयभान करवरिया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप अध्यापकों की नियुक्ति के विषय में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप अध्यापकों की नियुक्ति के विषय में बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा बी0एड0एल0टी0 अर्हताधारी अभ्यर्थियों का चयन मैरिट के आधार पर करके उन्हें विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण कराकर परिषदीय विद्यालयों में दो फेज में नियुक्तियां की गई हैं। इसी के साथ ही परिषदीय विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय दो शिक्षामित्रों की व्यवस्था की गई है। जिसमें एक परिषदीय अध्यापक तथा दो शिक्षामित्र की व्यवस्था का मानक पूरा किया जा रहा है।

प्रदेश के अस्पतालों से निकले हुए मलवे/कचरे के निस्तारण की व्यवस्था

*8-श्री सतीश महाना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्पतालों से निकले हुये मलवे/कचरे को नष्ट करने के लिये क्या सरकार कोई संयंत्र लगाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-तारांक्ति प्रश्न संख्या-6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अस्पतालों से निकले हुए मलवे/कचरे के निस्तारण हेतु विश्व बैंक द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता से पूरे प्रदेश में सरकारी तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता के आधार पर कुल 10 कामन वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी संयंत्र लगाये जाने हेतु उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट द्वारा अनुबन्ध किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सहकारी समितियों के बकायेदारों हेतु एक मुश्त समझौता योजना की व्यवस्था

*9-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुये क्या सरकार सहकारी समितियों के बकायेदारों के लिये एक मुश्त समाधान योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

नाबार्ड के संदर्भ दिनांक 26 जुलाई, 2004 के दिशा निर्देशन पर निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0 लखनऊ के परिपत्र संख्या-सी042/अधि0/2004-05 दिनांक 10 अगस्त, 2004 द्वारा प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स) के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये एक मुश्त समझौता योजना लागू की गई है, जो वर्तमान में लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश की सहकारी समितियों के ऋण वसूली बढ़ाने के निर्गत निर्देश

1-श्री उदयभान [illegible]या-

क्या सहक[illegible] मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2000-01 में सहकारी बकाया की वसूली का प्रतिशत क्या था ? क्या वर्ष 2006-07 में सहकारी बकाया की वसूली का प्रतिशत घटा है ? यदि हां, तो क्या वसूली बढ़ाने के कोई उपाय किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि सहकारी समितियां उर्वरक वितरण के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं कर रही हैं जिसके कारण प्रतिवर्ष बकायेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा बकायेदारों की संख्या घटाने हेतु क्या उपाय किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

वर्ष 2000-01 में अल्पकालीन सहकारी बकाये की वसूली 35.59 प्रतिशत थी तथा दीर्घकालीन बकाये की वसूली 70.76 प्रतिशत थी।

अल्पकालीन बकाये का प्रतिशत घटा है किन्तु दीर्घकालीन बकाये का प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 एवं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही, व्यक्ति तकादा, वसूली हेतु लक्ष्यों का निर्धारण तथ उसी पूर्ति की समय-समय पर निचले स्तर पर समीक्षा, एक लाख रुपये से अधिक के

बकायेदारों के विरुद्ध उत्पीड़न कार्यवाही, एकमुश्त समझौता योजना के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही, वसूली कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं अन्य समुचित कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह सत्य है कि अधिकांश समितियां उर्वरक वितरण के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं कर रही हैं किन्तु बकायेदारों की संख्या इस कारण से नहीं बढ़ी है, वरन् रुपये एक लाख से नीचे के बकायेदारों के विरुद्ध वसूली हेतु उत्पीड़न की कार्यवाही पर रोक लगने के फलस्वरूप बकायेदारों की संख्या बढ़ी है क्योंकि सहकारी समितियों के अधिकांश बकायेदार रुपये एक लाख के नीचे के ही हैं।

बकायेदारों से वसूली हेतु नियमानुसार सभी उपाय किये जा रहे हैं ताकि बकायेदारों की संख्या में कमी की जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में साधन सहकारी समितियों के बकायेदार सदस्यों की संख्या तथा वसूली बढ़ाने के आवश्यक निर्देश

2-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में साधन सहकारी समितियों में कितने कृषक सदस्य हैं तथा उनमें से कितने सदस्य बकायेदार हैं तथा उन पर कुल कितना बकाया है ? बकाया वसूली हेतु क्या कदम उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माह अप्रैल, 2007 तक प्रदेश में साधन सहकारी समितियों में कुल 1.30 करोड़ कृषक सदस्य हैं। उनमें से 11.43 लाख सदस्य बकायेदार हैं जिन पर रुपये 852.04 करोड़ बकाया है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 एवं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करने, वसूली हेतु माहवार लक्ष्यों का निर्धारण एवं उनकी पूर्ति की प्रत्येक स्तर पर समीक्षा व व्यक्तिगत तकादा आदि करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

3-श्री उदयभान करवरिया-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद इलाहाबाद की साधन सहकारी समितियों की संख्या एवं उनसे ऋण वितरण की व्यवस्था

4-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद में कुल कितनी साधन सहकारी समितियां हैं तथा इनमें से कितनी समितियों द्वारा किसानों को ऋण वितरण किया जा रहा है ? क्या यह सच है कि औद्यानिक समितियों से उर्वरक वितरण कराने तथा उन्हें लाइसेन्स देने के कारण सहकारी समितियां मृतप्राय हो रही है ? क्या मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि

जनपद इलाहाबाद एवं कौशाम्बी में कितनी औद्यानिक समितियों को खाद बेचने का लाइसेन्स दिया गया है ? क्या इनके लाइसेन्स निरस्त कर साधन सहकारी समितियों को मजबूत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद इलाहाबाद में 180 साधन सहकारी समितियां हैं। इनमें से 86 समितियों द्वारा ऋण वितरित किया जा रहा है।

जी नहीं।

औद्यानिक समितियों को खाद बेचने का लाइसेन्स सहकारिता विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है।

औद्यानिक समितियों का खाद बेचने का लाइसेन्स निरस्त करने का अधिकार सहकारिता विभाग को नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद एवं कौशाम्बी में क्रय-विक्रय समितियों की संख्या एवं ऋण वितरण की व्यवस्था

5-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद एवं कौशाम्बी में कितनी क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं ? इनमें से कितनी समितियां कार्य कर रही हैं तथा कितनी बन्द हैं ? क्या सरकार द्वारा बन्द समितियों को चलाने हेतु कोई ठोस कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जनपद इलाहाबाद में कुल पांच क्रय-विक्रय सहकारी समितियां है जिनमें से दो कार्य कर रही तथा तीन बन्द हैं। जनपद कौशाम्बी में कुल तीन क्रय-विक्रय सहकारी समितियां है जिनमें से एक कार्य कर रही है तथा दो बन्द है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के श्री ठाकुर शिव नरायण सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय भगवानपुर बाजार-नौतनवां की अनियमित नियुक्तियों की जांच

6-श्री महेन्द्र सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री ठाकुर शिव नारायण सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय, भगवानपुर बाजार-नौतनवां, जनपद-महराजगंज में प्रबन्धकीय विवाद होने के कारण अध्यापकों की अनियमित नियुक्तियों के वेतन का भुगतान पिछले दो दशक से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कराया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालनार्थ शासन के आदेश संख्या 1657/79-6-04-4 एम (1)/04, दिनांक 14-10-04 के क्रम में निदेशक के आदेश

संख्या अर्थ (1) वे0/3767-70/04-05, दिनांक 1-12-04 का अनुपालन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महराजगंज द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

संस्था के उन्हीं शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का नियमानुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है जो सृजित पद के सापेक्ष नियमानुसार नियुक्त एवं अनुमोदित हैं।

शासन एवं निदेशालय के संदर्भित पत्रों के प्रत्येक बिन्दु पर जांच कर अनुपालन की स्थिति एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) गोरखपुर को निदेशालय के पत्रांक सामान्य (1) बेसिक/366-67/2007-08 दिनांक 26 जून, 2007 द्वारा आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अशासकीय चिकित्सा संस्थाओं को वर्ष 2006-07 के अनुदान उपलब्ध कराने की मांग

7-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत वित्तीय वर्ष में चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण जिन चिकित्सालयों को अनुदान नहीं मिल पाया है और उनके आ महानिदेशक, स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य के कार्यालय से संस्तुति होकर वित्त विभाग में लम्बित हैं, क्या सरकार द्वारा उन्हें अनुदान उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई आदेश देगी ? यदि आदेश देगी तो क तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनंत कुमार मिश्रा-

जी नहीं। विगत वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रदेश में क्रियाशील कतिपय अशासकीय चिकित्सा संस्थाओं का अनुदान सहायता दिये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से प्रस्ताव प्राप्त हुये थे किन्तु चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण उन प्रस्तावों को स्थगित रखकर अगले वित्तीय वर्ष में विचार किये जाने का परामर्श वित्त विभाग द्वारा दिया गया था।

वित्तीय वर्ष 2006-07 में जिन चिकित्सालयों को अनुदान नहीं मिल पाया, के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्त विभाग की सहमति उपरान्त इस वित्तीय वर्ष 2007-2008 में उन्हें अनुदान दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला सहकारी बैंक सिद्धार्थनगर में जमाकर्ताओं के धन का भुगतान किये जाने की मांग

8-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, सिद्धार्थनगर में जमाकर्ताओं का जमा धन बैंक वापस नहीं दे पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जमाकर्ताओं को बैंक से उनके जमा धन को वापस दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जी नहीं।

जिला सहकारी बैंक लि0, सिद्धार्थनगर "अ" उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत निबन्धित एक स्वायत्तशासी संस्था है जो बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट, 1949 के प्राविधानों एवं रिजर्व बैंक के निर्देशों के अन्तर्गत कार्य करता है तथा अपने संसाधनों से जमाकर्ताओं का भुगतान करता है।

जनपद सिद्धार्थनगर के मुख्यालय पर राजकीय कन्या डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

9-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर राजकीय कन्या डिग्री कालेज खोले जाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कालेज भवन कब तक बनना प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के मुख्यालय पर राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

10-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सिद्धार्थनगर मुख्यालय पर राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना का कार्यान्वयन कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के चिकित्सालयों में आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध औषधियां

11-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में आवश्यकता के अनुरूप औषधियों की उपलब्धता है ? क्या यह सत्य है कि प्रायः रोगियों को दवायें बाहर से खरीदने के लिये मजबूर किया जाता है ? यदि हां, तो औषधियों की इस कमी को कब तक दूर किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की सहकारी समितियों के माध्यम से कुल वितरित ऋण एवं उनकी वसूली का प्रतिशत

12-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 2005-06, 2006-07 में सहकारी समितियों के माध्यम से कितना ऋण किसानों को वितरित किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005-06 में वूसली प्रतिशत क्या थी ? क्या सम्पूर्ण धनराशि की वसूली कर ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

वर्ष 2005-06 में सहकारी समितियों के माध्यम से रु0 1627.01 करोड़ एवं वर्ष 2006-07 में रुपये 1828.16 करोड़ का ऋण किसानों को वितरित किया गया।

वर्ष 2005-06 में कुल मांग के सापेक्ष वूली 51.37 प्रतिशत थी।

जी नहीं।

मांग एवं बकाये की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है।

जनपद हाथरस के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिकन्दराराऊ में मानक के अनुरूप तैनात डाक्टर

13-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकन्दराराऊ जनपद-हाथरस में मानक के अनुसार डाक्टर तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानक के अनुरूप डाक्टरों की तैनाती समयबद्ध तरीके से करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चिकित्साधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु वार्षिक स्थानान्तरण नीति

14-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 10 वर्ष से अधिक एक जनपद में तैनात चिकित्साधिकारियों एवं 15 वर्ष से अधिक तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

तृतीय श्रेणी कर्मचारियों हेतु वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2007-08 में प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त पटल परिवर्तन किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की प्राइमरी पाठशाला कटटौली, सोहावल में कथित धांधली की जांच रिपोर्ट

15-श्री सनातन-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2005 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-77 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत धांधली की जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये ? क्या दोषियों से धांधली की धनराशि वसूल कर सरकारी खाते में जमा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जांच आख्या के अनुसार श्रीमती गौहर फात्मा, स0 अ0 (उर्दू) के पूर्व से बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश पर रहना।

2-श्रीमती गौहर फात्मा के कार्य से ग्राम प्रधान का सन्तुष्ट न होना।

दोषियों के विरुद्ध धांधली/वित्तीय अनियमितता का कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबद के तहसील बारा के ग्राम नारी-बारी में राजकीय कन्या विद्यालय का सत्र आरम्भ करने की मांग

16-श्री उदयभान करवरिया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-इलाहाबाद, तहसील बारा के ग्राम नारी-बारी में राजकीय कन्या विद्यालय (जी0जी0आई0सी0) की स्थापना शासन द्वारा स्वीकृत है ? क्या यह सच है कि उपरोक्त विद्यालय के लिए अध्यापकों के चयन किये जा चुके हैं, फिर भी विद्यालय प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसी सत्र में विद्यालय प्रारम्भ करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

जी हां।

राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों, प्रवक्ताओं एवं लिपिकों के स्थानान्तरण की नीति

17-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य, प्रवक्ताओं एवं लिपिकों के स्थानान्तरण की नीति क्या है ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत महाराणा

प्रताप राजकीय महाविद्यालय, सिकन्दराराऊ, जनपद-हाथरस में कार्यरत प्राचार्य, प्रवक्ताओं एवं लिपिकों का स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

प्रदेश के राजकीय कार्मिकां के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति तथा इस सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के हाई स्कूलों एवं इन्टरमीडिएट कालेजों को मान्यता प्रदान करने की संख्या तथा मानक पूर्ण न किये जाने पर कार्यवाही

18-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में कितने हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट के विद्यालय 9 (4) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं ? क्या उक्त सभी विद्यालय निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानक पूरा न करने वाले विद्यालयों की जांच कराकर उनकी मान्यता समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जी हां, जनपद हाथरस के हाईस्कूल के 35 तथा इण्टरमीडियेट के 22 विद्यालयों को धारा 9(4) के अधीन मान्यता प्रदान की गयी है।

जी नहीं, उक्त विद्यालयों में से हाई स्कूल के 08 तथा इण्टरमीडियेट के 04 विद्यालय निर्धारित मानकों की पूर्ति करते हैं, शेष (हाईस्कूल के 27 तथा इण्टरमीडियेट के 18) मानकों की पूर्ति नहीं करते हैं।

जिन विद्यालयों द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों /मानकों की पूर्ति अभी तक नहीं की गयी है उनको प्रतिबंधों की पूर्ति हेतु नोटिस भेजी गयी हैं

प्रतिबंधों/मानकों की पूर्ति के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पुराने भवन पर अवैध कब्जा करने के विरुद्ध कार्यवाही

19-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराराऊ, जनपद-हाथरस का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अब नई जगह स्थापित हो गया है ? यदि हां, तो पुराने स्थान पर स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की जमीन क्या सरकारी जमीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस पर हो रहे अवैध कब्जे को मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एक ही भवन में स्थापित हैं तथा उक्त दोनों केन्द्र नये भवन में स्थापित हो गये हैं। पुराने भवन में अवैध कब्जे हैं, जिनके विरुद्ध सम्बन्धित थाने में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी गई है।

प्रदेश के जिला चिकित्सालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्धता के आधार पर स्टाफ की नियुक्ति

20-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य राजकीय चिकित्सालयों पर स्वीकृत पदों के अनुसार, डाक्टर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स व अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं। उपलब्धता के आधार पर यथा सम्भव चिकित्सकों/फार्मासिस्ट/स्टाफ नर्स व अन्य कर्मचारियों की तैनाती की गयी है।

जी हां। वर्ष 2005 एवं 2006 में चिकित्साधिकारियों के विशेषज्ञ/सामान्य उपसंवर्ग (पुरुष/महिला) के 2450 रिक्त पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 को प्रेषित किया गया, जिसके सापेक्ष वर्ष, 2006 एवं 07 में लोक सेवा अयोग द्वारा 1553 चिकित्सा अधिकारियों का चयन कर संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है। इसके सापेक्ष शासन द्वारा 1290 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान करते हुये प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तैनात कर दिया गया है। शेष 263 चिकित्साधिकारियों की तैनाती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 से 897 पदों पर चयन की संस्तुति अप्राप्त है।

चिकित्साधिकारियों/फार्मासिस्ट/स्टाफ नर्स की कमी के दृष्टिगत क्रमशः 1400 चिकित्साधिकारियों, 642 फार्मासिस्ट एवं 930 स्आफ नर्स के रिक्त पदों को संविदा से भरे जाने हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निद्रेश दे दिये गये हैं। समूह 'ग' एवं 'घ' के बैकलाग के रिक्त पदों पर भरती की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर में स्वीकृत पदों की संख्या एवं रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही

21-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय, सिद्धार्थनगर में कौन-कौन से पद कितनी संख्या में स्वीकृत हैं तथा उन पदों के सापेक्ष कितने अधिकारी/कर्मचारी कब से कार्यरत हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्तियां करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, सिद्धार्थनगर में स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत् है :-

पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत
मुख्य चिकित्या अधिकारी	01	01
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	09	02
उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	05	02
मुख्य खाद्य निरीक्षक	01	01
खाद्य निरीक्षक	12	07
औषधि निरीक्षक	01	01
चीफ फार्मासिस्ट	01	01
रेफ्रिजरेटर टैक्नीशियन	01	01
सेनेट्री सुपरवाइजर	03	02
आशुलिपिक	01	01
वरिष्ठ सहायक	01	01
वरिष्ठ लिपिक	02	02
कनिष्ठ लिपिक/उर्दू अनुवादक	03	03
स्टोर कीपर	01	01
अर्दली	01	01
योग	43	27

स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की तिथि सहित विवरण संलग्न है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 122-123 पर।)

प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में कुल स्वीकृत पदों की संख्या तथा रिक्त स्थानों को भरे जाने की प्रक्रिया

22-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में कुल कितने फार्मासिस्ट के पद स्वीकृत हैं और उनके सापेक्ष कितने फार्मासिस्ट कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त

हैं ? क्या सरकार रिक्त फार्मासिस्ट के पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वाथ्य विभाग में फार्मेसिस्ट के कुल 5108 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 4340 फार्मेसिस्ट कार्यरत हैं, एवं 768 फार्मेसिस्ट के पद रिक्त हैं।

जी हां। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या एवं रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही

23-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर में कौन-कौन से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और उन केन्द्रों पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत चिकित्सकों/चिकित्सकेत्तर कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद सिद्धार्थनगर में 07 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमशः मिठवल, खुनियाव, जोगिया, नौगढ़, बर्डपुर, बढ़नी, भगवापुर तथा 06 उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमशः डुमरियागंज, इटवा, सोहरतगढ़, खेसरहा, बांसी तथा उसका बाजार स्थापित है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के स्वीकृत 132 पदों के सापेक्ष 97 चिकित्सक कार्यरत है तथा चिकित्सकेत्तर कर्मियों के स्वीकृत 1124 पदों के सापेक्ष 902 कर्मी कार्यरत है।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :-

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4
अधीक्षक	06	06	0
फिजिशियन	06	02	04
सर्जन	06	06	00
रेडियोलोजिस्ट/पैथालाजिस्ट	06	04	02
निश्चेतक	06	02	04
स्त्री रोग विशेषज्ञ	06	02	04
स्टाफ नर्स	18	15	03
लैब टेक्नीशियन	06	06	00
डेन्टल हाईजीनिस्ट फार्मासिस्ट	06	03	03
वरिष्ठ लिपिक	19	19	00
वाहन चालक	06	01	05

1	2	3	4
डार्क रूम सहायक	06	06	00
वार्डब्वाय	06	03	03
वार्डआया	06	06	00
एल0 एच0 वी0	06	06	00
ए0 एन0 एम0	06	06	00

जी हां।

शासनादेश संख्या-1047/5-7-2007-आठ-11/00 दिनांक 1-6-2007, शासनादेश संख्या-2098/चि-3-07-4-नियुक्ति/00 दिनांक 25 मई, 2007 तथा शासनादेश संख्या-1946/5-9-07-9(79)/07 दिनांक 25 मई, 2007 एवं 1200/5-11-2007-एन (43)/2007 दिनांक 23-5-2007 के अन्तर्गत क्रमशः चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को एवं फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, नेत्र सहायक के तथा उपचारिकाओं के पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उ0 प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ के कुल कर्मचारियों की संख्या

24-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मत्स्य उत्पादन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ में कुल कितने द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या संघ के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जमुना निषाद)-

उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ में द्वितीय श्रेणी का कोई अधिकारी कार्यरत नहीं है। तृतीय श्रेणी में 08 एवं चतुर्थ श्रेणी में 04 कम्रचारी संविदा के आधार पर कार्यरत है।

जी हां।

जनपद बांदा हमीरपुर, चित्रकूट एवं महोबा में एकल एवं शिक्षक विहिन प्राथमिक विद्यालयों की संख्या

25-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा फतेहपुर, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा में कितने एकल एवं शिक्षक विहीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में छात्र मानक एवं विषय अनुसार शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्रश्न में उल्लिखित जनपदों में एकल एवं शिक्षक विहीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है :-

जनपद	प्राथमिक एकल	विद्यालय बन्द	उच्च प्राथमिक एकल	विद्यालय बन्द
बांदा	491	40	88	52

फतेहपुर	270	--	--	--
हमीरपुर	32	--	51	--
चित्रकूट	55	69	85	21
महोबा	197	--	63	05

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अस्पताल मैनपुरी में चिकित्सकों की मानक के अनुरूप तैनाती

26-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल, मैनपुरी में चिकित्सकों की कमी होने से मरीजों का इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में मानक के अनुसार चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं। जिला चिकित्सालय, मैनपुरी में चिकित्सकों की कोई कमी नहीं है। वहां मरीजों का इलाज सुचारु रूप से हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुघर सिंह वर्मा प्राविधिक अधिकारी जिला सहकारी बैंक फतेहगढ़, फर्रुखाबाद का सवेतन आमेलन हेतु प्रार्थना-पत्र

27-श्री कुबेर सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुघर सिंह वर्मा, प्राविधिक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक, प्रधान कार्यालय, फतेहगढ़, जनपद-फर्रुखाबाद का प्रार्थना-पत्र एवं प्रपत्र संलग्न करते हुए सवेतन आमेलन कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ग-3/518103 दिनांकित 11-6-07 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

प्रश्न में उल्लिखित मा0 प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु जिला सहाकरी बैंक लि0, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में श्री सुघर सिंह वर्मा को आमेलित किये जाने के प्रकरण में नियम-301 के अन्तर्गत मा0 प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 22-5-2007 को दी गई सूचना प्राप्त हुयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राविधिक अधिकारियों, कैडर सचिवों के बैंक में आमेलन हेतु गठित समिति द्वारा चयन किया जाना था। बैंक में आमेलन हेतु 32 लोग पात्र थे किन्तु पद 11 ही थे जिन पर दिनांक

16-1-1989 को कमेटी की बैठक में 11 लोगों का चयन किया गया। इस प्रकार 21 लोगों का चयन नहीं हुआ जिसमें श्री सुघर सिंह वर्मा भी एक हैं।

लखनऊ स्थित रानीलक्ष्मीबाई राजकीय चिकित्सालय राजाजीपुरम् का उच्चीकरण

28-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ स्थित रानी लक्ष्मीबाई राजकीय चिकित्सालय राजाजीपुरम् लखनऊ जो पहले केवल 30 बेड का था और बाद में उसे उच्चीकृत करके 100 बेड का कर दिया गया और जिसके भवन का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो गया था किन्तु अकारण यह कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुल शिक्षा मित्रों की संख्या एवं सामान्य शिक्षकों एवं उनके दायित्वों में अन्तर

29-डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं ? सामान्य शिक्षकों एवं इनके दायित्वों में क्या अन्तर है तथा इन्हें मिलने वाले वेतनमान अलग-अलग क्या हैं ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्रदेश में वर्तमान में कुल 1,76,736 शिक्षा मित्र की व्यवस्था है।

सामान्य शिक्षक का कक्षा 1 से 5 तक उसे सौंपी गई किसी भी कक्षाओं को शिक्षण कार्य करने का दायित्व है। इसी के साथ पाठ्यक्रमानुसार प्रत्येक गतिविधि एवं शिक्षण कार्य से सम्बन्धित समस्त परिषदीय दायित्वों को पूरा करना है। जबकि शिक्षा मित्रों को केवल परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-1 एवं 2 को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण पूरा कराने का दायित्व है। इसके साथ विद्यालय में प्रवेश की वय वर्ग के सभी बच्चों को प्रवेश दिलाना तथा विद्यालय से बाहर के बच्चों को भी विद्यालय से जोड़ना भी है।

1-प्रा0 वि0 के स0 अ0 का वेतनमान रु0 4500-7000

2-प्रा0 वि0 के प्र0 अ0 का वेतनमान रु0 5500-9000

3-शिक्षा मित्र का मानदेय प्रतिमाह रु0 3000

शिक्षा मित्र मानदेय पर ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से चयन होने के उपरान्त एक माह का प्रशिक्षण देकर विद्यालयों से सम्बद्ध किये जाते हैं जबकि सामान्य शिक्षक बी0 टी0 सी0 का दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने के उपरान्त शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है। इनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक है तथा शिक्षा मित्र की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट है।

गोरखपुर मण्डल में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या एवं रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही

30-डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

गोरखपुर मण्डल में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के निम्नलिखित पद रिक्त हैं :-

प्र0 अ0 के कुल रिक्त पद	986
स0 अ0 के कुल रिक्त पद	9448
कुल रिक्त पद	10,434

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज लखनऊ में मानव शास्त्र विभाग में कु0 नीतू सिंह को प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार

31-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ में मानवशास्त्र विभाग में श्री यू0एस0 मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त पद पर कु0 नीतू सिंह को प्रवक्ता पद पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्राचार्य का पत्र वी0एच0डी0सी0/2330/02/2006, दिनांक 6-2-96 शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा इलाहाबाद को उनके पत्र सं0 डिग्री अर्थ (1)/आयोग/295/03-04, दिनांक 5-4-03 के क्रम में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

जी हां।

जी हां।

प्राचार्य के अनुरोधानुसार निदेशक उच्च शिक्षा के आदेश संख्या-डिग्री अर्थ-1/आयोग/1990-93/207-08, दिनांक 11-6-2007 द्वारा अपेक्षित संशोधन आदेश निर्गत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड महाविद्यालय झांसी के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का कथित रूप में लम्बित वेतन

32-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झांसी में वर्ष 1990-91 से तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन लम्बित है ? यदि हां, तो लम्बित वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ग्राम शाहआलमपुर, ब्लाक सुल्तानगंज में जू0 हाईस्कूल के अपूर्ण भवन निर्माण को पूर्ण कराने की मांग

33-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम शाहआलमपुर ब्लाक सुल्तानगंज, जनपद-मैनपुरी में वर्ष 1991 में स्वीकृत जू0 हाई स्कूल के भवन का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है ? क्या सरकार अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

60 प्रतिशत धनराशि जे0 आर0 वाई0 से नहीं मिलने के कारण स्कूल अपूर्ण है।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

अमीरुदौला इस्लामियां इन्टर कालेज लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद पर श्री राकेश की नियुक्ति एवं वेतन की अनुमन्यता हेतु पत्र-व्यवहार

34-श्री जुल्फिकार अहमद भुट्टो-

क्या मा0 माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंहगी प्रसाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अमीरुद्दौला इस्लामिया इण्टर कालेज, लालबाग, लखनऊ की सेवानिवृत्ति से रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री राकेश की मण्डलीय समिति के विचारार्थ वेतन अनुमन्य करने विषयक-पत्र तत्कालीन (श्री विकास श्रीवास्तव) जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-मा0-2/7561-62/03-04, दिनांक 27-9-03 को संयुक्त शिक्षा निदेशक, षष्ट मण्डल, लखनऊ को प्रेषित किया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

जी हां।

कोई कार्यवाही नहीं की गयी, शीघ्र कार्यवाही करने तथा अब तक कार्यवाही न होने के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया गया है।

जनपद शाहजहांपुर के प्राइमरी पाठशालाओं में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या तथा उसे भरने की कार्यवाही

35-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ? शिक्षकों के अभाव में कितने विद्यालय बन्द हैं ? क्या मंत्री जी इन पदों को भरकर या वैकल्पिक व्यवस्था करके बन्द विद्यालयों को खुलवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 1818 पद रिक्त हैं।

शिक्षकों के अभाव में कोई विद्यालय बन्द नहीं है। सभी विद्यालयों में दो शिक्षामित्रों की तैनाती तथा एक परिषदीय अध्यापक की व्यवस्था की गयी है। समायोजन द्वारा अध्यापकों की तैनाती तद्नुसार की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही गतिमान है ?

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुल छात्रों की संख्या एवं शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या का विवरण

36-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या के सापेक्ष मानक के अनुरूप कितने शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी होने चाहिए तथा वास्तव में कितने कार्यरत हैं ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में विश्वविद्यालय की सूचना के अनुसार वर्ष 2006-07 में कुल 26832 छात्र/छात्राओं का प्रवेश हुआ जिनमें 17790 प्रातः कालीन, 7172 सांध्यकालीन एवं 1870 स्ववित्तपोषित हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानक के अनुसार 1391 शिक्षक आवश्यक होना बताया गया है। विश्वविद्यालय के लिये अध्यापकों के कुल 366 पूर्णकालिक एवं नियमित पद स्वीकृत हैं और इसके सापेक्ष 247 शिक्षक कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षण कार्य के सुचारु संचालन हेतु 104 शिक्षक मानदेय पर कार्यरत हैं। साथ ही सांध्यकालिक/स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु 60 अध्यापक संविदा पर कार्यरत हैं। आयोग द्वारा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। कुल स्वीकृत 755 पदों के सापेक्ष 614 कम्रचारी कार्यरत हैं।

जिला चिकित्सालय कुशीनगर चिकित्सकों के कुल सृजित पद एवं रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही

37-डा0 पी0 के0 राय-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, कुशीनगर में आवश्यकतानुसार चिकित्सकों के पदों का सृजन कर दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बताने की

कृपा करेगी कि पदों के अनुरूप विशेषज्ञों की तैनाती कर दी गयी है ? यदि नहीं तो कब तक कर दी जायेगी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी नहीं।

वर्तमान में यहां पर 03 विशेषज्ञ तैनात हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में विधवा पेंशन पात्र अभ्यर्थियों की संख्या तथा उनका विवरण

38-डा0 पी0 के0 राय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तुमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर में मार्च, 2007 तक विधवा पेंशन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, इनमें से पेंशन हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और कितने आवेदन स्वीकृत किये गये और कितने शेष हैं ? शेष विधवाओं की पेंशन कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज में मार्च, 2007 तक पात्र अभ्यर्थियों की संख्या 3016 है।

कुल 3016 अभ्यर्थियों में 1523 पूर्व पेंशनर्स हैं जिन्हें पेंशन प्राप्त हो रही है। शेष में 630 को नई पेंशन स्वीकृत की गई है तथा 883 आवेदन पत्र लम्बित हैं।

स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय राजाजीपुरम् लखनऊ को पोस्ट ग्रेजुएट किये जाने का परीक्षणाधीन प्रस्ताव

39-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में राजाजीपुरम् क्षेत्र में पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय जिसकी स्थापना सन् 1997 में की गयी थी जिसमें बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0काम0 की कक्षायें चल रही हैं क्या सरकार क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए उक्त महाविद्यालय को उच्चीकृत कर पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें प्रारम्भ करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री तेजपाल सिंह "कृष्ण", श्रीगुरु प्रसाद उर्फ श्री गुरु प्रसाद शास्त्री तथा श्री श्रीनाथ के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निम्नलिखित भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर सदन मं शोक संवेदना प्रकट की जानी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री तेजपाल सिंह 'कृष्ण' का 28 मार्च, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे।

श्री तेज पाल सिंह 'कृष्ण' का जन्म वर्ष 1919 में ग्राम खिटाबटा, जिला मथुरा में हुआ था। उन्होंने चम्पा अग्रवाल इण्टर कालेज, मथुरा और बी0 आर0 कालेज, आगरा से शिक्षा ग्रहण की थी। श्री तेजपाल सिंह 'कृष्ण' वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र छाता, जिला मथुरा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री तेजपाल सिंह 'कृष्ण' विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वे आनरेरी मजिस्ट्रेट, ब्लाक प्रमुख, सदस्य जिला परिषद्, चेयरमैन मण्डी समिति, कोसी कलां, मथुरा आदि विभिन्न पदों पर रहे। श्री सिंह को कृषि कार्य, ग्रामोद्योग, सत्संग तथा अध्ययन में विशेष रुचि थी। श्री तेजपाल सिंह 'कृष्ण' के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गुरु प्रसाद का 28 जून, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। श्री गुरु प्रसाद का जन्म वर्ष 1922 में ग्राम मधु का पूरा, जिला इलाहाबाद में हुआ था। श्री गुरु प्रसाद वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र बारा, जिला इलाहाबाद से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री गुरु प्रसाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। श्री गुरु प्रसाद समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों में लोकप्रिय थे। श्री गुरु प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री श्रीनाथ का 26 जून, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे। श्री श्रीनाथ का जन्म 1 अक्टूबर, 1925 को हुआ था। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। श्री श्रीनाथ वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र मुहम्मदाबाद, उत्तर कोसी दक्षिण, तत्कालीन जिला आजमगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1957 तथा 1967 में निर्वाचन क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना, तत्कालीन जिला आजमगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री श्रीनाथ ने जीवन राम इण्टर कालेज, मऊ में शिक्षण कार्य किया था। वे महारानी वनदेवी संस्कृत पाठशाला, वनदेवी, आजमगढ़ एवं बाल निकेतन, मऊनाथ भंजन की कार्य समिति के सदस्य भी रहे थे। उनको दिनांक 25 अगस्त, 2006 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम विधान सभा के सदस्य होने का सम्मान प्रदान किया गया था। कविताओं के लेखन व पठन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री श्रीनाथ के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। सदन की संवेदना दिवंगत आत्माओं के शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचा दी जायेगी।

माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए मौन खड़े हों।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये।)

कृपया आसन ग्रहण करें।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 03 जुलाई, 2007 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री सनातन की बलिया के चिलकहर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा पूर में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी कैन्ट क्षेत्रान्तर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के मंडुआडीह स्टेशन के क्रासिंग नं0-4 पर ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु अपेक्षित धनराशि स्वीकृत कर ओवर ब्रिज का निर्माण कराने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की महराजगंज जनपद के पिपराखादर गांव के पास क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण बरसात से पहले कराने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की है वह उपस्थित नहीं हैं, पांचवीं सूचना श्री सुन्दर सिंह की बुलदशहर-स्याना मार्ग पर सड़क दुर्घटना में मृतक नत्थी सिंह के परिजनों एवं अन्य घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत ब्रजघाट से पूठ को जोड़ने हेतु बीच में स्केप (नाले) के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की (नियम-51 में प्राप्त) गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल झील को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में है, माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचनायें अस्वीकार की गयीं। 1-श्री राम प्रकाश कुशवाहा, 2-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, 3-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा।

(उक्त स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

बलिया के चिलकहर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा पूर में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सनातन-

[अध्यक्ष महोदय, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चिलकहर जनपद बलिया के सबसे बड़ा ग्राम सभा पूर की आबादी 26000 हैं। वर्ष 1983-84 से चकबन्दी प्रक्रिया शुरू की गयी थी और आज तक चकबन्दी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। जिस कारण क्षेत्रीय जनता में घोर असंतोष व्याप्त हैं।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से उक्त ग्राम सभा की चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाराणसी कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के मंडुआडीह स्टेशन के क्रासिंग नं0-4 पर ओवर ब्रिज के निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ज्योत्सना श्रीवास्तव-

[अध्यक्ष महोदय, वाराणसी कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के मंडुआडीह स्टेशन पर पूर्व व पश्चिम में स्थित दो रेलवे क्रासिंग हैं जो नगर व ग्रामीण इलाके के लिए आवागमन का महत्वपूर्ण मार्ग है। इसी क्षेत्र से विधायक रहे श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" की मांग पर क्रासिंग नं0-4 पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की स्वीकृति पूर्व रेलवे मंत्री श्री नितिश कुमार ने प्रदान की तथा अपने अंर्धाश को देने की स्वीकृति की सूचना भी उ0 प्र0 सरकार को दिया लेकिन उ0प्र0 सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही न होने पर पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री श्री हरीश जी ने सदन में राज्य सरकार द्वारा अंर्धाश की स्वीकृति नियम-301 द्वारा मांग पेश किया जिसके उत्तर में तत्कालीन मंत्री श्री शिवपाल जी यादव ने दिनांक 25-1-2007 को अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं0 3(6) 23-11-06 द्वारा सूचित किया कि "इस सेतु के पहुंच मार्ग भाग का विस्तृत आगणन लागत रु0 1155.39 लाख" का स्वीकृति हेतु शासन को प्राप्त हुआ है। जिस पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। व्यय वित्त समिति का अनुमोदन होते ही इस कार्य की स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। ओवर ब्रिज के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब होने से जनता में असन्तोष तथा आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करती हूं कि अपेक्षित धनराशि स्वीकृति कर इस ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु अविलम्ब कार्यवाही की जाय जिससे जनता को रोज की त्रासदी से मुक्ति मिल सके।]

महाराजगंज जनपद के पिपराखादर गांव के पास क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण बरसात से पहले कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

[अध्यक्ष महोदय, सादर अवगत करा.. है कि गोरखपुर से पिपराइच, परतावल, पुरैना खण्डी चौराहा से ठूठीबारी नेपाल सीमा तक जाने वाली सड़क के महाराजगंज जनपद के पिपराखादर गांव के पास सड़क पर स्थित पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है आवागमन तथा यातायात पूरी तरह अवरुद्ध है पुल के टूटने से जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है खेद है कि इसे अभी तक लोक निर्माण विभाग का जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं आया।

अतः प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली नियम-301 के अन्तर्गत आपके माध्यम से विभाग का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं मांग करता हूं कि बरसात से पहले पुल निर्माण का सरकार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आश्वासन दे तथा जब तक पुल का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक अस्थायी पुल की व्यवस्था करें।]

बुलन्दशहर-स्याना मार्ग पर सड़क दुर्घटना में मृतक नत्थी सिंह के परिजनों एवं अन्य घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर सिंह-

[अध्यक्ष महोदय, दिनांक 19-5-2007 को नत्थी सिंह पुत्र सुखराम सिंह निवासी ईलना थाना औरंगाबाद गांव के राम स्वरूप व अन्य 5 व्यक्तियों के साथ मारुति वेन से गांव की तरफ आ रहे थे। बुलन्दशहर स्याना मार्ग पर ग्राम इस्माइल के सामने गाड़ी सं0 यू0पी0 01, 4470 का ड्राइवर लापरवाही व तेजी से चलाता हुआ आया मारुति वेन में टक्कर मार दी जिससे नत्थी सिंह पुत्र सुखराम सिंह आयु लगभग 55 वर्ष व राम स्वरूप को गम्भीर चोटें आयी अन्य 3 व्यक्ति भी घायल हुये। जिला राजकीय चिकित्सालय बुलन्दशहर में सभी घायलों को इलाज हेतु लाया गया। नत्थी सिंह पुत्र सुखराम सिंह की स्थिति अत्यन्त गम्भीर थी। डाक्टरों ने नत्थी सिंह को मेडिकल कालेजों को रिफर कर दिया। रास्ते में जाते समय नत्थी सिंह पुत्र सुखराम की मृत्यु हो गयी सभी व्यक्ति अत्यन्त गरीब हैं।

अतः मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री अपने विवेकाधीन कोष से मरने वाले नत्थी सिंह पुत्र सुखराम सिंह को रुपये दो लाख रुपये व गम्भीर रूप से घायल राम सिंह को एक लाख व घायल लोगों को 50 हजार रुपये की सहायता प्रदान करें। अब तक किसी प्रकार की सरकारी सहायता अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है।]

गाजियाबाद के गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत ब्रजघाट से पूठ को जोड़ने हेतु बीच में स्केप(नाले) पर पुल के निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन चौहान-

[- - महोदय, ब्रजघाट व पूठ एक अत्यन्त पौराणिक धार्मिक स्थल हैं, गुरुकुल मौजूद हैं। इतिहास में पुष्पावती नगर के नाम से जाना जाता है गंगा के किनारे बसा है। विभिन्न अवसरों पर घाट पर दूर-दूर से श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। लाकन ब्रजघाट हाइवे से जो रास्ता अत्यन्त नजदीक है तथा [illegible] से कम 30 (तीस) ग्रामों को प्रभावित करता है। बीच में नाले का पुल न होने से ग्रामों के नागरिकों व स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को 15 कि0मी0 की दूरी तय करने के बाद आ पाते हैं।

अतः क्षेत्रीय नागरिकों व श्रद्धालुओं की सुविधा तथा पौराणिक स्थान को दृष्टिगत रखते हुए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित [illegible] निर्माण हेतु कार्यवाही का अनुरोध करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोरखपुर स्थित रामगढ़ झील को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर महानगर में स्थित 1700 एकड़ क्षेत्र में फैली रामगढ़ ताल झील उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। लुम्बनी-कुशीनगर-वाराणसी के केन्द्र में स्थित होने के कारण इस झील के अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनने की बहुत सम्भावना है। इसके अलावा इसके सौन्दर्यीकरण के उपरान्त यह दक्षिण भारत के ऊंटी एवं काडेई कैनाल जैसे महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित हो सकेगी तथा उत्तर प्रदेश में पर्यटन के नये सम्भावनाओं का विकास होगा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के दसियों हजार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे।

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग के "राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय" ने "राष्ट्रीय झील सम्भरण योजना" में रामगढ़ ताल झील को प्रदूषण मुक्त कराकर पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने को शामिल करते हुए पत्रांक जे-16011/3/2002-एन0आर0सी0डी0 दिनांक 3 फरवरी, 2003 को श्री अतुल गुप्ता, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर सम्पूर्ण योजना का "विस्तृत प्रारूप रिर्पोट" शीघ्र बनवाकर भेजने के लिए कहा था। भारत सरकार सम्पूर्ण लागत का 70% देने के लिए तैयार थी, उत्तर प्रदेश शासन को सिर्फ 30% लागत मूल्य देना था।

उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग (गंगा सेल) ने पत्रांक 438/सी0जी0ए0/9-5-2003/11 (5)2002 दिनांक 8 सितम्बर, 2003 को रुपये 59.62 करोड़ की एक योजना भेजी थी तथा यह भी लिखित रूप से कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्रांक 3160/9-5-2002-15 सी0एम0/2002 दिनांक 16 सितम्बर, 2002 के माध्यम से अपने 30% हिस्से के योगदान की सहमति दे दी है।

अतिरिक्त निदेशक, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने पत्रांक 16011/37/2002 एन0सी0आर0डी0 दिनांक 16 फरवरी, 2004 में भेजी गयी थी योजना को अपूर्ण बताते हुए इसे पुनः संशोधित करके भेजने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश जल निगम के मुख्य अभियन्ता ने पत्रांक 1101/कार्य/36/14 दिनांक 31-3-2004 को रुपये 60.47 करोड़ की संशोधित योजना भेजी।

यह अत्यन्त दुःखद है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास तथा प्रदेश में एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के विकसित होने की सम्भावना भी अधिकारियों की संवेदनहीनता के कारण समाप्त हो रही हैं।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय को विधान सभा कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम-51 के तहत उठाने तथा शासन को वक्तव्य देने हेतु निर्देशित करें।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 03 जुलाई, 2007 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल तीन सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली,

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1958 के नियम-183 से 196 का उल्लघंन किये जाने व विधान सभा सदन द्वारा प्रायोजित बजट का जनपद प्रतापगढ़ में दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री अजय पाल सिंह की भारतीय संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1999 तथा उ0प्र0 जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 के प्राविधानों को लागू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल तथा श्री नरेन्द्र वर्मा की प्रदेश में विकास कार्यों हेतु त्वरित विकास योजना के अन्तर्गत विधान सभा की प्रक्रिया कार्य-संचालन नियमावली के नियम-183 से 196 व 197 से 199 तक के अनुसार स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों को वर्तमान सरकार के शासनादेश द्वारा रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

माननीय तिवारी जी यह नियम-300 में कहां से आता है ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम-183 से 196 तक का उल्लंघन किये जाने व विधान सभा द्वारा प्रायोजित बजट का जनपद प्रतापगढ़ में दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कृपया नियम-300 देख लें, फिर मैं बता देता हूं। औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, मैं यहीं विराम करता हूं। औचित्य प्रश्न इन नियमों से आशय उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली से है।

श्री अध्यक्ष-

और आगे पढ़ दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पूरा पढ़ दे रहा हूं। "औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।" शब्द अध्यक्ष है। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष सदन होता है और सदन ही अध्यक्ष होता है। आप ही में तो पूरा सदन समाहित है। मान्यवर, आज ही सबसे ज्यादा यह औचित्य का प्रश्न भी है क्योंकि हम सामान्य बजट एर चर्चा करने जा रहे हैं। सामान्य बजट पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है ? हम प्रदेश के एक वर्ष के लिये निर्धारित करते हैं कि हमें किस मद में कितना खर्च करना है। जिस मद में खर्च करना होता है, 4 दिन हम उस पर सामान्य चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद विभिन्न दिनों पर बजटवार चर्चा करते हैं। मान्यवर, इस सदन की पवित्रता इसी में है इस सदन का अधिकार इसी में है कि हम एक निश्चित धनराशि, निश्चित उद्देश्य के लिये, निश्चित मद में देते हैं और उसके बाद उसी मद से दी गयी धनराशि उसी मद में खर्च की जानी चाहिए। इस सदन का यह आशय नहीं है यहां बैठकर। हम चर्चा क्यों करते हैं, हम पढ़कर सुना देते और पढ़कर सुना देने की सूचना ही पर्याप्त होती ? हम चर्चा इसलिए करते हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जिस पैसे को जनता की गाढ़ी कमाई का खर्च करने जा रहे हैं उस पैसे का समुचित उपयोग हो। मान्यवर, इसीलिये जैसा कि मैं आपके ध्यान में लाया हूं आप देख लें, 183 से लेकर 196 तक तमाम नियमावली में विद्वानों ने नियम बनाये हैं कि किस तरह से यह आयेगा, कैसे चर्चा होगी, कैसे धनराशि स्वीकृत होगी ? मान्यवर, इसी तरह कुछ पैसा हम जिला पंचायतों को देते हैं। पंचायत राज विभाग को देते हैं और पंचायत राज विभाग से जिला पंचायतों को देते हैं। मान्यवर, दशम् वित्त आयोग से भी पैसा जाता है पंचायतों को। बहुत सी ऐसी योजनायें हैं जिसमें केन्द्र और प्रदेश की योजनाओं में, जिला पंचायत उसको खर्च करता है। जैसे 30 प्रतिशत सुनिश्चित रोजगार योजना पर जिला पंचायत ही तय करता है कि यह पैसा कहां खर्च किया जायेगा ? मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ के सम्बन्ध में आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपके माध्यम से जानकर सरकार को भी आश्चर्य होगा कि पिछले दो वर्षों में, जो पैसा यहां सदन बैठकर सुनियोजित ढंग से किसी कार्य के लिये भेजता है, उस कार्य में उसका उपयोग न करके सीधा-सीधा आहरण गबन के रूप में किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में जिला पंचायत ऐसी सड़कें बनवा रही है जो पहले से बनी थीं या वह सड़कें कागज पर ही बनती हैं या कागज पर ही बिगड़ जाती है मान्यवर, सबसे एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला कि कुछ तालाब खोद दिये गये और पैसा आहरित हो गया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं....

मान्यवर, तालाब खोद दिये गये पैसा ले लिया गया और जब आपत्ति हुई और शिकायत हुई कि तालाब खोदा नहीं गया तो उसी तालाब को पाट दिया गया। इस प्रकार से मान्यवर, पैसा दो बार लिया गया, एक बार तालाब को खोदने का और दूसरी बार उसे पटवाने का। मान्यवर, आखिर इस सदन का औचित्य क्या है ? क्या हम सदन में पैसे को स्वीकृत करते रहेंगे और वह पैसा जनता के हितों के लिए न खर्च होकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहेगा ? मान्यवर, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और विश्वासपूर्वक आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि वहां का भौतिक सत्यापन करा लीजिए और देख लीजिए कि तालाब कहां खोदा गया, सड़कें कहां बनी और जो पैसा आपने जिस मद के लिए दिया था वह उस मद में खर्च हुआ या नहीं। मान्यवर, जिस दिन आप इसका भौतिक सत्यापन सात-आठ दिनों के लिए एक टीम भेजकर करा लेंगे तो आप भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि भ्रष्टाचार का इससे बड़ा, मान्यवर, भ्रष्टाचार के साथ-साथ मैं इसमें गुण्डागर्दी शब्द भी जोड़ना चाहता हूं, भ्रष्टाचार और गुण्डागर्दी का इससे बड़ा नमूना आपको नहीं देखने को मिलेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनता की गाढ़ी कमाई की रक्षा के लिए इस सदन के अधिकारों की रक्षा के लिए आपके माध्यम से इस बजट को जिसे हम जिस मद के लिए पारित करते हैं, उसी मद पर खर्च करने के लिए सरकार से व्यवस्था चाहते हैं कि जो पैसा हम यहां से स्वीकृत करते हैं वह पैसा जिस मद के लिए स्वीकृत किया जाता है, उसी मद पर खर्च किया जाए। मान्यवर, मैं चुनौती देते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि इसका भौतिक सत्यापन करा लिया जाए, यह मेरा आपसे आग्रह है।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह सरकार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में है और यह सरकार भ्रष्टाचार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए तथा भ्रष्ट और गुण्डों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए दृढ़ संकल्प है। जहां तक प्रतापगढ़ जनपद के भ्रष्टाचार की बात है, जिस पर माननीय प्रमोद तिवारी जी ने सवाल उठाया है, उसके लिए जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को निर्देश दिये जा चुके हैं और जांचोपरान्त निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। जहां तक औचित्य का सवाल है तो माननीय प्रमोद तिवारी जी स्वतः इस बात से सहमत होंगे कि औचित्य के जितने भी बिन्दु इसमें दिये गये हैं उसकी श्रेणी में दूर-दूर तक यह नहीं आता है लेकिन माननीय तिवारी, जी वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके पास कला है और प्रकृति ने भी वह कला उन्हें दे रखी है और उसका उपयोग करते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सूचना दी है तो निश्चित रूप से हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं भौतिक सत्यापन कराये जाने पर बल दे रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, निश्चित रूप से जांच जब होती है तो भौतिक सत्यापन भी आयेगा, केवल कागजी जांच नहीं होगी और निश्चित रूप से उस आधार पर कार्यवाही भी की जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री प्रमोद तिवारी जी को और माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी को सुना, यह नियम-300 में नहीं आता है, इसलिए मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

*श्री बृजेश सौरभ-

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने प्रतापगढ़ जनपद के भ्रष्टाचार को पूरे सदन के सामने रखा। मान्यवर, कुछ विषय इसमें से छूट गये हैं, जैसे सहकारिता विभाग के बारे में भी हम चर्चा करना चाहते हैं लेकिन हम उन ब्लाकों और विकास खण्डों के बारे में भी कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप भी लिख करके दे दीजिएगा।

श्री बृजेश सौरभ-

मान्यवर, तिवारी जी ने समूचे जनपद के विषय में कहा है लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक घटनाओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां पर सड़क निर्माण हो चुका है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप लिख करके दे दीजिएगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बृजेश सौरभ-

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि वह विषय भी सदन के सामने आना चाहिए और जो लोग दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप लिख करके दे दीजिएगा।

श्री बृजेश सौरभ-

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि भौतिक सत्यापन किसी एक ब्लॉक का, किसी एक क्षेत्र विशेष का न करके, समूचे जनपद का करा लिया जाए। क्योंकि पूरे जनपद में वे तत्व ऐसा काम करते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस सूचना को निरस्त कर चुका हूं। अगली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी की है।

भारतीय संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम 1999 तथा उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम-1999 के प्राविधानों को लागू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आजादी के बाद हम लोगों ने पार्लियामेण्टरी डेमोक्रेसी का गठन किया, संविधान बनाया, संसद, विधान सभा बनी, पंचायत और स्थानीय निकाय बने। हम लोग अपना पार्लियामेण्टरी डेमोक्रेसी चलाते रहे लेकिन जिला पंचायत और स्थानीय निकाय उपेक्षित रहे। महात्मा गांधी जी, बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जिनका सपना था कि लोकतंत्र की जड़ें नीचे तक पहुंचे, लेकिन हम उन्हें मजबूत नहीं कर पाये। राज्यों को संविधान के अनुच्छेद-40 के अनुसार कानून बनाना था लेकिन नहीं बनाये गये। वर्ष 1986 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी कि नगर निकायों और नगर पालिकाओं के चुनाव सही समय पर होने चाहिये अर्थात् 5 साल में होने चाहिये। उस पर 20 सितम्बर, 1991 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में निर्णय दिया कि इन संस्थाओं में जो 5 साल में चुनाव न कराये जाने का कानून है वह अवैध है। इस चीज को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और यह ए0 आई0 आर0 1992 में रिपोर्टेड भी हुआ। हम लोगों के नेता श्री राजीव गांधी ने स्थानीय निकायों को मजबूत करना चाहते थे, और उनको मजबूत करने के लिये कोशिश की थी 30 अप्रैल, 1994 को संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्यों की जिला योजना समिति और महायोजना समिति का गठन करना था। फिर संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के अनुसार यह कार्य एक साल में होना था। आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र इन तीनों राज्यों को छोड़कर और किसी भी राज्य ने कोई कानून नहीं बनाया और आज स्थिति यह है कि जो जवाहर लाल नेहरू अरबन डेवलेपमेण्ट मिशन है या केन्द्र सरकार की और योजनायें जो राज्यों को मिलनी हैं, केन्द्र सरकार ने कहा है कि जवाहर लाल नेहरू अरबन डेवलेपमेण्ट मिशन के तहत राज्यों को पैसे नहीं दिये जायेंगे जब तक 74वें संविधान संशोधन के अनुसार समिति का गठन न कर लें। इसी सदन में 29 जुलाई, 1999 में उत्तर प्रदेश योजना समिति

को वर्ष 1999 में हम लोगों ने यहां पास किया। इसके प्राविधान प्रदेश में आज तक लागू नहीं है। जिला महायोजना समिति बननी है। इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार को कह रही है कि जब तक इसको लागू नहीं करेंगे हम पैसा नहीं देंगे। एक प्रश्न था उसके उत्तर में बताया गया था कि मिशन की कार्यावधि 7 वर्षों अर्थात् 2012-2013 तक निर्धारित है जिसके अन्तर्गत मिशन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूर्ण किया जाना है। इसमें गरीबों के लिये यातायात की व्यवस्था करने, गरीबों झोपड़ पट्टियों में रहने वालों के आवास की व्यवस्था करना, सड़कें व पुल, अग्नि शमन आदि सेवाओं की व्यवस्था की जानी थी, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति भारत सरकार से धन का आवंटन प्राप्त होने पर ही निर्भर करेगा। भारत सरकार कह रही है कि जब तक लागू नहीं करेंगे, तब तक हम धन देंगे नहीं। दुःख की बात है कि 1994 के बाद तमाम सरकारें आयीं, मैं किसी पार्टी विशेष पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं। लेकिन लगता है कि सरकार जिला पंचायत और स्थानीय निकाय हैं, उनके सम्बन्ध में गम्भीर नहीं है, उनके विकास के लिये जो हमारे नेता थे उन लोगों के सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। 11वीं और 12वीं अनुसूची में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं। हमने मास्टर प्लान पास कर दिया है जिसमें जिला योजना समिति के 4/5 सदस्य जिला पंचायत और स्थानीय निकाय से चुने जायेंगे और 1/5 सदस्य सरकार अपने से नामित करेगी। यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य संक्षेप में प्रस्तुत करें, आपने लगभग सारी बातों का उल्लेख कर दिया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

सरकार का स्पष्ट बयान आना चाहिये। महायोजना समिति में जो संविधान संशोधन करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसका प्राविधान है उसको हम कब तक लागू करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

सरकार के संज्ञान में आपकी बात आ गई।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, नियम 300 आप देखें औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। दूसरा भाग है औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा। तो नियमो के तहत यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। जहां तक जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति को क्रियाशील करने का सम्बन्ध है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के माध्यम से जिला योजना समिति गठित करने की व्यवस्था की गई है। यह समिति अभी तक क्रियाशील नहीं हो सकी है। जिला योजना समिति को क्रियाशील किये जाने का प्रकरण अभी जल्दी मंत्रिपरिषद् की बैठक में विचारार्थ रखा गया था और मंत्रिपरिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 में अपरिहार्य संशोधन करते हुये जिला योजना समिति को क्रियाशील करने तथा जिला योजना संरचना की

व्यवस्था अपनाते हुये कराऐ जाने का निर्णय लिया है। महानगर योजना समिति के सम्बन्ध में भी नगरीय मेट्रोपोलिटिन सिटी नगर विकास विभाग नोटीफाई है उन जनपदों में अनुच्छेद 243 जेड0 ई0 के अधीन मेट्रो प्लानिंग कमेटी की व्यवस्था करने की कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा की जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब पूरी बात आ गई।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, संविधान का 74वां और 75वां अनुच्छेद आपको अधिकार देता है इसलिये यह औचित्य का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है हम आशा करते हैं कि उसे वह जल्दी ही पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने श्री अनुग्रह नारायण सिंह को सुना, संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं। तीसरी सूचना श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की है।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी संसदीय कार्यमंत्री जी ने एक परम्परा बना दी है कि औचित्य के प्रश्न पर उत्तर देते समय वह नियम 300 पढ़ देते हैं और बता देते हैं कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। आप कहें तो मैं भी पहले पढ़ना शुरू करूं कि यह औचित्य का प्रश्न बनता है उसके बाद अपनी बात रखूं। औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। जो मैं प्रश्न उठा रहा हूं वह अध्यक्ष जी के संज्ञान में है।

श्री लाल जी वर्मा-

नियम 300 का दूसरा भाग भी तो पढ़ें।

श्री अध्यक्ष-

जब पहले से काम चल जाए तो दूसरा भाग क्यों पढ़े।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जो मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं वह इसी विधान सभा में पारित हुआ, कार्यवाही का अंग बना जब कार्यवाही का अंग बना तो अध्यक्ष जी के संज्ञान में स्वतः है। संविधान के अनुच्छेद 196 के तहत विधान सभा की संरचना की गई और संरचना करने के बाद धन विधेयक के सम्बन्ध में लोअर हाउस को अधिकार दिया गया विधान परिषद् को नहीं दिया गया। श्रीमन् इस सदन में बजट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमने पेश किया तो नियमों के तहत सदन में डिस्कसन के बाद पास किया। तो फिर उसके बाद अगर उसमें कोई परिवर्तन करना होगा तो इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि नियमों के अनुरूप आप करें। विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली-1958 के नियम-183 से 196 व 197 से 199 आप देख लें। इसमें आय व्ययक और उसका विवरण, सप्लीमेन्ट्री, उसके आगे विनियोग विधेयक कैसे आयेगा ? अगर कोई चीज का बदलाव करना है तो सप्लीमेन्ट्री बजट में उसका प्राविधान समाप्त करके नये प्राविधान को सदन में लाया जायेगा, उनको पास किया जायेगा। श्रीमन् मुझे याद है कि गत वर्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने एक स्टे दे दिया था कि फलां विभाग के धन को जो स्वीकृत धन है उसको अवमुक्त नहीं किया जायेगा। सरकार जब एस0 एल0 पी0 के लिये सर्वोच्च न्यायालय गई तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिया उसमें उच्च न्यायालय को इस बात के लिये फटकार लगाई गई कि वित्तीय स्वीकृति के मामले में उच्च न्यायालय को कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। मान्यवर, बड़ा स्पष्ट जजमेंट था और हम सबने भी उस समय चिन्ता व्यक्त की थी कि यह अधिकार अगर माननीय न्यायालयों को हो गया तो फिर सदन का क्या औचित्य रह जायेगा। हम इस सदन में कुछ भी पास करेंगे और माननीय न्यायालय उसके खर्च को रोक देगा। सरकार की नीति रुक जायेगी उसका काम रुक जायेगा। इस मारे यह अधिकार जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सदन का मान लिया तो फिर सरकार को तो उसका और स्वागत करना चाहिये और उसका पालन करना चाहिये। श्रीमन् अब हम विषय पर आते हैं कि सदन में जो 2006-2007 का बजट पास किया गया उसमें प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु 1315 कार्यों के लिये 85.600 करोड़ रुपये की स्वीकृति त्वरित विकास योजना में करी और उसमें से 64.927 करोड़ रुपये अवमुक्त किया गया। काम शुरू हो गया और तमाम योजनाओं पर 50 प्रतिशत तक काम हो गया और इसी बीच आचार संहिता लागू हो गई और काम को रोक दिया गया। 8 जून को सरकार ने एक जी0 ओ0 के माध्यम से यह आदेश दिया। श्री वेंकटचलम शायद किसी विभाग के प्रमुख सचिव हैं उन्होंने जी0 ओ0 जारी किया कि जिन योजनाओं पर 80 प्रतिशत से ऊपर काम हो गया है उनको पूरा करने के लिये धन अवमुक्त किया जाय और उससे नीचे जो कार्य किये गये हैं उनको रोक दिया जाय और जो पैसा जिलाधिकारी के माध्यम से विभागों को दिया गया था उस पैसे को शासकीय कोष में जमा कर दिया जाय। मैंने कल भी एक बात उठाई थी कि करीब 7 हजार करोड़ पी0 एल0 ए0 में जमा है और उसके लिये अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। धन पी0 एल0 ए0 में पड़ा है ओर योजनायें रुकी हुई हैं। बजट में वह पैसा दिखकर पी0 एल0 ए0 का वह पैसा सरकार की आय में जोड़ दें लेकिन सत्यता से वह पैसा सरकार की आय नहीं है वह पैसा पी0 एल0 ए0 का जो पैसा योजना की मद में खर्च पैसा है वह माना जाता है। बजटीय आंकड़ों में जोड़कर सरकार का बजट बढ़ा लेना पी0 एल0 ए0 के माध्यम से, यह उचित नहीं है। यह धन जो अवमुक्त हो चुका है जो विभाग को जा चुका पैसा है जिससे 50 प्रतिशत कार्य हो चुका है उस कार्य को एक जी0 ओ0 के माध्यम से सरकार कहे कि इस पैसे को शासकीय कोष में जमा कर दिया जाय यह पूर्ण रूप से सदन की अवमानना है। अगर संसदीय कार्य मंत्री जी आपको उन योजनाओं को बन्द करना था, उन पर इस पैसे को नहीं लगाना था तो आप इस बजट में लाते। आपने दो महीने का जो अनुपूरक बजट लाये उसमें इसको लाते कि आप इन

योजनाओं को बन्द कर रहे हैं। तो हमारी समझ में आता। सदन में संज्ञान में आया जिस सदन ने पास किया था उसी सदन ने उसको अस्वीकृत किया। लेकिन आपने ऐसा करना उचित नहीं समझा और श्रीमन् अगर ब्यूरोक्रेसी इस सदन के ऊपर मान ली गयी तो फिर नौकरशाही जिसका यह कार्य है कि सदन की नीतियों को, जो नीति हम बनायें उन नीतियों को सही तरीके से लागू करना अगर वह नौकरशाही सदन के ऊपर मान ली जाय तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वह बेकार हो जायेगा। और इस सदन का क्या औचित्य रह जायेगा। मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है। योजनाओं पर पैसा खर्च हो चुका है और सरकार का आदेश हो गया कि बचा हुआ पैसा शासकीय कोष में जमा कर दिया जाय। उन योजनाओं के बारे में सरकार की क्या नीति है जिन पर 40-50 प्रतिशत काम हो गया। अगर आपको ऐसा करना था तो आपको इसको सदन के संज्ञान में लाना चाहिये था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? आपको उसके कारण बताने चाहिये था। और बहुमत के आधार पर वह पास होता। आपको बहुमत है और वह पास हो जाता लेकिन विचारधारा, सुझावों ओर हमारी तकलीफों को तो सदन में सुना जायेगा। जो यह आदेश 8 जून को जारी हुआ है यह अवैध है। ब्यूरोक्रेसी को अधिकार नही है इस तरह के जी0 ओ0 जारी करने का । अगर आपको बदलाव करना है तो आप अनुपूरक बजट पेश करके उसके माध्यम से परिवर्तन करते। उस परिवर्तन पर कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

पूरी बात आ गई है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

इस तरह से बदलना तो विधान सभा की अवमानना है, हमारे अधिकारों की कटौती हैं इस तरह की परम्परा पड़ती चली गई तो भविष्य में डेमोक्रेसी का स्वरूप क्या होगा इस पर हमारी चिन्ता हैं मै इस औचित्य के माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री जी आपसे एक बात कहूंगा कि यह नियम 300 में आता है या नहीं इसको संसदीय कार्य मंत्री जी बाद में शुरू करें पहले बात जो आई है उस पर प्रकाश डालें। फिर अपनी बात पर आयेंगे तो सही होगा तो ज्यादा न्यायसंगत होगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने संसदीय कार्यमंत्री को बुला लिया है। इतना तो नियम 300 पर होना भी नहीं चाहिये मैंने बुलवा लिया है। आप तो वरिष्ट सदस्य हैं, आप बैठें।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने जो विषय उठाया है मैं उनकी इच्छा के अनुसार बाद में उस बात पर आऊंगा कि यह औचित्य का प्रश्न बनता है या नहीं ? मान्यवर, इन्होंने अपने विचार रखते हुये कहा कि विधान सभा को धन विधेयक के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार दिया गया है और

इसलिये दिया गया है ताकि जन आकांक्षाओं के अनुसार विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सके। निश्चित रूप से मान्यवर सरकार को यह अधिकार है कि विभिन्न योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करें और जन आकांक्षाओं के अनुरूप इसको पूर्ण करने का निर्णय लेने का काम करें। स्वतः इन्होंने इस बात को कहा। जिन योजनाओं पर कार्य 80 प्रतिशत हुआ है उसको पूरा करने का निर्देश दिया गया है। एक यह बात कही कि जिन पर 50 प्रतिशत कार्य हुआ, लेकिन चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू होने के कारण रोक लगा दिया गया। अग्रवाल जी और सभी सदस्य जानते हैं कि जिन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके थे वह आचार संहिता की सीमा में नहीं आते थे। इसलिये आचार संहिता के द्वारा कार्य रोकने का काम नहीं किया गया।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जिन योजनाओं पर कार्य शुरू हो गया था उनको रोक दिया गया। आचार संहिता में जो कार्य शुरू हो गया था उनको रोका गया।

श्री लाल जी वर्मा-

नई सरकार का गठन हुआ है। नई सरकार ने समीक्षा की और संबंधित मंत्रिगणों ने मुख्य मंत्री जी स्तर पर और समीक्षा के अनुसार जिन कार्यों को पूर्ण करना जनहित में था। इसके लिये निर्देश दिये गये हैं। माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। जब उनकी सरकार थी मैं इसी सदन का सदस्य था। 2003 में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सड़क के लिये 75 लाख रुपये स्वीकृत हुये। 34 लाख उसमें अवमुक्त हो चुका था 34 लाख शेष के लिये मैं साढ़े तीन वर्ष सवाल लगाता रहा। लेकिन वित्तीय संसाधनो की कमी के कारण योजनाओं को पूरा नहीं किया गया हमारी सरकार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में प्रदेश की जन आकांक्षाओं के अनुरूप बिना भेद-भाव के जनता के हितों को ध्यान में रखते हुये निर्णय लेने का काम करेगी। इसमें ब्यूरोक्रेसी का सवाल कहां से आता है ? मंत्रिपरिषद् सदन के प्रति जवाब देह है। सदन के विश्वास के उपरान्त मंत्रिपरिषद् रहता है। मंत्रिपरिषद् के द्वारा जो निर्णय लिये जाते हैं। उसमें बाद में जो सदन में लाने की जरूरत होती है उसको लाया जाता है और एक अनवरत यह प्रक्रिया है, समय-समय पर समीक्षा करके उनको पूरा करना या उसमें परिवर्तन करना। निश्चित रूप से यह सूचना 300 के अन्तर्गत नहीं आती है। मान्यवर, मा0 नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने पहला पोरशन पढ़ा और दूसरा जो दो नम्बर पर था, उसे पढ़ने का कार्य नहीं किया। इसलिये अनुरोध है कि इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 नरेश चन्द्र अग्रवाल जी और संसदीय कार्य मंत्री को सुना, यह नियम-300 में नहीं आती अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

पन्द्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2007 (दिनांक 21 मई, 2007 से 23 मई, 2007 तक) में नियम 301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण†

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2007 (दिनांक 21 मई, 2007 से 23 मई, 2007 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 02 जुलाई, 2007 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 03 जुलाई, 2007 से 27 जुलाई, 2007 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :--

1-दिनांक 03 जुलाई, 2007 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं ली जायं।

2-दिनांक 03 जुलाई, 2007 से दिनांक 27 जुलाई, 2007 तक का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :--

जुलाई, 2007

03 मंगलवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना। 2-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। 3-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-- (क) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)। (ख) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)।
04 बुधवार 05 गुरुवार 06 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
07 शनिवार 08 रविवार	बैठक नहीं होगी।

नोट :-† छापा नहीं गया।

जुलाई, 2007

09 सोमवार	1-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-विधायी कार्य।
10 मंगलवार 11 बुधवार 12 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।
13 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन)। 2-विधायी कार्य (आधा दिन)।
14 शनिवार 15 रविवार	बैठक नहीं होगी।
16 सोमवार 17 मंगलवार 18 बुधवार 19 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।
20 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन)। 2-विधायी कार्य (आधा दिन)।
21 शनिवार 22 रविवार	बैठक नहीं होगी।
23 सोमवार 24 मंगलवार 25 बुधवार 26 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।
27 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-**3.00 बजे अपराह्न** उत्तर [illegible] विनियोग विधेयक, 2007 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, सहमत है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत हैं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8 में कुछ नहीं है।

प्रदेश के कतिपय विश्वविद्यालयों की सभा में कार्य करने हेतु प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

*उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपके आदेश से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दें, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, छत्रपति शाहूजी महराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी व चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (xiv) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी,पहले जो प्रस्ताव माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी लाये हैं वह प्रस्ताव तो पारित करा लें। मैं प्रश्न रख रहा हूं। प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दें, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, छत्रपति शाहूजी महराज विश्वविद्यालय, कानपुर, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी व चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (xiv) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

प्रदेश के कतिपय विश्वविद्यालयों की सभा में कार्य करने हेतु प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यो के नाम नाम-निर्देश करने के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि-

" यह सदन प्रस्ताव करता है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, छत्रपति शाहूजी महराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी व चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (xiv) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन, कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 03 जुलाई, 2007 को स्वीकार किया गया है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त विश्वविद्यालयों की सभा में कार्य करने के लिये, यथास्थिति, पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर श्री अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त विश्वविद्यालयों की सभा में पांच-पांच सदस्यों का नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उपर्युक्त विश्वविद्यालयों की सभा में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिये यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालयों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

श्री अध्यक्ष-

"प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, छत्रपति

शाहूजी महराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीट, वाराणसी व चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (xiv) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन, कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 03 जुलाई, 2007 को स्वीकार किया गया है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त विश्वविद्यालयों की सभा में कार्य करने के लिये, यथास्थिति, पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर श्री अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त विश्वविद्यालयों की सभा में पांच-पांच सदस्यों का नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उपर्युक्त विश्वविद्यालयों की सभा में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिये यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त विश्वविद्यालयों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता हैं।

*लोक निर्माण एवं आवास मंत्री (श्री नसीमुद्दी सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह दूसरा वाला प्रस्ताव भी रख दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं वही रख रहा हूं। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें;

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह तो स्वाभाविक है कि सरकारें बदलती हैं तो विभिन्न स्थानों पर जो व्यक्ति नियुक्त हुए हैं वह भी बदल जाते हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि उसका स्वरूप क्यों बदला जाता है, उसका प्रारूप क्यों बदल जाता है, व्यक्ति बदलना तो समझ में आता है, वह दल के हो सकते हैं, वह दल से सम्बन्धित हो सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग हो सकते हैं, दूसरी सरकार राजनैतिक क्षेत्र के लोगों पर क्यों हाथ रखेगी यह बात तो समझ में आती है, लेकिन हर बार सरकार बदलेगी, यह कन्टीन्यूइंग प्रोसेस है, आज से नहीं जब से इसका गठन हुआ है तब से चल रही है, यह जरूरी नहीं है कि हर वक्त जब आयेंगे तो विचार करेंगे कि उसका स्वरूप बदले। अभी तक अध्यक्ष निजी क्षेत्र का व्यक्ति होता था, सरकार उसको नियुक्त करती थी, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है और पदेन अध्यक्ष उनको बना दिया है जो नगर विकास के सचिव या प्रमुख सचिव होंगे। वह तो अध्यक्ष थे ही, शासन की ओर से पहले ही उनको सारे अधिकार मिले हुए हैं। निजी क्षेत्र की इसमें इसलिए नियुक्ति हुई थी वह जन आकांक्षाओं को समझ करके संचालन कर सकें और उसको हटा दिया। हटाने के बाद यह कहते हैं कि पदेन हैं, खर्चा नहीं होगा, लेकिन खर्च बढ़ा दिया। एक हटाया तीन लगा दिया। अध्यक्ष को हटाकर तीन उपाध्यक्ष बना दिये और यह प्राविधान कर दिया कि आवास विकास का जो बजट होगा उससे सारा खर्चा किया जायेगा। पहले तो शायद एक गाड़ी और कार्यालय की व्यवस्था होती होगी, लेकिन अब तीन कार्यालय होंगे, तीन गाड़ियां होंगी इसका खर्चा तो आयेगा। मान्यवर, आप आवास विकास परिषद् की वित्तीय स्थिति क्या है, यह तो जानते ही हैं। अगर तीन पर खर्च करना था तो विधेयक के साथ एक ज्ञापन भी आ जाता कि हम अतिरिक्त खर्चा करने जा रहे हैं। हमें भी पता चल जाता कि कितना पैसा खर्च होने जा रहा है, लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया। एक विधेयक आ गया और यह अपेक्षा की जाती है कि इसको पास कर दीजिये लेकिन सदन की जानकारी में नहीं दिये कि आपको इसके स्वरूप को बदलने के पीछे आवश्यकता क्या है ?

जो व्यवस्था चल रही थी, उसमें कुछ कमी नजर आई और अगर कमी नजर आई तो एक को हटा करके तीन लोगों को और नियुक्त कर दिया आपने। फिर सारे के सारे जो अधिकारी रखे हैं इसमें प्रमुख सचिव नगर विकास के अतिरिक्त आपने दुनिया भर के भी प्रमुख सचिव और सचिव रखे हैं और भी प्रमुख सचिव, सचिव रखे हैं, उनको अधिकार आपने यह दिया है कि स्वयं न जा सके बैठक में अपनी ओर से किसी को मनोनीत करके भेज दें। सम्भवतः इसलिए भेज दें कि हो सकता है कि कभी नगर विकास प्रमुख सचिव की जगह, वित्त सचिव ही उसके पदेन अध्यक्ष हो जायें तो दूसरा प्रमुख सचिव वहां जाना उचित नहीं समझेगा। यह बात तो सही है, उचित लगती है लेकिन फिर इस सारे आडम्बर की आवश्यकता क्या थी आपको रखने की ? जैसा चल रहा था, ठीक चल रहा था वह भी। निरन्तरता बनी रहे तो सबकी समझ में आता है, बार-बार उसको बदलते रहेंगे तो फिर एक नये सिरे से चैप्टर शुरू करना पड़ता है। इसी के माध्यम से मान्यवर, एक-दो बातें मैं रखना चाहूंगा, नम्बर-एक तो यह है कि आवास एवं विकास परिषद्, क्योंकि अभी जब कभी यह बनी होगी, जब विभिन्न नगरों में विकास प्राधिकरण नहीं थे अब कोई महत्वपूर्ण नगर ऐसा नहीं बचा, जिसमें ऐसे विकास प्राधिकरण न बन गये हों। लखनऊ में है, गाजियाबाद में है, सहारनपुर में है, मुजफ्फरनगर में है, इलाहाबाद में है, वाराणसी में है। बहुत बड़ी संख्या उनकी हो गई है, यह डुप्लीकेसी नहीं होगी वह

भी यही काम करेंगे, यह भी वहीं काम करेंगे, विकास के कार्य वह भी करते हैं, भवन वह भी बनाते हैं, जमीनों का अधिग्रहण वह भी करते हैं, जमीन का अधिग्रहण यह भी करते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग तो हो गया। कहीं-कहीं मान्यवर, शिकायत यह है।

मैं मान्यवर, सहारनपुर जनपद का उदाहरण देना चाहता हूं जहां के किसान दर्जनों बार अपना प्रतिनिधि मण्डल बनाकर के लखनऊ में आये, हमारे जनपद की एक इकाई बना कर के कि साहब 12 साल से झगड़ा चल रहा है विकास प्राधिकरण का, जमीन के अधिग्रहण का, एक तलवार किसानों के ऊपर लटका दी गई, तुम्हारी जमीन अधिग्रहण होगी और उसके बाद में 12 साल से किसान न तो उस पर जुताई कर पा रहे हैं और न आवास विकास परिषद् उस पर भवन बना पा रहा है। शोषण का इससे पड़ा स्रोत और क्या होगा मान्यवर कि जमीन खाली पड़ी रहे किसानों के पास आमदनी का सिलसिला खतम हो जाय, आप उसमें भवन न बना सकें, भवन नहीं बना सकेंगे तो उसमें निर्माण आपने अभी शुरू किया नहीं तो काहे के लिए आपने उस जमीन का अधिग्रहण किया ? क्यों, सहारनपुर में भी विकास प्राधिकरण है। अगर सहारनपुर की आवश्यकता को देखते हुये वहां का प्राधिकरण स्थानीय स्तर पर निर्णय लेता तो बहुत कुछ सही निर्णय हो जाता स्थानीय स्थिति को देखते हुए। मेरे खयाल में सारे प्रकरण पर विचार के करने बाद में मैं चाहता हूं सरकार इस सारे विषय पर पुनर्विचार करे और यह पुनर्विचार करे कि बदलती हुई परिस्थिति में, बदलते हुए परिपेक्ष्य में क्या आवास विकास परिषद् की वास्तव में आवश्यकता है ? क्या आवास विकास की कोई भूमिका रह गई है ? एक बहुत बड़ा आलीशान दफ्तर जरूर यहां बना हुआ है। न जाने कितने अधिकारी/कर्मचारी वहां पर काम करते हैं। उन सबका वेतन तो वहीं से निकलता है। वहीं किसानों की जमीनों को सस्ती दरों पर ले करके आप मंहगी बेचेंगे, सस्ती दरों पर जमीन लेकर के आप भवन बना करके मंहगी दरों पर भवन उपलब्ध करायेंगे, पैसा तो वहीं से निकाल करके उनके वेतन पर खर्च करेंगे उनको कोई और बजट का प्राविधान तो है नहीं।

मान्यवर, जमीन की खरीद, जमीन की खरीद कहीं और भी होती है। मान्यवर, आप पूरी समीक्षा इसकी करा लें जितनी भी जमीन का अधिग्रहण हुआ है वह केवल कृषकों की ही भूमि का अधिग्रहण हुआ है और दोनों की अगर आप तुलना करेंगे, किस दर पर आपने ली, किस दर पर आपने बेची, तो सब का सब आपकी जानकारी में आ जायेगा। मान्यवर, मैं उस बात से सहमत हूं और माननीय मंत्री जी शायद कहेंगे भी कि विभिन्न समय पर विभिन्न सरकारें आई, यह जिम्मेदारी हमारी क्यों होगी ? हम ही क्यों समीक्षा करें ? नहीं मान्यवर, जिम्मेदारी उनकी भी थी, जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर कहीं चूक हुई है तो चूक का मतलब यह नहीं कि वह चूक जारी रहे, उसकी निरन्तरता बनी रहे। मैं आज इसी कक्षा में बैठा हुआ हूं और मेरी यह विनती है मान्यवर, कि दो-तीन पहलू जो मैंने इसके रखे हैं, इसके प्रारूप का पहलू रखा है, एक अध्यक्ष को हटा दिया, तीन उपाध्यक्ष उनकी जगह बना दिये। दूसरा यह रखा है कि आवास विकास का औचित्य क्या रह गया ? जब सारे के सारे विकास प्राधिकरण का गठन सब जगह हो गया है। तीसरा यह रखा है मान्यवर, कि इस बात की समीक्षा की जाये कि एक वर्ष में कितना टर्नओवर आपका रहा ? आपने कितने भवन बना करके दिये ? धन के रूप में आपने कितने का बिजनेस किया ? कितने का व्यवसाय किया और उस व्यवसाय

के अनुरूप जो आपके कर्मचारी और अधिकारी वहां वेतन पा रहे हैं, भत्ते वहां पर पा रहे हैं, इतनी सुख-सुविधा उनको मिली है, इतनी साज-सज्जा उनकी है, उस साज -सज्जा को देखते हुए आपने कितना खर्च उनके ऊपर किया और कितना यहां से आपने काम करके दिखाया ? दोनों का क्या अनुपात रहा ? यह भी जानकारी अपनी चाहिए मान्यवर, संक्षेप में मैंने अपनी बात रख दी।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

माननीय हुकुम सिंह जी मान्यवर, वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने तीन उपाध्यक्ष बनाने के औचित्य के बारे में जो कारण पूछा है कि क्या कारण है ? मान्यवर इस बात से माननीय सदस्य भी सहमत होंगे कि जब जनता के बीच का आदमी बैठता है तो पब्लिक वहां जाती है। क्योंकि यह शिकायतें मिलती हैं कि अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं। अभी ब्यूरोक्रेसी की बात नियम-300 के अन्तर्गत उठी कि ब्यूरोक्रेट्स बात नहीं सुनते हैं। अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। तो फिर उसका और हल क्या है ? इसलिए यह निर्णय लिया गया, हमारी मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में यह विचार करके निर्णय लिया गया कि पब्लिक के ही आदमी बैठें। अध्यक्ष एक होता था तब भी शिकायत आती थी कि उनको टाईम नहीं मिल रहा है। इसलिए तीनों उपाध्यक्षों को बनाने का इसमें विधेयक लाया गया है। यह लागू हो चुका है। सिर्फ पब्लिक की सहूलियत देखी गयी है ताकि पब्लिक का काम वे कर सकें। यह कार्य जनहित और प्रदेश के हित में है। जो माननीय हुकुम सिंह जी ने रूप बदलने की बात कही है कि क्या औचित्य है तो वह बातें स्पष्ट की गयी हैं। जहां तक मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा है, विकास प्राधिकरण की बातें कही हैं इन विभागों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। कौन क्या काम कर रहा है, किसके कितने आवास हैं, अगर कोई बात आयी है तो इसको हम दिखवा लेते हैं। माननीय हुकुम सिंह जी चाहे तो पत्र लिखकर या मेरे साथ बैठकर बात कर लें हम वास्तविकता से अवगत करायेंगे। मान्यवर, बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं माननीय मुख्य मंत्री जी के कि बिल्कुल पारदर्शिता रखी जाय और जिसके लिये हम प्रतिबद्ध हैं।

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी बहुत वरिष्ट है। जो बातें आयीं कि विकास प्राधिकरण का क्या औचित्य है, इस विधेयक का मतलब दूसरा है। कहा गया कि आवास विकास परिषद् का क्या औचित्य है यहां ऐसा क्यों है। इससे सम्बन्धित वह आप सभी बातें जो मुझसे जानना चाहेंगे उसकी तैयारी करके आया हूं। उसके बारे में मैं आपको संतुष्ट करूंगा पूरे सदन को संतुष्ट करूंगा। लेकिन इससे अलग जो भी बिन्दु माननीय हुकुम सिंह जी ने रखे हैं वह मान्यवर, बलहीन हैं। इसी के साथ मैं इस विधेयक पर बल देता हूं और माननीय हुकुम सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करें।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक प्रमुख सचिव को पदेन अध्यक्ष आप बना रहे हैं। अभी मंत्री जी ने कहा कि शिकायतें थीं कि ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं। सम्भाल नहीं पा रहे थे। यह तो एक तरह से विरोधाभासी बातें सामने आ गयी हैं। मान्यवर, अभी तक जो नामित व्यक्ति होते थे वह पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव होते थे तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके रहते हुए जितना जनहित देखा सकता है या एक ब्यूरोक्रेट को पदेन अध्यक्ष बनाकर ज्यादा जनहित देखा जा सकता है ? दोनों में से किस व्यवस्था में ज्यादा जनहित देखा जा सकता है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि ब्यूरोकेट्स हावी है शिकायत यह मिलती है कि ब्यूरोक्रेट्स शिकायतें नहीं सुनते हैं समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। इसलिए मान्यवर कि कोई शिकायत न मिले इसलिए एक नहीं तीन उपाध्यक्ष बनाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी आप अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, वापस ले लेंगे तो फिर यहां बैठने का आनन्द क्या रहेगा ? यह "हां" व "ना" यहां होते रहना चाहिये। मान्यवर, अभी माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी ने चिन्ता व्यक्त की आपने कहा कि आप जनता के आदमी को तैनात कर रहे हैं ताकि वह उपलब्ध रहें। तीन उपाध्यक्ष जन प्रतिनिधि हैं उनके पदों को बढ़ाकर आपने यह तरीका निकाल लिया है। पिछली मर्तबा विधायक होता था इसका अध्यक्ष, अब वह अध्यक्ष हो गये हैं प्रमुख सचिव या सचिव। उनके नीचे आपके जनप्रतिनिधि जो उपाध्यक्ष बनेंगे वह उपाध्यक्ष होने के नाते जाना पसन्द नहीं करेंगे।

आपत्तिजनक होगा, आप में से कोई जिनको आप मंत्री नहीं बना सके संविधान की मजबूरी की वजह से कम से कम वहां जाकर बैठते जाकर के, उनको भी आपने वंचित कर दिया। अब उपाध्यक्ष जो बनायेंगे आप तो कम से कम विधायकों से नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे कि किसी भी ब्यूरोक्रेट की अध्यक्षता में कोई जनप्रतिनिधि उपाध्यक्ष होना पसन्द नहीं करेगा यह हमारी विधान सभा की परम्परा रही है, आपके निर्देश भी हैं। ऐसी स्थिति में आप इस पर विचार कर लें, 3 उपाध्यक्ष रखना चाहें तो रखें कोई चिन्ता की बात नहीं है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

यह विचार करने के बाद ही यहां लायें हैं। मैं पुनः माननीय हुकुम सिंह जी से कहूंगा कि इसको वापस ले लें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बहुत व्यस्त हैं क्योंकि विभागों का भार ज्यादा हो गया है, विचार करने का समय कहां मिलता है ? एक बात है विभिन्न निगमों के अध्यक्ष माननीय मंत्री जी हुए हैं और अब भी हैं। यह तो बहुत महत्वपूर्ण निगम है। आप ही अध्यक्ष हो जायं तो कम से कम आपके सामने बैठकर बात तो कर लेंगे आपके प्रमुख सचिव के दरबार में जाना कहां उचित है ?

श्री अध्यक्ष-

आप वापिस ले रहे हैं ? मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम (संशोधन) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 15 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1966 की धारा का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा-3 में, उपधारा (5), (6) और (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

"(5) परिषद् में निम्नलिखित होंगे,-

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार-अध्यक्ष, पदेन,

(ख) तीन उपाध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अशासकीय सदस्य होंगे,

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार-पदेन सदस्य,

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार-पदेन सदस्य,

(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार-पदेन सदस्य,

(च) मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश-पदेन सदस्य,

(छ) निदेशक, सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रुड़की-पदेन सदस्य,

(ज) आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद-पदेन सदस्य,

(झ) मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद-पदेन सदस्य,

(ञ) वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद-पदेन सदस्य,

(ट) मुख्य वास्तुविद् नियोजक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद-पदेन सदस्य,

(6) खण्ड (ग), खण्ड (घ) खण्ड (ङ) खण्ड (छ) में अभिदिष्ट अधिकारी परिषद की किसी बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय अपने विभाग, में अपने से ठीक बाद वाले उपलब्ध कनिष्ठ अधिकारी को बैठक में उपस्थित होने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने और मतदान करने का भी अधिकार होगा।

(7) खण्ड (ख) में अभिदिष्ट उपाध्यक्ष की नियुक्ति को गजट में विज्ञापित किया जायेगा।"

धारा 4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द "अध्यक्ष या सदस्य" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिया जायेगा।

धारा 5 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"5-(1) उपाध्यक्ष, तीन वर्ष के लिये पद धारण करेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके उसका कार्यकाल पहले ही समाप्त न कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष का कार्यकाल

(2) उपाध्यक्ष, किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित करके, स्वयं लिखित प्रार्थना-पत्र देकर अपना पद त्याग कर सकता है और ऐसे त्याग-पत्र के स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।"

धारा 6 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"6-उपाध्यक्ष को परिषद की निधि से, ऐसा पारिश्रमिक दिया जायेगा, जैसा विहित किया जाय।"

उपाध्यक्ष पद के सम्बन्ध में व्यवस्था

धारा 86 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 86 में, शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

7-(1) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल- अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

*उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, इस संशोधन पर इसलिए आवश्यकता पड़ी और जो उत्तर प्रदेश के महामहिम ने शासन को अपने अधिकार में ले लिया वैसे तो यह सरकार महामहिम के ही प्रतिनिधि के रूप में यहां पर काम करती है इसमें धारा 37, धारा 38 के अन्तर्गत जितने विश्वविद्यालय और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महाविद्यालय आते थे। उन पर विचार करने के लिये सम्बद्धता के बारे में दिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय को छोड़कर उत्तर प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय हैं, सब पर कुछ धारायें हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। माननीय पाण्डेय जी भी अवगत हैं, माननीय हुकुम सिंह जी भी अवगत हैं, दो एक बिन्दु जरूर हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ही जांच करने के तदोपरान्त महामहिम के यहां सम्बद्धता के लिये पत्रावलियां जाया करती थीं और दो कार्यालय एक तरह से कार्य किया करते थे यह तो मान्यवर, सदन को भी आभार व्यक्त करना चाहिये माननीय महामहिम जी का, और माननीय महामहिम जी की सदाशयता रही है कि उन्होंने सम्बद्धता का कार्य सरकार पर छोड़ा। चाहे सदन का जो भी सदस्य हो, जिसको भी महाविद्यालय खुलवाना रहता है अथवा विषयों की सम्बद्धता लेनी रहती थी, महीनों पत्रावलियां रुका करती थीं कभी शासन के स्तर पर और कभी राजभवन के स्तर पर। मान्यवर, इसके लिये महामहिम ने निर्देशित किया और हम माननीय पाण्डेय जी से भी चाहेंगे और माननीय हुकुम सिंह जी से भी चाहेंगे, चूंकि जुलाई, अगस्त के महीने में प्रवेश की प्रक्रिया होती है, प्रवेश की समस्या होती है और शायद इसको और जल्दी और सुचारु रूप से करने की नीयत से इसको किया गया है और जो विलम्ब होता था, उसको और गति लाने के लिये ताकि कहीं कोई दिक्कत न पड़े, ऐसा किया गया है। आप सब पहले ही विद्वान सदस्य रहे हैं, आप सबको पता है कि अगर कहीं एक जांच होती थी तो चाहे हमारा जिलाधिकारी उसकी जांच करता रहा हो और चाहे क्षेत्रीय अधिकारी। जांच की रिपोर्ट आने में महीनों लगता था और अगस्त के बाद सम्बद्धता का काम बन्द हो जाया करता था इससे महाविद्यालयों में कार्य बाधित हुआ करता था इसको देखते हुये मान्यवर, जनहित में और विद्यार्थियों के हित में इस संशोधन को लाने का प्रयास किया गया है। आपसे माननीय पाण्डेय जी और हुकुम सिंह जी इस अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं कि यह संशोधन जनहित में है, विद्यार्थियों के हित में है इसलिये संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, यह जो हमने संशोधन प्रस्ताव रखा है और माननीय मंत्री जी ने जो इसकी व्याख्या की, इसकी उपयोगिता, इसकी उपादेयता इस संशोधन के बारे में रखी, मैं उस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। यह सही है कि मान्यता के लिये राज्य सरकार से अनुमोदन के बाद राज्य सरकार की संस्तुति के बाद ही महामहिम के यहां से सम्बद्धता का आदेश जारी होता था। इस में कभी-कभी विलम्ब हो जाता था लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि विलम्ब के कारण और परेशानी के कारण ऐसा किया जाय। मान्यवर, महामहिम की एक गरिमा है और यह यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जब बने थे तो उस समय यह अपेक्षा की गयी थी कि विश्वविद्यालयों में राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। विश्वविद्यालयों में सरकार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा। यही सवाल नहीं है। इसमें सम्बद्धता के बारे में आपने सुविधा देने की बात कही यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि महामहिम के अधिकार में इस विधेयक के माध्यम से कटौती की जा रही है जो महामहिम को इसके माध्यम से अधिकार मिला हुआ था यह

नीतिगत प्रश्न है, उनके अधिकार की कटौती की जा रही है। क्या यह कटौती उचित है ? क्या महामहिम राज्यपाल की गरिमा को कम करना न्यायोचित है। दूसरी बात मान्यवर, अगर यह करना ही है तो मैं प्रवर समिति को सुपुर्द करने को इसलिये कहता हूं कि पूरे के पूरे पैमाने पर, पूरे सन्दर्भ में, ऐक्ट के पूरे सन्दर्भ में विचार आ जाय। माननीय अध्यक्ष जी, आप भलीभांति परिचित होंगे कि कुलपतियों की नियुक्ति में पूरा अधिकार महामहिम को है, केवल तीन नाम जाते हैं। आपको अधिकार है केवल रजिस्ट्रार नियुक्त करने का। कभी-कभी विश्वविद्यालयों में बड़ी अनियमितताऐं होती हैं, सरकार उसकी जांच कराती है महामहिम द्वारा जांच करने का अलग है। सरकार जांच कराती है और जांच कराकर पाती है कि किसी कुलपति के खिलाफ अनियमितता का आरोप है और आप रिकमेंड करके भेजते हैं कि उन्हें हटाना है लेकिन यदि महामहिम सहमत नहीं होते हैं तो आपकी रिकमेन्डेशन का कोई महत्व वहां नही रहता। तो जब आप संशोधन कर ही रहे हैं तो बहुत से प्रान्तों में ऐसा है कि विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति भी शासन के द्वारा होती है, सरकार के द्वारा होती है तो इस पर भी प्रवर समिति अन्य प्रान्तों के बारे में, वहां के विश्वविद्यालयों के बारे में, वहां जाकर पूरा परीक्षण कर ले और देख लें क्योंकि बहुत बड़ा संकट है, अभी पिछली बार भी महामहिम अलग से जांच करा रहे थे, सरकार अलग से करा रही थी, जहां महामहिम की इच्छा हुई वहां बर्खास्त कर दिया जहां नहीं इच्छा हुई वहां वैसे के वैसे बने हुए हैं। सरकार के द्वारा अनियमितताओं के तमाम प्रस्ताव, तमाम रिकमेंडेशन महामहिम के कार्यालय में पड़े हुए हैं, इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर पुनः गम्भीरता से विचार कर लें। जो गरिमा की बात है वह अलग है लेकिन आगे चलकर बड़ा कन्फ्रेन्टेशन होता है, आप वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं कर सकते, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, अनियमितता की जांच आप करायेंगे, अनियमितताओं के परिपेक्ष्य में रिकमेंडेशन करेंगे कि वाइस चांसलर को हटाओ, गवर्नर साहब कहेंगे नहीं हटायेंगे, तो इस प्रकार से तनाव की स्थिति बनेगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसे एक प्रवर समिति को भेज दें जो कि इसका पूरा परीक्षण कर ले। गुजरात में है, वहां एक-दो युनिवर्सिटी को छोड़कर बाकी युनिवर्सिटी वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, इसलिए मान्यवर, आप पूरी तरह से परीक्षण करा लें, इसीलिए मैंने इस संशोधन प्रस्ताव को रखा है इसके अलावा और कोई मेरी मंशा नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि जहां तक महामहिम की बजाय सरकार को अधिकार देने की बात है मेरा इसमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि सरकार के रिकमेंडेशन सीधे वहां नहीं जाते हैं, सरकार का हस्तक्षेप तो तब भी है। लेकिन एक बात जिस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जिस प्रकार के महाविद्यालयों को सम्बद्धता दी गयी है, एक बार उनका निरीक्षण करा लें। मान्यवर, जो कारखाने और फैक्ट्रीज हैं, उनके शेड में महाविद्यालय चल रहे हैं, आफिस के सर्वेन्ट क्वार्टरों में महाविद्यालय चल रहे हैं, मौलिक सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं है। सरकारी तन्त्र सारा का सारा है और सम्बद्धता फिर भी प्राप्त हो गई आखिर किस प्रकार की निरीक्षण समिति रही होगी, जिन्होंने निरीक्षण करने के बाद रिपोर्ट भेजी होगी, उसमें सरकारी अधिकारी भी रहता है। किस कारण से इतनी बड़ी संख्या में सम्बद्धता मिल गयी उन लोगों को जिनके पास मौलिक

सुविधाओं का अभाव है, जिनके पास बिल्डिंग नहीं हैं, कहीं-कहीं तो टेंट लगाकर विद्यालय चल रहे हैं और उसके बाद भी सम्बद्धता मिल रही है। इसलिए आप इस पर विचार करें ताकि इन कमियों को दूर किया जा सके। सम्बद्धता देना एक पेशा हो गया है यह एक बिजनेस हो गया है और इसमें नम्बर-1 पर पहले निरीक्षण समिति जाएगी, विश्वविद्यालय से समिति का गठन करा लेना इतना आसान नहीं है, इसीलिए तो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। कोई महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र आवेदन देगा और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आवेदन के बाद इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी वह जांच समिति का गठन ही नहीं करेंगे, इसके लिए कोई समय-सीमा तो है नहीं, एक साल तक न करें दो साल तक न करें। मजबूर हो करके प्रबन्धतन्त्र को घुटने टेकने पड़ते हैं, उनकी मांगों को पूरा करना पड़ता है। उसके बाद जो निरीक्षण समिति जाती है, मान्यवर, क्या उनका स्वरूप होता है और निरीक्षण करने के बाद जो रिपोर्ट बनती है उसके बदले में क्या-क्या प्रबन्धतन्त्र को करना पड़ता है तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और अगर नहीं है तो कहीं नमूने के तौर पर करा लें ? कम से कम जब एक व्यवस्था करने जा रहे हैं तो जो इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह भी कम हो इसके लिए भी व्यवस्था करें। इसी कारण आज शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है लोग सोचते हैं सम्बद्धता लेना है तो पैसा खर्च कर दीजिए, बच्चों को पढ़ाने का शौक नहीं है, सुविधाएं देंगे नहीं, प्रयोगशालाएं हैं नहीं, केवल सम्बद्धता अधिकारियों से अच्छे सम्बन्ध बनाये हुए हैं उनको खुश करने में लगे हुए हैं। राजभवन से लेकर फाइल यहां तक निस्तारित करते हैं, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, आप पत्रावली निस्तारण से लेकर एक अच्छी व्यवस्था कर दें तभी तो लगेगा कि त्रिपाठी जी जो हमारे छात्रनेता यहां पर आये हैं। कुछ नया करने की ऊर्जा दिखाना चाह रहे हैं, कुछ करके दिखाओ और यहां पर फिर आपके कार्यालय में उन पत्रावलियों का कैसे होगा, आप तक कैसे पहुंचेगी वह, इसको भी देख लीजिएगा। पत्रावली मंत्री तक पहुंच जाये बहुत बड़ी बात है। क्या एक समय सीमा बंधेगी कि यहां पर रिपोर्ट आने के इतने दिन के अन्दर में फिर पत्रावली का निस्तारण आप करेंगे तब जो कुछ सुविधा मिल जायेगी ? इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय दिया। यह अपेक्षा करते हुए कि जो बिन्दु उठाये गये हैं, उन पर भले ही आप टिप्पणी न करें लेकिन उनका निस्तारण जरूर करें।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पाण्डेय जी ने भी कहा और माननीय हुकुम सिंह जी ने विस्तार से चर्चा की। एक निवेदन आपकी अनुमति से करना चाहता हूं, माता प्रसाद पाण्डेय जी ने आशंका व्यक्त की कि महामहिम श्री राज्यपाल के अधिकारों में कटौती की गयी है। शत-प्रतिशत महामहिम के अधिकार, उनकी गरिमा, उनके गौरव को स्थापित किया गया है पिछली सरकार की तरह माननीय पाण्डेय जी नहीं हैं, माननीया मुख्य मंत्री मायावती जी दो बार महामहिम राज्यपाल से मिल चुकी हैं, तालमेल बराबर का है, सरकार और राज्यपाल जी में कोई विरोध नहीं है। महामहिम श्री राज्यपाल के आदेश से ही यह संशोधन लाया गया है। दूसरे एक और आशंका पर लम्बी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जरूर विस्तार से कहेंगे, क्षमा करेंगे आप सब लोग कि पिछली सरकार ने 3 मई तक

माननीय मुख्य मंत्री जी ने एन0ओ0सी0 जारी करने के लिए पत्रावलियों पर हस्ताक्षर किये थे। सैकड़ों पत्रावलियां हैं, हुकुम सिंह जी की चिन्ता सही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीया मायावती जी के नेतृत्व की सरकार ने तय किया है कि शिक्षा का जितना विस्तार हो सके करें, हम बजट में आगे लायेंगे भी। दूसरा आग्रह है पाण्डे जी वरिष्ट सदस्य हैं, हुकुम सिंह जी भी काफी वरिष्ट हैं, मंत्री रहे हैं, सरकार चलाने का अनुभव भी है, उनके अनुभव का हम सब लाभ भी लेंगे। यह मानकर चलें हमने कई जगह किया भी है स्थलीय व भौतिक निरीक्षण करवा रहे हैं, जिलाधिकारी के माध्यम से। जिन लोगों ने गलत रिपोर्ट देकर एन0ओ0सी0 लिया है उसे रद्द किया जायेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। पिछले साढ़े तीन सालों में सैकड़ों ऐसे महाविद्यालय खोल दिये गये जिनका बिल्कुल उनका स्तर नहीं रहा है, यह सच है इसीलिये उसका परीक्षण भी चल रहा है। माननीय हुकुम सिंह ने जो चिन्ता व्यक्त की, कार्यालय में पत्रावलियां रुक नहीं रहीं हैं, निस्तारण जल्दी किया जा रहा है। पाण्डेय जी, अध्यक्ष रहे हैं, हुकुम सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं, निवेदन है कि शिक्षा को आगे बढ़ायें और इस संशोधन को वापस ले लें, बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष-

श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी व श्री हुकुम सिंह जी अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

(माननीय सदस्यगण द्वारा संशोधन का प्रस्ताव वापस न लेने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलेखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 2 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 और 38 शब्द "कुलाधिपति" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 37 और 38 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2007

3-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मुख्य मंत्री द्वारा विधान परिषद् की सदस्यता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मध्याह्न भोज में सम्मिलित होने हेतु संसदीय कार्य मंत्री का सभी सदस्यों से अनुरोध

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने इतना शानदार बजट प्रस्तुत किया है जिसकी प्रशंसा पूरा जनमानस और प्रदेश की आम जनता कर रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी बजट से सहमत होने के कारण इसके विरोध में उन्होंने एक शब्द कहना वाजिब नहीं समझा। इसी के साथ-साथ मैं माननीय सदस्यों से यह भी आग्रह करूंगा कि आज माननीया मुख्य मंत्री जी ने विधान परिषद् की सदस्यता की शपथ ली है इसी के उपलक्ष्य में सभी सदस्यों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि समय निकालकर भोजन करने की कृपा करें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

लंच के लिए सदन थोड़े समय के लिए स्थगित कर दें।

श्री लाल जी वर्मा-

बीच में समय निकालकर सदस्य भोजन कर लें। इससे समय बचेगा।

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा[†]

श्री अम्बिका चौधरी-

संसदीय कार्य मंत्री जी खुशफहमी में हैं वह उनकी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। उनके वाक चातुर्य की मैंने पहले प्रशंसा की है आज भी स्थिति के हिसाब से उन्होंने अपना चातुर्य प्रस्तुत किया है इसके लिए उनको बधाई देता हूं। मुख्य मंत्री जी ने विधान परिषद् की सदस्य निर्वाचित होने पर आज शपथ ग्रहण की है मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनको बधाई देता हूं। अध्यक्ष जी अपने बजट पर सामान्य चर्चा में मुझे चर्चा प्रारम्भ करने का आपने अवसर दिया इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बजट मात्र एक प्रदेश की वित्तीय स्थिति का आकलन और उसकी आर्थिक योजनाओं का आइना नहीं होता है बल्कि सरकार की समग्र.....

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

बजट पर सामान्य चर्चा सामान्यतः नेता प्रतिपक्ष शुरू करते हैं नेता प्रतिपक्ष उपस्थित नहीं है उप नेता भी उपस्थित नहीं है तो क्या चौधरी साहब एक सदस्य की हैसियत से सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में चर्चा का प्रारम्भ अन्य दलीय नेताओं से भी किया जा सकता था।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष ने इनको प्राधिकृत किया है।

नोट :-[†] दिनांक 2 जुलाई, 2007 की कार्यवाही से।

श्री अम्बिका चौधरी-

संसदीय कार्य मंत्री जी की शंकाओं का आप समाधान करते रहते हैं इसके बावजूद उनकी शंका की बीमारी खत्म नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि आप इनकी शंका का समाधान स्थाई रूप से करें।

श्री अध्यक्ष-

आपका स्वरूप बदलता रहता है इसलिए शंका करते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

संसदीय कार्य मंत्री जी भ्रम में हो जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं।

बदगुमानी दूर हो सकती नहीं,
आइए तोहमत लगाना छोड़ दें।
मैं सबूत-ए-इश्क देना छोड़ दूं,
आप भी अब आजमाना छोड़ दें।

बजट केवल आर्थिक स्थितियों को ही नहीं दर्शाता है यह सरकार के पूरे दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने वाला होता है। मुख्य मंत्री जी ने जब बजट रखा था तो एक विशेष नई बात उन्होंने कही की वित्तीय वर्ष 2007-08 का बजट "सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय" के सिद्धान्त पर आधारित है। और उसके बाद एक और नई बात कही जो कि बहुजन समाज के आचार में, व्यवहार में, विचार में कभी नहीं रही। एक नई बात मान्यवर आई कि सरकार का लक्ष्य समाज में व्याप्त गैर-बराबरी वाली समाज व्यवस्था को बदल कर एक समता मूलक समाज की स्थापना करना है। मान्यवर, समाजवादी धारा से बहुजन समाज पार्टी का कहीं दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं था और यह एक नई बात अपने इस बजट भाषण में माननीया मुख्य मंत्री मायावती जी ने उल्लेख किया है और यह एक ऐतिहासिक बात है। बहुजन समाज की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर हुई थी। अपने आधारभूत सिद्धान्तों में पूरी तरह से बदलाव न करते हुए पूरी तरह से दूसरी दिशा में जाते हुए निर्णय लेकर यह घोषणा की गई है माननीया मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जहां तक समतामूलक समाज व्यवस्था की स्थापना का सवाल है, हमारा यह मानना है कि यहां अकेले बहुजन समाज को संगठित करके समतामूलक समाज व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती और इसके लिये सवर्ण हिन्दुओं को भी साथ लेकर चलना होगा।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया शांति बनाये रखें। इधर-उधर क्यों डोल रहे हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

पूरी तरह से एक नई बात आई है। इन्होंने अपने सिद्धान्तों से न सिर्फ समझौता किया बल्कि बदल कर एक नई बात आई इस बात का मैं स्वागत करता हूं कि इन्होंने अपने को कम से कम समाजवादी विचारधारा से जोड़ने का काम किया। समाजवादी विचारधारा का जो इन्होंने उल्लेख

किया जिसको डा0 लोहिया जी ने दिखाया और प्रत्येक समाजवादी ने जिसका संकल्प लिया और पालन किया, आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार की बाध्यता हुई है कि अब हमको समाजवादी रास्ते पर चलना है और वह मार्ग उन्होंने स्वीकार किया है। इसके अलावा दूसरी बात कहने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि कुमारी मायावती जी ने वर्ष 2002-2003 में पहली बार बजट रखा था और उसके बाद अबकी दूसरी बार 2007-2008 में बजट रखा है। इन दोनों में मौलिक अन्तर है। इसके लिये मैं यहां पर दो पंक्तियां उद्धरित करना चाहता हूं उनके बजट भाषण 2002-2003 के बजट में से। इसके पृष्ठ 5 पर "वित्तीय स्थिति से आप अवगत हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था जर्जर हालत में हमको मिली। आय और व्ययक के कारण बढ़ता हुआ घाटा राज्य द्वारा लम्बे समय तक ओवर ड्राफ्ट लिया जाना, अनुपूरक खर्च बढ़े हैं उत्पादन और आर्थिक उपलब्धियों में कमी आई है।" मान्यवर, मैं और ज्यादा विस्तार में नहीं पढ़ूंगा। सिर्फ इतना कह कर मैं आगे कहना चाहता हूं कि पिछला बजट जब उन्होंने रखा था तो राज्य की वित्तीय स्थिति जर्जर थी, प्रदेश ओवर ड्राफ्ट के जाल में पूरी तरह से फंसा हुआ था। आज दूसरी बार बजट रखते समय ऐसी आधारभूमि मिली है। जिस आधार भूमि के बारे में मैं यह कहूंगा कि वर्ष 2002-2003 में जो वित्तीय स्थिति थी उस समय प्रदेश की विकास दर थी 0.1 प्रतिशत। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिये विकास दर का लक्ष्य 8 प्रतिशत हासिल करना था और उसके विरुद्ध 5.1 प्रतिशत विकास दर हासिल की गई और यह कब हासिल की गई। यह 2002-2003 में जब आप सरकार में थे। पिछली बार कुमारी मायावती मुख्य मंत्री थीं तो विकास दर 0.1 प्रतिशत थी। उस 0.1 प्रतिशत को मान्यवर, अगले साढ़े तीन सालों में अपने कुशल वित्तीय प्रबन्धन से और अपने खर्च में कटौती करके संसाधनों में वृद्धि करके मान्यवर, हमने यह उपलब्धि हासिल की कि विकास की दर 5.1 प्रतिशत हुई। यह दसवीं पंचवर्षीय योजना की बात है। यह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है। हमारी उपलब्धि साधारण नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ कि वित्तीय बाजार में हमारी साख बढ़ी और 2005 के सितम्बर में राज्य सरकार द्वारा जो विकास ऋण पत्र जारी किये गये।

(इस समय 2 बजे अधिष्ठाता डा0 पी0 के0 राय पीठासीन हुए)

तो 15 सौ करोड़ के समस्त ऋण पत्र दो घंटे के अन्दर मिल गए। दो घंटे के अन्दर वित्तीय संस्थाओं द्वारा खरीद लिए गए। केन्द्रीय योजना आयोग ने हमारी उपलब्धियों को स्वीकार किया और हमारी सरकार जो प्रस्तावित वार्षिक योजना में पिछले वर्ष 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई। 19 हजार करोड़ का प्लान यह मानते हुए अनुमोदित किया गया कि हम इस वृहद वित्तीय योजनाओं को पोषित करने की क्षमता रखते हैं मान्यवर, जब ऐसी मजबूत वित्तीय स्थिति की आधार भूमि रखी, वित्तीय अनुशासन के लिए हमने विधेयक पारित किया और पूरे देश में मान्यवर ऐसा विधेयक लाने वाले, मुझे प्रसन्नता है इस सदन में यह कहते हुए कि इस वित्तीय प्रबन्धन के लिए 2004 में माननीय मुलायम सिंह के नेतृत्व में, हमारी सरकार ने जो विधेयक रखा वह प्रदेश में अपनी तरह का पहला विधेयक था। इससे पूरे देश में हमारी साख बढ़ी। हमने यह नहीं कहा कि हमारी स्थिति जर्जर है। मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्य मंत्री जी की कुर्सी पर आकर, वित्त मंत्री की हैसियत से बजट पेश करते हुए कभी नहीं कहा कि वित्तीय स्थिति इतनी जर्जर है कि हम कुछ करने की स्थिति में नहीं

है। कुछ करने में असमर्थ हैं। कभी क्षमा याचना की मुद्रा में खड़े नहीं हुए। मैं इन बातों का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि आज जो कुछ भी आपने अपनी योजनाओं के लिए प्रारूप बनाने का काम किया है और कहा है कि हमने एनुवल प्लान बना दिया। मैं आंकड़ों पर आऊंगा लेकिन आंकड़ों पर आने के पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि 2002-2003 में ही नहीं, 2003 के पूर्व 1995 से लेकर 2002 और 2003 के बीच जितनी बार बजट इस विधान सभा में रखे गए हैं प्रत्येक बार इस बात का रोना होता रहा है कि हमारी जर्जर हालत है हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है। हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। जो मंत्रि-परषद् की वित्तीय संसाधन इकाइयों की समिति थी पिछली सरकार में, और इससे जुड़े जो तंत्र थे जो अधिकारी थे मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी मजबूत भूमि तैयार की जिस आधार भूमि के चलते हम आज हम इस स्थिति में हैं कि आज हमारा बजट एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर की स्थिति में पहुंचने जा रहा है। यह मान्यवर, कोई अचानक चमत्कार नहीं हुआ है। डेढ़ महीने पहले हमारी सरकार थी। यह इस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के बाद सरकार आई। आते-आते बजट पेश करने की स्थिति है यह जो कुछ आप रख रहे हैं इसके लिए पिछले साढ़े तीन वर्षों में, मा0 मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में माननीय मुख्य वित्तीय प्रबन्धन में जो हमने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं मात्र उन्हीं कारणों से आज आपकी यह स्थिति है कि आप इस तरह का बजट लेकर के आए हैं। सचमुच में जिन बातों को ईमानदारी से कहा जा सकता था उन बातों को आंकड़ों की हेराफेरी करके, आंकड़ों की बाजीगरी करके अस्वीकार करने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश को उस दिशा में ले जाने का फिर प्रयास हो रहा है कि हम फिर ओवरड्राफ्ट के जाल में फंसे। फिर मान्यवर, यह ट्रेजरी सभी सरकारी कर्मचारियों के तनख्वाह के लिए सभी वर्किंग डेज के लिए न खुल सके। क्या प्रदेश 1995 से 2003 के दस, आठ वर्षों तक इस स्थिति में नहीं रहा है। जहां ट्रेजरी में तनख्वाह के अलावा किसी बिल का भुगतान नहीं होता रहा हो, क्या वह दिन फिर वापस लौटकर आएंगे जब कर्मचारी अपनी बेटी की शादी के लिए जी0पी0एफ0 से पैसा स्वीकृत कराए और जब वह उसको लेने ट्रेजरी में जाए तो उसकी बेटी की शादी की तारीख निकल जाए। उसकी इज्जत उतर जाए और उसका जी0पी0एफ0 का पैसा न मिल सके ? क्या ऐसी दिशा में आप पुनः लौटकर जाएंगे ? यह महत्वपूर्ण सवाल है और यह मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि सचमुच में अगर इन सवालों पर आज सर्तक नहीं रहेंगे, उन प्रयासों की सराहना नहीं कर सकेंगे, उन कदमों को स्वीकार नहीं कर सकेंगे उस राह पर चलना स्वीकार नहीं करेंगे तो यह समझ लीजिए अगर आपने फिर वही राह पकड़ी तो फिर अगर अगले वर्ष आपको अवसर मिला तो कहेंगे कि जर्जर स्थिति तो नहीं मिली थी। लेकिन अमुक-अमुक कारणों से जर्जर हो गया। फलाँ पार्टी वालों ने गड़बड़ कर दिया। फलाँ जाति वालों ने गड़बड़ कर दिया इसलिए फिर गड़बड़ हो गया मैं सचेत करना चाहता हूं कि इनकी पुनरावृत्ति न हो।

पिछले वर्ष जो परिव्यय था उसका पूरा का पूरा सदुपयोग हुआ। हमने अपना पूरा बजट 31 मार्च के पहले पास किया और पहली अप्रैल को 70 प्रतिशत बजट की स्वीकृतियां जारी हो गई। बाकी 30 प्रतिशत पूरे वर्ष के लिए। हमें उसकी समीक्षा करने का भी अवसर था, उसको देखने का भी अवसर था, कहीं कोई त्रुटि थी तो उसको सुधारने का अवसर था। मान्यवर, एक गलती जैसी शुरू हुई है, आंकड़ों की जो जादूगरी शुरू हुई है ये लक्षण खतरनाक हैं इसमें अनुमानित राजकोषीय घाटा

3.6 प्रतिशत दिखाया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 4.1 दिखाकर प्रतिशत गया है जबकि मान्यवर, वास्तव में यह 3.8 प्रतिशत था। आप जो अनुमान कर रहे हैं 3.6 प्रतिशत काश यह रह जाए तो अच्छा रहेगा, बढ़ न जाए तो अच्छा रहेगा। मान्यवर, कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। पुरानी योजनाओं को आपने बन्द कर दिया और उनका कोई नया नामकरण कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं आपको कहूं कि वाचस्पति महोदय विराजमान हैं तो नाम बदल देने से कोई स्थिति बदल नहीं जाती है। मान्यवर, इन्होंने नाम बदलकर योजनाओं को शुरू करने का काम किया है। नाम बदल देने का कोई मतलब नहीं है, कुछ याद रखने वाला है तो उसे याद रखना पड़ेगा कि किन कदमों को उठाकर हमारी सरकार ने 0.1 प्रतिशत से विकास दर 5.6 प्रतिशत पर दसवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर पहुंचाया था। आप पिछले वित्तीय वर्ष का उल्लेख नहीं किया। आप वर्ष 2006-07 का उल्लेख करते तो यह विकास दर 6 प्रतिशत से अधिक थी। 0.1 प्रतिशत से शुरू करके 5.6 प्रतिशत की विकास दर पर हम ले आए थे, 8 प्रतिशत के सापेक्ष यह उपलब्धि थी और अब आप उसे 10 प्रतिशत का लक्ष्य लेकर जा रहे हैं तो आपको याद रखकर चलना पड़ेगा कि आपको जर्जर वित्तीय स्थिति नहीं मिली है, प्रदेश ओवर ड्राफ्ट में नहीं फँसा है इसलिए आपकी जिम्मेदारी होगी और सबसे पहली आवश्यकता अगर है तो यह है कि जो कदम पिछली सरकार ने उठाए थे, मा0 मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उठाये थे, स्वयं वित्त मंत्री की हैसियत से, उन कदमों को आपको स्वीकार करना होगा। आपने समाजवादी रास्ते पर चलना स्वीकार ही कर लिया है, अब धीरे-धीरे आपको उनके बनाये वित्तीय रास्ते पर भी चलना सीखना पड़ेगा। मान्यवर, एक दशक में सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई, इन्होंने जिक्र कर दिया कि हमने परिवर्तन कर लिया है और विद्युत की परियोजनाएं लगाये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। कहां से प्रचलन हुआ, पिछले दिनों जिन एम0ओ0यू0 पर दस्तखत हुए, जिन योजनाओं को करने के लिए कार्यवाही शुरू हो गयी थी, अनपरा-सी के निजी क्षेत्र में दिए जाने की कार्यवाही चालू हो गई, आप उनका उल्लेख करने से क्यों शरमाते हैं ? आप उल्लेख करते कि मा0 मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में प्रयास किया गया और उनको अमलीजामा पहनाने के लिए जो कार्यवाही जरूरी थी, वह कर दिया है।

मान्यवर, आने वाले दिनों में प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। अगर इन प्रयासों को स्वीकार करने का साहस नहीं है तो इस बात की उम्मीद करना बेकार हो जाएगा कि आप सचमुच इस प्रदेश को ठीक रख पाएंगे। आपने बजट में जो वायदे किए हैं वह आप कैसे पूरा करेंगे ? मान्यवर, अनेक मिथ्या बातें आ गई हैं। श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी बुन्देलखण्ड से आते हैं। मान्यवर, बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल के विकास के लिए पिछले वर्ष 2006-07 में जब श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो 522 करोड़ रुपये का प्रबंध किया था और आपने प्रबंध किया है कुल 395 करोड़ रुपये का। बजट आपका है एक लाख करोड़ का और बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल के विकास के लिए 37 प्रतिशत राशि बढ़ाने के बजाए उसे कम कर दिया। जरा सोचिए कि कितने प्रतिशत कम कर दिया। मान्यवर, प्रदेश के 30 पिछड़े जनपदों के विकास के लिए आदर्श योजना लागू की गई थी। उसकी निधि कम कर दी। आपका दृष्टिकोण पिछड़े जनपदों का विकास करने का नहीं है। पिछड़ी जातियों और पिछड़े जनपद इन दोनों को आप अपना दुश्मन मानते हैं और आप उनका विकास नहीं करना चाहते।

मान्यवर, सभी दलों के माननीय विधायकों द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही इस बात की साक्षी है कि 15 दिसम्बर, 2006 को माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्य मंत्री के रूप में यह घोषणा की थी कि एक करोड़ रुपये की क्षेत्रीय विकास निधि को बढ़ाकर एक करोड़ 25 लाख रुपये किया जाता है और उसके लिए शासनादेश 08 जनवरी, 2007 को जारी किया गया और मान्यवर, यह शासनादेश की कापी है। मान्यवर, सारी चीजें नए तरीके से प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है और सही बात स्वीकार सरकार को करने का साहस नहीं है कि उपलब्धि किसने प्रदेश के लिए हासिल की। श्रीमनू, सरकारी कर्मचारियों के लिए जो हर साल महंगाई भत्ते की किश्त दी जाती है वही करके आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए आपने कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया है। मान्यवर, जब श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो तमाम दबावों के बावजूद 12 सौ करोड़ रुपये का प्रबन्ध करने के दबाव के बाद भी अपने खर्च पर नियंत्रण रखते हुए एक ऐसा वित्तीय संतुलन कायम किया गया, जबकि 12 सौ करोड़ रुपये का खर्च राजकोष पर आ रहा था। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मूल वेतन में संविलीन करने का बूता श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार के बूते की बात थी। तो आप सिर्फ महंगाई भत्ते की किश्त को जारी करके कर्मचारियों के मददगार कैसे हो सकते हैं ? श्रीमनू डा0 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के लिए 20 करोड़ रुपये की एक योजना इस बजट में दी गई है। मान्यवर, अम्बेडकर साहब का नाम लेते हुए थोड़ी शर्म होती तो अच्छा होता। मान्यवर, प्रदेश में, 70 जिले और राशि मात्र 20 करोड़ रुपये। मान्यवर, बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर नलकूप योजना कठिन एवं दुर्लभ क्षेत्रों के लिए है। मान्यवर, 70 जिलों में 14 नलकूप। अम्बेडकर जी का यह अपमान। अपना मूल्यांकन स्वयं करें। अम्बेडकर जी के नाम पर विशेष स्वरोजगार योजना चला रहे हैं और केवल बीस करोड़ रुपये आपने दिये हैं, प्रदेश में जिले सत्तर और राशि बीस करोड़। दूसरी बात डा0 भीम राव अम्बेडकर नलकूप योजना के अन्तर्गत कठिन एवं दुर्गम क्षेत्र में केवल 14 नलकूप लगाये जायेंगे, जिले सत्तर और नलकूप 14 तो यह कितना आप दे रहे हैं स्वयं मूल्यांकन करें। अम्बेडकर जी का इतना अपमान, मैं आप पर कोई अन्यथा आरोप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन अपना मूल्यांकन स्वयं करें। अम्बेडकर जी के नाम पर एक विशेष स्वरोजगार योजना चलायी जा रही है बीस करोड़ रुपये की पूरे प्रदेश में और नलकूप योजना के अन्तर्गत कठिन एवं दुर्लभ क्षेत्र में 14 नलकूप का निर्माण कराये जायेंगे तो यह स्थिति है। दूसरा मान्यवर, महापुरुषों में बंटवारा करना मुनासिब नहीं है। जब भी हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने लोहिया जी का नाम लिया तो उन्होंने बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी का भी नाम उसी आदर के साथ लिया। पहली बार अम्बेडकर गांव की योजना शुरू करने का काम अगर किसी ने किया तो वह हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने किया। इसका श्रेय मुलायम सिंह यादव जी को है और आपने इतना साहस भी नहीं है कि महापुरुषों का आदरपूर्वक उसका सम्मान भी कर सकें। आपने लोहिया जी के नाम की योजना को इसलिए समाप्त कर दिया कि उसमें आपको यह बू आती थी कि लोहिया जी के जो अनुयायी हैं, उनका जिक्र भी हो जायेगा, तो आपने योजना ही समाप्त कर दिया। आप उसको बदल देते। हम स्वागत कर रहे हैं ज्योतिबा फुले के नाम से ले आ रहे हैं, कांशी राम जी के नाम पर ले आ रहे हैं, अम्बेडकर जी के नाम पर ले आ रहे

हैं या अन्य महापुरुष के नाम पर ले आ रहे हैं लेकिन महापुरूष के नाम पर किसी भी स्थिति में यह योजना को बंद करने की जो दृष्टि आपकी है इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। दूसरा आपने पुलिस वालों के लिए कहा कि पुलिस में सभी वर्गों का विश्वास प्राप्त करने की दृष्टि से जनपद में निरीक्षण प्रभारी एवं थानाध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ी वर्ग को मिलाकर 30 प्रतिशत और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग तथा समाज के अन्य सभी वर्गों को मिलाकर 70 प्रतिशत पदों पर तैनाती करने का निर्णय लिया गया है। अनुसूचित जाति के लोग 22 प्रतिशत हैं, पिछड़ा वर्ग के 52 प्रतिशत से ज्यादा और यह सब मिलाकर 74 प्रतिशत हो जाता है। तो 74 प्रतिशत में से 30 प्रतिशत थानाध्यक्ष रखे जायेंगे, यह बाध्यता है, और बाकी 26 प्रतिशत में से 70 प्रतिशत रखे जायेंगे। मान्यवर, हम इस प्रतिशत के विवाद में नहीं जाना चाहते। आप योग्यता और दक्षता का आधार देखते। अगर सभी अनुसूचित जाति के लोग योग्य हैं तो आप शत-प्रतिशत रख लीजिये, योग्यता और क्षमता के आधार पर रखने के बजाय, आपने यह मिक्स क्यों किया, आप अलग से कर देते। अगर आपको इस बात की चिन्ता थी, आप 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति का रख लीजिये, फिर पिछड़ी जाति का प्रतिशत अलग कर देते तब पता चलता कि क्यों नहीं हुआ है। मैं दो तीन उदाहरण अपने जनपद और दूसरे जनपदों का देना चाहूंगा, आप इसको देखें। बलिया जनपद में थाने हैं 22 और पिछड़ी जाति के थानाध्यक्ष हैं शून्य मऊ में थाने हैं 14 और पिछड़ी जाति के थानाध्यक्ष हैं शून्य, आजमगढ़ में थाने हैं 24 और पिछड़ी जाति का एक थानाध्यक्ष है यानि पूरे आजमगढ़ मण्डल में एक थानाध्यक्ष है, इसी तरह से वाराणसी में थाने हैं 24 और पिछड़ी जाति के थानाध्यक्ष हैं 2 और उसमें भी जिस जाति से आप चिढ़े हुए हैं उसका एक भी नहीं है। फिरोजाबाद में पिछड़ी जाति का थानाध्यक्ष शून्य है, महाराजगंज में पिछड़ी जाति का थानाध्यक्ष शून्य हैं। यह आपने 30 प्रतिशत इसलिए रखा कि उसका एक भी आप एप्वाइन्ट नहीं कर सके। मान्यवर, आपके शासन में 152 डिप्टी एस0पी0 के ट्रान्सफर हुए, 88 पुलिस उपाधीक्षक जिला से गैर जनपद शाखा में भेजे गये और उसमें 55 एक जाति के हैं। उन जाति के लोगों ने कोई अपराध नहीं किया था, परफारमेंस में कोई कमी नहीं थी, चूंकि वह माननीय नेता प्रतिपक्ष की जाति के थे, वह यादव जाति के लोग थे यह उनका अपराध था, अगर 88 भेजे गये तो 88 में से 55 एक जाति के थे। उत्तर प्रदेश भर में, पूरे प्रदेश में पुलिस इन्सपेक्टर जो कोतवाली में तैनात थे, यादव जाति के लोगों को चुन-चुन कर के पूरी बिरादरी के लोगों को मान्यवर, थानों और कोतवाली से हटा दिया गया पूरे प्रदेश में और यही अब सर्वजन की बात करने चले हैं। यही आप सबको मिलाकर के एक नया समाज बनाने की बात करने चले हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार का लक्ष्य समाज में व्याप्त गैर बराबरी सामाजिक व्यवस्था को बदल कर के समतामूलक समाज की स्थापना करना है। आपका यह कहना है कि समतामूलक समाज की व्यवस्था आपको बहुजन समाज के अलावा सबको जोड़ करके करना है। यही आपकी दृष्टि है ? यही आपकी दृष्टि है तो यह आपका संकल्प मिथ्या है। यह आपकी दृष्टि है तो आपका यह दस्तावेज मिथ्या है, झूटा है मान्यवर, यह [xxx] का पुलिन्दा है, यह फर्जी है मान्यवर, आपकी दृष्टि यह नहीं है। आपकी दृष्टि समतामूलक

नोटः-[xxx] यह शब्द श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

समाज की नहीं है। आपकी दृष्टि इस समाज को कुछ देने की नहीं है श्रीमन् और पिछली बार मान्यवर, पहली बार जब देश में जेण्डर वजटिंग का सवाल पैदा हुआ तो जेण्डर बजटिंग की शुरुआत मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने की और आपके इस बजट में महिला मुख्य मंत्री, जेण्डर जजटिंग का कहीं अता-पता नहीं। महिलाओं के कल्याण के लिए, सशक्तीकरण के लिए, किसी योजना का उल्लेख नहीं। एक महिला के मुख्य मंत्री मात्र हो जाने से पूरे महिला समाज का उन्नयन उसका सशक्तीकरण नहीं हो सकता है। मान्यवर, हम यह कहना चाहते हैं और आपने कहा कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही थी जिन छात्राओं को कन्या विद्याधन मिला। मान्यवर, जिसके पिता की स्थिति इण्टरमीडिएट के बाद अपनी बेटियों को पढ़ाने की नहीं थी और कहना चाहता हूं श्रीमन् हम सभी अधिकांश लोग गांव से चुन कर के आते हैं और जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहता हूं श्रीमन् पूरे के पूरे विधान सभा क्षेत्र में, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कह सकता हूं, मान्यवर एक किसान की हैसियत नहीं है कि 20 हजार रुपये का चेक अपनी बेटी के हाथ पर रख सके, एक साथ और वहां ऐसी स्थिति में उस बेटी को 20 हजार रुपया देने का अगर कन्या विद्याधन के रूप में काम किया और पहली बार आलोचना हुई आप इधर थे आपने आलोचना की, कि यह योजना चलने वाली नहीं है, यह दिखावटी है, मान्यवर, 200 करोड़ का प्रबन्ध किया, अगले साल 300 करोड़ का किया और जो वर्ष 2006-07 का बजट रखा मान्यवर, तो 600 करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया। 600 करोड़ से ज्यादा का कन्या विद्याधन के रूप में भुगतान किया। आपने कह दिया कि यह उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली है। बेरोजगारों को रोजगार दो वरना बेरोजगारी का भत्ता दो, हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद नौजवानों के लिए जो पहला चला हुआ नारा था मान्यवर, और एक भी राजनैतिक दल मैं पुनः कहना चाहता हूं कोई राजनैतिक दल आप तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपका तो कोई घोषणा-पत्र होता नहीं, आपका तो कोई संविधान है ही नहीं, बहुजन समाजपार्टी का न तो कोई संविधान है न कोई घोषणा-पत्र केवल घोषणा-पत्र चरणों में नमन और इसी पर अपना गुजर बसर। मान्यवर, जितनी पार्टियों, राजनैतिक दलों ने अपना घोषणा-पत्र जारी किया है, प्रत्येक राजनैतिक पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में इस बेरोजगारी-भत्ता का जिक्र कभी न कभी, किसी न किसी अवसर पर जरूर किया है। सभी मुकर गये। एक व्यक्ति इस हिन्दुस्तान में ऐसा था जो अपने वायदे पर कायम रहा और प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का कठिन संकल्प लिया, जिसको केन्द्र सरकार मान्यवर, इतनी शानदार वित्तीय स्थिति में होने के बावजूद कह देती है कि बेकार की योजना है और हमारे पास वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि हम आपकी इस योजना के लिए धन दे सकें उसको आपने कहा कि वह उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है। बहुजन समाज की बात करके और आप इस बात को भूलते हैं कि समाज में ऐसी स्त्रियां हैं जिनके पास एक साड़ी है। एक धोती है, आधी धोती है तो आधा सुखा लेती है तो धोती है, उसको अगर चार साड़ी देने का कार्यक्रम हमारी सरकार ने बनाया तो आप का यह कहना है कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली योजनायें थीं इसलिए हमने इनको समाप्त किया। मान्यवर, यह ठेस पहुंचाने वाली नहीं थी। यह दो कारणों से समाप्त की गई, एक इन कारणों से कि उसकी शुरूआत माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, उनकी सरकार ने किया था। आप कौन-कौन सी चीजें समाप्त करना चाहते हैं ? माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार ने शुरुआत

किया था इस उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को संतुलित करने का। क्या उसको समाप्त करेंगे ? उन्होंने शुरुआत किया था कि कर्ज से निकाल करके इस प्रदेश को हम आदर्श प्रदेश बनायेंगे। क्या इसको समाप्त करना चाहते हैं ? इसलिए श्रीमन् इन बातों पर गौर करना पड़ेगा और मान्यवर यह कुछ आंकड़े जो मैंने रखा उनको अभी आप भी देखेंगे कि 6146 करोड़ रुपये की राजस्व बचत उस पर मैं बाद में कह देता हूं मान्यवर, और यह राजकोषीय घाटा आपका 4.1 के बजाय 3.8 था, गलती से यह फीगर आ गई है और यह गलती जानबूझ कर की जा रही है, अपने को बेहतर साबित करने के लिए। डेढ़ महीने में आप कौन सा प्रबन्ध कर देंगे ? आप जो भी बेहतरी प्रदर्षित कर रहे हैं वह पुरानी सरकार की उपलब्धियां है श्रीमन्। मान्यवर, इसमें कहा गया है कि कृषि योजनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी है। मान्यवर, क्या वृद्धि कर दी है ? यह मान्यवर कृषि का प्रदेश है। पिछली बार जो योजनायें चल रही थीं उनको देखकर के उनके आलोक में वृद्धि की जानी चाहिये थी और प्रस्तावित राशि में कम से कम तीन गुना वृद्धि अपेक्षित थी। इस तरह से जो पूर्ववर्ती योजनायें हैं उनको नहीं चलाया जा सकता है तो जो आपकी 490 करोड़ की नई योजनायें हैं वह कपोल कल्पित रह जायेंगी। वह शुरू नहीं होंगी। जो आपने 1647 करोड़ रु0 की बात कही है उसमें तीन गुना बढ़ाकर देना चाहिये था नहीं तो पिछली योजनाओं को चलाने के लिये आपके पास पैसा नहीं रह जायेगा फिर आप नई योजनाओं को कहां से शुरू कर पायेंगे।

आपने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की मद में 4674 करोड़ रु0 की व्यवस्था का उल्लेख किया है। मान्यवर, 2006-07 के बजट से यह मात्र 59 करोड़ रु0 ज्यादा है। मान्यवर, चिकित्सा के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं उसके आधुनिकीकरण के लिये सरकारी अस्पतालों को सृजित करने के लिये इसमें जिक्र है। अधिष्ठाता महोदय आप तो स्वयं चिकित्सक हैं। मान्यवर, इंसेफिलाइटिस के बढ़ते प्रकोप का यहां जिक्र किया गया था। संसदीय कार्य मंत्री जी उसका उत्तर दे रहे थे उन्होंने कहा कि उसके नियंत्रण के लिये क्लोरीन की गोलियां बांट दी गयी हैं। यह दृष्टि है इस सरकार की। मान्यवर, उसके नियंत्रण करने के लिये जो गोलियां बांटी गयी हैं उससे पानी शुद्ध होता है। पानी से यह प्रकोप फैलता नहीं। यह प्रकोप खासतौर से जहां सुअर ज्यादा होते हैं क्योंकि वे उसके कैरियर होते हैं तो आप देखें कि गोलियों से उसको कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है। बजट में भी इसी तरह से कोई इंसेफेलाइटिस की बात होगी तो गोलियां हैं, टिकिया है जिस तरह से इंसेफिलाइटिस की रोकथाम का प्रबन्ध यह सरकार कर रही है।

मान्यवर, इसी तरह से जनपद इलाहाबाद की तहसील बारा और करछना में बिजलीघर लगाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है। पिछले दस वर्षों में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ था। हमारी जब सरकार आयी तो उसने गैसे आधारित विद्युत गृह लगाने के लिये प्रयास प्रारम्भ किया साढ़े तीन हजार मेगावाट का वह प्रोजेक्ट है लेकिन केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप से वह प्रारम्भ नहीं हो सका है। अभी प्रबोध तिवारी जी नहीं बैठे हैं। वह सारे प्रयास के बाद भी प्रारम्भ नहीं हो सका है। हमारी सरकार ने उसके लिये सारे प्रयास किये। वह जो बारा में 1980 मेगावाट एवं करछना में 1320 मेगावाट क्षमता के बिजली घर लगाने की बात है इसकी प्रक्रिया का कार्य तो हमारी सरकार में प्रारम्भ

हो गया था। आपको बधाई देनी चाहिये थी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जिन्होंने इस कार्य को शुरू किया। लेकिन बधाई देने का रिवाज मान्यवर, लोकतंत्र में अगर ऐसे ही खत्म हो जायेगा तो लोकतंत्र कैसे रहेगा। यह चोलवंश नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि हमारे पिता ने यह नहीं किया, या चोलवंश खत्म हुआ और नन्दवंश आ गया। मान्यवर, अगर इस सरकार के कदम अच्छे होंगे तो हम उसे स्वीकार करेंगे उसका स्वागत करेंगे। लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुसार स्वागत करेंगे। एक और विचित्र बात इसमें मान्यवर कही गयी है। पी0 डब्लू0 डी0 के बजट के बारे में कहा कि अधिक प्रावधान किया है। पिछलीबार जो 5075 करोड़ रु0 था उससे 24 प्रतिशत अधिक किया है। 6301 करोड़ रु0 इसमें प्रस्तावित है। मान्यवर, अफसोस होता है आपके आंकड़ों पर। जो आंकड़े विधान सभा के पटल पर आ चुके हैं उसमें खेल नहीं करना चाहिये। जिसको विधान सभा ने पारित किया है जिनकी किताबें हैं सबके पास हैं मेन बजट में पिछली बार पी0 डब्लू0 डी0 का 4810 करोड़ रु0 का प्राविधान था। उसके बाद प्रथम अनुपूरक अनुदान के रूप में 372 करोड़ रुपये और द्वितीय अनुपूरक बजट में 436 करोड़ का प्रावधान किया गया था। वह फीगर्स आप ले लें तो यह 5618.72 करोड़ रु0 हो जायेगा। इसी तरह से आदर्श जनपद योजना थी और त्वरित विकास योजना थी उसमें सड़कों और सेतुओं के निर्माण पर खर्च हुआ है। जो महाविद्यालयों और चिकित्सालयों पर उसमें खर्च हुआ था वह अलग था। सड़कों और सेतुओं पर वह 760 करोड़ रु0 की धनराशि मिलाकर के वह 6378.52 करोड़ रु0 हो जाता है। तो इस तरह से हमारी सरकार की में पी0 डब्लू0 डी0 का बजट 5075 करोड़ रु0 की राशि नहीं थी। वह 6378.52 करोड़ थी। अभी भी मान्यवर, प्रस्तावित राशि उसके मुकाबले 77 करोड़ कम है आपका जिसको आपने 24 प्रतिशत ज्यादा बढ़ाकर देने की बात कही है यह [xxx] का पुलिन्दा है। अगर कोई [xxx] का पुलिन्दा हो जैसे मैंने 8 उदाहरण गिनाये। श्रीमन्, यह स्थिति, जो आंकड़े हैं, इस विधान सभा के पटल के बाहर ढूढ़ने की जरूरत नहीं है। यह विधान सभा की कार्यवाही में दर्ज है, जो बजट आपने पेश किया, जो राशि आपने जारी की उस बारे में मिथ्या प्रचार कि हमने उसे बढ़ा दिया, हमने उसे बढ़ाया क्या है वह खैर आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा प्रदेश की जनता को। आपने अपना अहंकार बढ़ाया है, आपने विद्वेष बढ़ाया है, आपने अपने मन में नफरत बढ़ाया है आपने मन में नफरत बढ़ाया है तो उसकी प्रतिक्रिया भी बढ़ाई है। यह बात ध्यान रहे कि यह बहुत आसानी से शमन होने वाली नहीं है क्योंकि कोई बात जब शुरू होती है तो बहुत दूर तक जाती है। मान्यवर, एक बहुत खास बात कर दी आपने, शिक्षा में कमाल कर दिया, निजी प्रबन्धतंत्र के द्वारा शर्तों के अनुसार माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने में 10 करोड़ देंगे। मान्यवर, 10 करोड़ में कितने विद्यालय स्थापित होंगे ? 10 करोड़ में अगर 20 लाख रुपये प्रति विद्यालय के हिसाब से भी करेंगे तो मान्यवर, आप स्वयं भिज्ञ हैं कि 50 विद्यालय स्थापित होंगे तो एक जनपद में एक विद्यालय भी नहीं देंगे, विकास खण्ड में कहां से देंगे। प्रत्येक असेंदित विकास खण्ड और प्रत्येक न्याय पंचायत को विद्यालय देने की योजना थी यह योजना थी पिछली सरकार की। उसको घटाकर ले आये 10 करोड़ का पूरे प्रदेश में देने का, आपमें यह साहस नहीं है। यह साहस तो 1995 के बाद जितनी भी सरकारें आई, किसी में नहीं था। 1989 के बाद 1993 में फिर यह माननीय

मुलायम सिंह के नेतृत्व में पदारूढ़ हुई सिर्फ उसके पास था कि इंटरमीडियेट कालेज को ऐड पर लिये जाने का, उनको अनुदान पर लिये जाने का और कोई सरकार साहस नहीं कर सकी न उसके पहले न उसके बाद। 1000 विद्यालयों को अनुदान पर लेने का काम किया उसका जिक्र नहीं, मदरसों को अनुदान पर लिये जाने का जिक्र नहीं। शिक्षा में बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे 10 करोड़ रुपये असेवित क्षेत्रों में निजी प्रबन्ध तंत्र में विद्यालयों की स्थापना के लिये करेंगे एक जनपद में एक का भी औसत नहीं आ रहा है। मान्यवर, अब तक शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिये अल्पसंख्यकों में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक छात्र और छात्राओं को 123 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी। बताइये इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है यह राशि उस राशि से कम है जितनी राशि पिछले वर्ष दी जा चुकी है। श्रीमन्, इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में बैठने के लिये उनके लिये प्रबन्ध किया गया उनकी कोचिंग के लिये पिछली सरकार में। इसके अतिरिक्त मदरसों को अनुदान पर लेने का काम किया गया, मदरसों को कम्प्यूटराइज करने का काम किया गया और इसके अलावा वहां साइन्स की पढ़ाई हो सके, उनको उन्नत किया जा सके इसके लिये उपकरण और दूसरे मदों में खर्च किया गया इसका कोई उल्लेख नहीं, पूरी तरह आप इस पर खामोश है। चूंकि आपके बजट में प्रबन्ध नहीं है, आप ढिढोरा पीट रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लिये तो आपका मूल उद्देश्य वही है कि आप वही छात्रवृत्ति देंगे पिछली बार जो दी गयी थी उससे कुछ कम करके छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक छात्रों को आप देने का काम करेंगे।

मान्यवर, राजस्व विभाग के प्रति आपकी बड़ी कृपा है, मैं तो राजस्व मंत्री था। एक ऐसी योजना प्रारम्भ हुई पिछली सरकार में, किसान दुर्घटना बीमा, पहला प्रदेश हम थे जहां यह लागू हुआ। दूसरे प्रदेशों में लागू हुआ तो वहां के किसान को कंट्रीब्यूशन देना होता था। वह स्वयं किश्त देता था और कुछ किश्त सरकार की ओर से दी जाती थी। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी किसानों के लिये जोत और जाति दोनों की सीमा से परे किसान दुर्घटना बीमा लागू करने का काम हुआ और लगातार पिछले वर्ष आपने उसकी राशि बढ़ाई और उसकी राशि जब कम हो गयी तो बजट प्राविधान के अतिरिक्त रुपया देने का काम किया ताकि वह योजना चल सके, उस योजना का उल्लेख नहीं है मैं समझता हूं कि यह योजना यह सरकार बंद करने जा रही है। किसान दुर्घटना बीमा योजना का उल्लेख नहीं है। राजस्व विभाग का जिक्र करते हुये, किसान का जिक्र करते हुये उसका जिक्र नहीं। मान्यवर, इस वित्त वर्ष में 152 करोड़ रुपये राजस्व भवनों के निर्माण पर खर्च किया जायेगा। कमिश्नरी, कलेक्ट्रेट, तहसील, बोर्ड आफ रेवेन्यू यह सब मिलाकर भवनों के निर्माण पर आप 152 करोड़ रुपये का खर्च करेंगे। यह आपकी दृष्टि है इस विभाग के बारे में। मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा कि राहत के सवाल पर, जो केन्द्रीय सरकार ने गाइडलाइन तय किया और उस गाइडलाइन के आधार पर वह राशि कम थी, किसी दैवी आपदा में मर जाने पर 50 हजार रुपये जो दिये जाते थे उसको अपने संसाधनों से प्रबन्ध करके सरकार ने एक लाख अपनी ओर से देकर के डेढ़ लाख रुपया देने का काम किया उस गरीब बेसहारा को, जो डूब गया, जो मर गया दैवी आपदा से। श्रीमन् कल एक नोटिस आई थी माननीय नेता भाजपा भी अनुरोध कर रहे थे कि कुछ तो आप पसीजिये, 17 लोगों की लाश मिली,

कुल 26 लोग डूबकर मर गये थे और इस पर सरकार ने कहा कि यह दैवी आपदा **में नहीं** आता इसलिये हमारी सरकार कोई पैसा देने वाली नहीं है। मान्यवर, यह दृष्टि का अन्तर है। 50 हजार की अनुमन्यता थी जो केन्द्रीय सरकार की गाइडलाइन थी और हमने अपने संसाधनों से देने का प्रबन्ध किया एक लाख रुपया और कुल मिलाकर उसको डेढ़ लाख रुपया प्रति व्यक्ति देने का प्रबन्ध किया और कल अभी इसी सदन में मामला उठा, 26 लोग डूबकर मर गये कौशाम्बी में। करवरिया साहब ने शायद यह मामला उठाया था। लेकिन इस मामले पर आपने पूरी असमर्थता व्यक्त कर दी कि यह मामला दैवी आपदा में नहीं आता इसलिये हम कोई राशि देने का काम नहीं करेंगे। एक रुपया भी आपने देने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। मान्यवर, आपको यह प्रदेश दरिद्र हालत में, लुटे पिटे हालत में नहीं दिया गया है आप जनकल्याणकारी योजनाओं के लिये अपनी असमर्थता मत व्यक्त कीजिये। कुछ दिनों में जब यह पुनः लुट पिट जायेगा, तब असमर्थता व्यक्त कीजियेगा। आज तो खजाना भरा हुआ है, आज तो आपको असमर्थता नहीं व्यक्त करनी चाहिये।

श्रीमन् इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास पर भी आपने बड़ी लम्बी-चौड़ी बात कही, आपने विकास परिषद् को समाप्त कर दिया। मैं आज सदन में इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि प्रदेश द्वारा प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये औद्योगिक सेवा क्षेत्र निवेश नीति, ऊर्जा नीति, हाईटेक टाउनशिप विकास नीति, चीनी उद्योग, प्रोत्साहन नीति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति एवं नई आसवनी इकाइयों की स्थापना एवं क्षमता विस्तार की नीति की संरचना के कारण पिछले दो वर्षों में 48 हजार करोड़ के 1205 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये। इतना उद्यमी कभी उत्तर प्रदेश की ओर कभी रुख नहीं किया और इस रुख को आप मोड़िये नहीं, उसको लौटाइये नहीं। उस उद्यमी को आप वापस मत भेज दीजिये। उसको उद्योग लगाने दीजिये। इस प्रदेश का औद्योगिक वातावरण नष्ट मत कीजिये। यह मैं उन । ताव का जिक्र कर रहा हूं जिनका निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जो निवेश हो चुका चीनी उद्योग अकेले नई 40 चीनी मिलों की स्थापना के लिये श्रीमन् प्रस्ताव आये, कार्यवाही शुरू हुयी और उनमें से 26 चीनी मिलों में काम शुरू हो गया और उत्पादन इतना बढ़ा कि दो वर्षों में दुगने के आसपास हो गया। अभी जवाब आप दे रहे थे कि हम क्या करें चीनी का उत्पादन ज्यादा हो गया, किसान ने गन्ना ज्यादा उगा दिया हम क्या करें ? यह जो इतनी बदतर स्थिति आपको लग रही है कि चीनी का उत्पादन ज्यादा हो गया और गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो गया। प्रदेश अगर देश में चीनी उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी हुआ है सबसे आगे आया है तो वह आसानी से नहीं आया है वह किसी जादुई चमत्कार या नफरत के नारे से नहीं आया है वह प्रबन्ध करने से आया है और ऐसी साख, एक ऐसा विश्वास जागृत करने से आया है कि जिस विश्वास के नाते उद्यमी उत्तर प्रदेश में आया उसने उद्यम लगाया बीमार उद्योगों को भी उसने सुदृढ़ किया, नये उद्योग लगाये और इस स्थिति में हम आये हैं कि देश में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने की स्थिति में हम आये। 6 हजार करोड़ रुपये अकेले चीनी उद्योग में निवेश हुये, इस 48 हजार करोड़ रुपये के वायदे के अलावा 6 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ। 1973 से 2003 तक 30 वर्ष में औसतन प्रतिवर्ष 46 सेतुओं की संस्तुति हुई और तीन वर्षों में 531 सेतुओं की स्वीकृति हुई। अब उसकी तुलना आप कर लें। तीन वर्षों में जितना हुआ है उतना पिछले 42 वर्षों में भी नहीं हुआ है, इसकी तुलना आप कर लें।

मान्यवर, पिछले तीन वर्षों में जितना काम हुआ है उतना पिछले 42 वर्षों में भी नहीं हुआ है, आंकड़े इसके लिये गवाह हैं। आपको पुस्तिकायें दी गयीं, आपमें से अधिकांश लोगों ने इसे लिया था। सेतु का यह काम, सड़कों का यह काम हम आज इनको अलग से नहीं देखना चाहते हैं जो बजट का प्राविजन था उसी से यह बात साफ हो जाती है और कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और मान्यवर, समग्र ग्राम की जो हमारी योजना थी उसका नाम बदलकर अम्बेडकर ग्राम योजना कर दिया और संख्या क्या कर दी जहां समग्र ग्राम में हर विधान सभा क्षेत्र में 10 गांव लिये जाते थे वहां अम्बेडकर ग्राम में यह घटाकर 5 कर दी। नाम बदल दिया बस यही उपलब्धियां हैं, 10-10 गांव ही रखते नाम बदल देते कोई बात नहीं थी लेकिन पिछली बार समग्र ग्राम की योजना में एक विधान सभा क्षेत्र में एक सदस्य, विधान सभा के प्रस्ताव पर 10 गांव लिये जाते थे और इस बार यह गांव सदस्य, विधान सभा के प्रस्ताव पर लिये जायेंगे या नहीं, यह अलग बात है, इसमें यह नही लिखा है कि सदस्य, विधान सभा के प्रस्ताव पर लिये जायेंगे और श्रीमन्, आपने नयी योजना शुरू की नाम बदलकर अम्बेडकर ग्राम योजना कर दिया लेकिन ग्रामों की संख्या घटाकर पांच कर दी। त्वरित आर्थिक विकास योजना समाप्त, आदर्श जनपद योजना समाप्त, लोहिया योजना समाप्त, जेंडर बजटिंग की ओर कोई कदम नहीं उठाया गया। जो बजट में बाजीगरी की गई है, जो कारीगरी की गई है, कुछ थोड़े से तथ्यों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। वर्ष 2002-2003 में राजस्व प्राप्तियां 27,82,119 लाख रुपये तीन वर्षों में वर्ष 2006-07 तक। हमने दो गुना से अधिक कर दिया 56,14,440 लाख रुपये कर दिया, मान्यवर, दुगुने से भी ज्यादा कर दिया और घाटे की अर्थव्यवस्था जो बीस वर्षों से चली आ रही थी पहली बार वर्ष 2006-07 में बचत का बजट पेश हुआ, इन ऐतिहासिक उपलब्धियों को आप नकारना चाहते हैं, आखिर कहां ले जायेंगे इन तथ्यों को ? वर्ष 2006-07 का बजट राजस्व बचत का था और वर्तमान में यह घाटे का बजट है।

श्रीमन्, आपने जो व्यापार कर, यात्री कर परिवहन, मनोरंजन कर आदि से वर्ष 2002-03 में 1276690 लाख की प्राप्ति की थी, वहीं माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इसको 2348378 लाख तक पहुंचाया, यह वित्तीय प्रबन्धन है। श्रीमन्, वर्ष 2005-06 में प्रदेश की ऋणग्रस्तता में 11317 करोड़ की वृद्धि थी, जिसे 2006-07 में तत्कालीन सरकार ने 10925 करोड़ कर दिया और जो आपका पूर्वानुमान है उसमें भी यह बढ़ करके 11458 करोड़ हो जायेगा, इसे घटाना चाहिये, इसे घटकर 9 हजार करोड़ में आना चाहिये, 10 हजार करोड़ से नीचे आना चाहिये और आपने उसे बढ़ा करके 11458 करोड़ कर दिया है। वर्ष 2005-06 में जितना था उससे भी बढ़ा करके ले गये, क्या फिर ऋणग्रस्तता में फंसायेंगे ? क्या कल पैदा होने वाले बच्चे पर फिर से इतना ऋण डाल देंगे कि उसकी उम्र कर्ज में ही बीत जाय। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के वित्त मंत्री रहते हुये जो प्रयास किये गये थे, जो प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया गया था, प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का काम किया गया था, कहीं उन कदमों को वापस लौटाने का काम तो नहीं हो रहा है। आपका बजट तो ऐसा ही कुछ प्रदर्शित कर रहा है, इसमें मिथ्या बातें बहुत कही गयी है। बजट के आंकड़े कहते हैं कि आप प्रदेश को फिर से ऋणग्रस्तता की जाल में फंसाने जा रहे हैं। पिछले वर्ष से ज्यादा ऋण का पूर्वानुमान है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2004 में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 7.4 प्रतिशत

था और प्रतिवर्ष 1-1 प्रतिशत के हिसाब से घटकर हमने 4 प्रतिशत तक पहुंचाया। वर्तमान बजट में 5 प्रतिशत की दर से राजकोषीय घाटा घटाने का संकेत है और आगामी वर्ष में 3.6 प्रतिशत पहुंचाने का अनुमान है, इसलिए यह बात लग रही है कि इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है, न संकल्प है, केवल मिथ्या प्रलाप है। जल्दी-जल्दी कोई दस्तावेज तैयार करके बजट की शक्ल में रख दिया और मुख्य मंत्री जी ने उसे पढ़कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। यह तो उसी प्रकार है कि 70 जनपद और 14 ट्यूबवेल। 20 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश में स्वरोजगार के लिए व्यवस्था की है। विकास दर का कोई जिक्र नहीं है कि ये कार्ययोजना है और इस कार्ययोजना के माध्यम से विकास दर प्राप्त करेंगे, इस कार्ययोजना के माध्यम से बेरोजगारी दूर करेंगे, सवा करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। एक भी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है जिससे कि 10 हजार लोगों को भी रोजगार देने की बात कर पायें। जबकि बजट में लिख दिया है कि सवा करोड़ को रोजगार देने का काम करेंगे। कृषि क्षेत्र के लिए 1647 करोड़ रुपया रखा गया है जो कि अपर्याप्त है, इसे तीन गुना अधिक होना चाहिए। कृषि उत्पाद को वैल्यू-एडेड बनाने का काम होना चाहिए, कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने वाली योजना बनानी चाहिए थी, अगर कृषि उत्पाद समय से बाजार नहीं पहुंचेगा तो विपणन मूल्य ठीक नहीं मिल सकेगा, इसको कैसे करेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं है। मुलायम सिंह की सरकार ने आलू उत्पादक किसानों के लिए 500 किलोमीटर दूरी से उत्पाद लाने में ट्रान्सपोर्टेशन में भाड़ा में सहायता देने के लिए योजना बनायी थी। गन्ने के क्षेत्र में साढ़े तीन वर्षों में 35 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य बढ़ाने का काम पिछली सरकार ने किया, पूरे देश में साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में इतनी वृद्धि कभी नहीं हुआ। जितना खुशहाल पिछले सरकार में किसान थे, उतना कभी भी नहीं थे, पहली बार मिल मालिक किसान के पीछे-पीछे भाग रहे थे, किसान का कोई बकाया नहीं था, किसान के पास मिल मालिक का एडवांस पड़ा था। अब फिर यह स्थिति पैदा हो गयी है कि किसानों का गन्ने का बकाया मूल्य नहीं मिल रहा है, अभी कल ही यह प्रश्न यहां आया था कि गन्ना किसानों के बकाये पर सरकार ब्याज का भुगतान करेगी या नहीं करेगी ? आज जो परिस्थितियां पैदा हो गयी है उसमें गन्ना किसानों का क्या होगा ? जब आप इन सार्वजनिक उद्यमों को, मिलों को घाटे के नाम पर बेचने की बात कर रहे हैं, उनको सुदृढ़ करने के लिए नहीं, किसानों की स्थिति को ठीक करने के लिए नहीं, खेत में खड़े गन्ने की पेराई के नहीं, यह सिर्फ इसलिए है कि आगामी वर्षों में इसके अलावा और भी है सार्वजनिक उद्यम हैं, पर्यटन, परिवहन, विद्युत तापगृह आदि अन्य उद्यमों को बेचने की यह आपकी पृष्ठभूमि है। अभी आपने शुरुआत की है, पूरी तरह से माहौल बना रहे हैं। 28 मिलों को बेचने का काम कर माहौल को टटोल कर सतर्कता से इस बात को देख रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि अभी आप अपने कदम वापस खींच लें क्योंकि सौदा नहीं हुआ है। इस दिशा में जाकर किसानों की भलाई नहीं हो सकती। पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए लगे हुये हैं जिसमें दूसरे उद्यमों को बेचने के लिए आप आधार तैयार कर रहे हैं। विकास दर का लक्ष्य पाने की कोई योजना नहीं है। आर्थिक व्यूह रचना में यह बजट निराशा प्रदर्शित करता है और सरकार का बजट पूरी जरह से निराश करने वाला है। श्रीमन्, बहुत गम्भीरता से इसको मैंने भी पढ़ा है और बाकी सदस्यों ने भी देखा है। एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो प्रदेश की जनता में आशा का संचार कर सके किसी तबके में नहीं किसान में नहीं, छात्र में नहीं

बेरोजगार में नहीं महिलाओं में नहीं, बुनकरों में नहीं किसी में आशा का संचार करने वाला नहीं है। एक भी योजना ऐसी नहीं है जो किसी में आशा का संचार कर सके। बार बार श्रीमनू जातियों का उल्लेख हुआ है। यह इण्टीग्रेटेड स्कीम अनुसूचित जाति के लिए चलाई जाएगी, अनुसूचित जाति के लिए यह योजना चलाई जाएगी यह उल्लेख किया गया है लेकिन वास्तव में इनका अनुसूचित जाति के विकास के लिए कोई लक्ष्य नहीं है उनको भ्रम में रखने का काम है। समग्र प्रदेश के विकास के साथ ही उनका भी विकास होगा। जो पहला बयान आया कि सर्व समाज का विकास चाहते हैं लेकिन जो सर्व समाज के लिए पहले से योजनाएं चल रही थी उनके लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया। एक भी कार्य योजना ऐसी नहीं है जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके, इसलिए यह सारी चीजें हो रही हैं। जेलों को जो बाहर ले जाने का काम हो रहा है वह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि बिल्डरों को फायदा पहुंचे यह सरकार की मंशा है आवास मंत्री जी इसको जानते होंगे। मैं यह बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं इसमें ट्रान्सपैरेंसी होनी चाहिए। अगर पारदर्शिता नहीं रखी गई तो शहरों की जो कीमती जमीनें हैं वह बिल्डरों को सुनियोजित तरीके से सौंप दी जाएगी बाद में वह इन जमीनों को कई गुना रेट पर बेचेंगे। बिल्डरों की इसमें अपनी कोई पूंजी भी नहीं लगेगी वह दूसरे लोगों से एडवांस प्राप्त कर लेंगे जेलों को बाहर करने की कोई स्पष्ट योजना होती कैदियों को सुविधा देने के लिए जेलों का निर्माण होता तो वह अलग बात थी। इसमें कोई स्पष्ट योजना नहीं है। आधा संरचना, जनसंख्या नियंत्रण, महिला सशक्तीकरण पर बजट मौन है। एक वाक्य भी आपके पास इन सवालों पर नहीं है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1.52 करोड़ रोजगार हो जाएंगे लेकि कोई योजना नहीं है। एक दूसरी आजादी की लड़ाई देश में लड़ी गई आपात काल में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ी गई जो लोग इस जुल्म के लिए जिम्मेदार थे उन्होंने देश से क्षमा मांगी उन्होंने बाकायदा अपनी राष्ट्रीय कार्यसमिति में फैसला लेकर पूरे राष्ट्र से क्षमा मांगी। यहां तक जुल्म करने वालों के उस समय जो सहयोगी थे उन्होंने भी क्षमा मांगी। इमरजेंसी का विरोध करने वाले जो सेनानी थे नकी पेंशन का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। सात कि0मी0 सड़क जो हर विधान सभा सदस्य के प्रस्ताव पर बनती थी इसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं था इससे संतुलित विकास होता था लेकिन अब सत्तारूढ़ दल के लोगों को विकास के लिए धन देंगे और एक बहुत बड़े भाग विपक्ष को उससे वंचित रखा गया तो यह प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाली स्थिति नहीं होगी। विकास संतुलित होना चाहिए इस देश के विकास में एक अवरोध और अड़चन आती रही है उसका मूल कारण असंतुलित विकास का होना है। शहर के कुछ इलाकों में तो विकास हुआ लेकिन गांव का आदमी रह गया।

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

सारा विकास तो सैफई में हुआ था।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सैफई से प्रेरणा लेनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि जो अपने गांव को भूल गया, अपने गांव का विकास नहीं कर सका वह इससे आगे बढ़कर कोई बात करना चाहता हो और जन प्रतिनिधि अपने को कहलाना चाहता हो तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है।

जिस माटी पर जो पैदा हुआ उसने उस गांव का सुधार नहीं किया इससे और शर्म की कोई बात नहीं है। जिस माटी में आप पैदा हुए उसके नाम से इतनी शर्मिन्दगी। मान्यवर, अफसोस है और इसलिये भी है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यगण कृपया शांत रहें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री की कुर्सी पर थे तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि जिस तरह सैफई का विकास हुआ है वैसा उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों का हो और इसकी शुरुआत इस सदन में बैठे हुए लोग अपने-अपने गांवों से करें। उन्होंने कहा कि मैं स्वागत करूंगा अगर आप अपने-अपने गांवों के विकास के लिये कोई योजना बनाकर लायें और मान्यवर, पक्ष और विपक्ष में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया था। मान्यवर, यह लोग विकास नहीं कर सकते हैं। इन लोगों को कमीशनखोरी से फुर्सत नहीं है, इनको अपने गांवों से कोई लगाव नहीं है इनका अपने गांव से कोई जुड़ाव नहीं है यह अपने गांव से नहीं जुड़ना चाहते उसका विकास नहीं करना चाहते यह तो सिर्फ दिल्ली का विकास करना चाहते हैं। सैफई तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है इसलिये इन्हें सैफई के विकास से बुरा लगता है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शान्त रहें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, जो माननीय सदस्य इस सदन में नहीं थे.....

*वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

माननीय चौधरी जी, आप जो बिन्दु पर बोल रहे हैं किसी ने उस पर नहीं बोला है। अगर आप चाहेंगे, गलतबयानी करेंगे तो टिप्पणी होगी। आप आगे बोलिये इसको खत्म करिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे इसकी पीड़ा नहीं होती जो सदस्य इस सदन में नहीं थे क्योंकि उन्होंने इसको नहीं देखा लेकिन जो इस सदन के सदस्य थे और कल भी उधर बैठे थे और आज भी उधर ही बैठे हैं। उनके लिये अफसोस करने के लिये मेरे पास शब्द नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, उन पर अफसोस करना भी श्रीमन्, इस तरह से है जैसे कुछ ऐसे कृत्य होते हैं जिन पर थूकना भी ठीक नहीं होता।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

माननीय अधिष्टाता जी, कभी-कभी गन्दगी ऐसी होती है जिस पर थूकने लायक भी नहीं होता है। हम इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री हाजी याकूब-

मान्यवर, विकास तो प्रदेश में सिर्फ दो जनपदों का ही हुआ है। एक सैफई का और दूसरा रामपुर का। विकास के नाम पर प्रदेश को बर्बाद किया गया है।

श्री अधिष्टाता-

आप बैठ जाइये। आपको भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। हर सदस्य को अपनी-अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कई लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जन्म लेने पर गर्व पर भी सवाल उठाया है ? उत्तर प्रदेश में जन्म लेने पर मुझे गर्व है, हमारी पार्टी के एक-एक साथी को गर्व है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में जन्म लेने पर गर्व होना चाहिए। शर्म उनको होनी चाहिए जो उत्तर प्रदेश में जन्म लेकर अपने गांव का नाम लेते संकोच करते हैं। उत्तर प्रदेश में जन्म लेना कोई शर्म की बात नहीं है। सैफई में जन्म लेना शर्म की बात नहीं है। सैफई को मान्यवर, एक मॉडल के रूप में रखा गया और यह सही है कि सैफई का विकास हुआ। हम कामना करते हैं और इच्छा रखते हैं कि उत्तर प्रदेश का हर गांव सैफई की तरह से हो सके और इसकी शुरुआत सैफई से हुई है। अगर किसी में साहस हो। मैं कहना चाहता हूं सैफई के कुल विकास का आंकड़ा निकाल लें और सरकार में दस मंत्रियों के गांव को सैफई जैसा बनाकर दिखाइए आपमें साहस हो तो इसकी शुरुआत करें। हम इसका स्वागत करेंगे।

(व्यवधान)

मान्यवर, लोहिया ग्राम, त्वरित विकास, कन्या विद्या धन, यह राज्य की ऐसी योजनायें थीं जिसके दूरगामी परिणाम देश को एक नये इतिहास का परिचय देते। एक नये इतिहास का सृजन करते। लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कुठाराघात किया है जिससे इस सरकार की सोच का दिवालियापन स्पष्ट होता है। आंकड़ों को मैंने रखा है और उससे यह बात सिद्ध हुई है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का जो यह बजट भाषण है यह झूट का पुलिन्दा है। इससे प्रदेश का कोई विकास नहीं होने वाला है। यद्यपि इन्होंने कुछ शब्द शुरू में कहे हैं-समाजवादी विचारधारा की समतामूलक समाज की स्थापना की, सर्वसमाज की रक्षा की। इसके बावजूद मान्यवर, जो दृष्टि है वह पूरी की पूरी दृष्टि उनकी नहीं है। न उनकी दृष्टि थी ? इसलिए मैं आज इस चर्चा में इस बात पर बल देता हूं, बजट अभी पारित नहीं हुआ है जो विपक्ष का विचार आज आ रहा है इसके अनुसार बजट को ठीक ढंग से रखने का काम हो और जिन योजनाओं को बंद करने की आपने योजना बनाई है उन योजनाओं को बंद न किया

जाए। प्रदेश के विकास के लिए, व्यापक माहौल बनाने के लिए जो शुरुआत हुई थी खासतौर से वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो एक शुरुआत हुई थी माननीय मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में उनको आगे चलाना चाहिए। इसी के साथ मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री अधिष्ठाता-

जैसा माननीय अध्यक्ष जी का निर्णय है कि दलीय नेताओं को 15 मिनट व सदस्यों हेतु 5 मिनट का समय आवंटित किया गया है। इस सामान्य चर्चा में माननीय ओम प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि वह अपनी बात रखें।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सन् 2007-08 के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, अभी बजट सबके सामने है। इसमें प्रस्तुत किए गए आंकड़े सरकार की अपनी योजनायें, इस साल क्या कार्य किए उसका विवरण, और बहुत तेजी से कहा गया कि पिछले वर्ष की तुलना में इतने धन को अधिक आवंटित किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में क्या इन्होंने अच्छा किया, क्या बुरा किया। क्या सही कहा क्या गलत कहा ? कौन से आंकड़े अधिक प्रस्तुत हैं कौन से आंकड़े गलत प्रस्तुत हैं, इस सबका विवरण चौधरी साहब ने प्रस्तुत किया। मैं आंकड़ों की उलझन में नहीं पड़ूँगा क्योंकि बजट की जो अन्य विशेषता होती हैं उसमें एक विशेषता आंकड़ों की बाजीगरी की भी होती है। एक उसको बहुत जोर से प्रस्तुत करता है तो दूसरा उसको बहुत जोर से उजागर करता है जो पूर्व सरकार में रहता है। बहुत ही लोक लुभावने शब्दों में यह बजट प्रस्तुत किया गया है। 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' समतामूलक समाज, सुनने में बड़े लुभावने लगते हैं और काव्य के वाक्य उद्धरित करके नई आशा और परिवर्तित आशा जगाने का प्रयास किया गया है। लेकिन ये दोनों वाक्य बजट के अगले ही पैरे के विवरणों से और पूरे, बजट के व्यवहार और आचरण से, अव्यवस्थाओं से अव्यावहारिक रूप धारण करेंगे। ऐसा दिखता नहीं है कि आज के समय में समतामूलक समाज और निजीकरण ये दोनों एक साथ में चल सकते हैं। ये दोनों विरोधाभासी हैं, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा लेकिन एक बिन्दु है, चुनाव अभी हुआ है, उस बिन्दु को मैं जरूर रखूंगा क्योंकि इस प्रदेश और देश की उस गरीब जनता की, जिसकी कल्पना स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वाले महापुरुषों ने की थी और यह अपेक्षा की थी कि हमारी स्वसत्ता में उसके अन्दर की स्वतंत्रता सुरक्षित होगी। मान्यवर, पूर्व के चुनाव में बाहुबल के द्वारा उसको डराकर फायदा उठाया जाता था, उसका शोषण होता था। आयोग ने तो उस व्यवस्था को अपने नियमों और कड़ाई के कारण समाप्त किया लेकिन उस गरीब का शोषण इस चुनाव में भी धन बल से हुआ है। जो बाहुबल से होता था, वह धनबल से हुआ है। इसलिए यह प्रदेश के लिए बहुत चिन्तनीय है। इस पूरे सदन को और आयोग को भी आगे इस पर जरूर विचार करना चाहिए क्योंकि हम बार-बार गरीब की बात कहते हैं, उसके अन्दर की स्वतंत्रता उसके स्वाभीमान की स्वतंत्रता सुरक्षित कब होगी ? मान्यवर, एक बहुत सामान्य बजट है, इसमें न तो विकास की कोई सुनिश्चित सम्भावना है और न इस सम्बन्ध में समाज की आर्थिक उन्नति की आशा जगती है। उम्मीद थी, बहुमत की 5 वर्ष की सरकार, जो गरीबों की बात करती है, उससे एक ऐसे बजट की उम्मीद थी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिससे आर्थिक कमजोर वर्ग, पसीने की रोटी खाने वाले वर्ग, संगठित-असंगठित मजदूरों, असहाय वर्ग को सहयोग देने वाला, एक समयबद्ध लक्ष्य वाला और उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प वाला बजट होगा, अच्छा बजट आयेगा और वह प्रदेश की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने वाला होगा। लेकिन सभी को इस बजट से निराशा हाथ लगी है, मैं भी उसका वर्णन करना चाहता हूं।

मान्यवर, यह बजट प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर मौन है। समता मूलक समाज की बात कही गयी है, 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की बात कही गई है, यह सिर्फ एक वाक्य बनकर रह गया है। इसमें जिन महापुरुषों का नाम लिखा गया है, मैं उनके प्रति सम्मान रखता हूं, उनका समाज के उत्थान के प्रति बहुत बड़ा योगदान है, वह महापुरुष हैं लेकिन यह तो सब बहुजन समाज पार्टी की बात थी, उसमें इन्हीं के नाम लिखे जाते थे लेकिन जब 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की बात कही जा रही है तब लोहिया जी, गांधी जी, दीनदयाल को कैसे भूल गये ? जवाहर लाल नेहरू को भूल गए, सरदार पटेल को भूल गए, क्या उनका योगदान नहीं है ? यह 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' वाला जनता को गुमराह करने का बजट है। यह बहुत जल्दी एक्सपोज हो जायेंगे। क्या कोई बजट ऐसा हो सकता है जो प्रदेश के श्रमिकों के बारे में कुछ न कहे, श्रम नीति के बारे में कुछ न कहे, श्रम कल्याण के बारे में कुछ न बोले ?

मान्यवर, बहुजन समाज और बहुजन हिताय की बात, समतामूलक समाज की बात कही। मान्यवर, गरीब आज शोषित हो रहा है। गांवों में राशन की दुकानों से अनाज नहीं मिल रहा है। वितरण प्रणाली दोषपूर्ण है। बजट में उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। वितरण प्रणाली में सुधार करने की कोई चर्चा नहीं। मान्यवर, किसान का हित बिना उसकी फसल की सुरक्षा के कैसे हो सकता है। फसल बीमा योजना की कोई चर्चा नहीं। आज नए समय में दूसरे प्रदेशों में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं। किसान की फसल को बिना सुरक्षित किए और आपदा में उसे आप सुरक्षित नहीं करेंगे तो किसान फिर आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा ? किसान की सुरक्षा के लिए फसल बीमा योजना को व्यापक बनाना चाहिए था। किसान क्रेडिट कार्ड वितरण की भी योजना होनी चाहिए थी लेकिन सरकार मौन है। रोजगार की योजना और गांवों के सुधार की बात कही जाती है। पशुपालन के बारे में बजट में बताया है। पशुपालन के बारे में क्या योजना है, कैसे बढ़ावा देंगे ? इस पर बजट मौन है ? मत्स्य पालन योजना के बारे में बजट मौन है। मुर्गी पालन योजना के बारे में बजट मौन है। यह क्षेत्र रोजगार भी देते हैं और प्रदेश को आर्थिक उन्नति भी देते हैं। आज अण्डा, मछली भी आन्ध्र प्रदेश से आता है। इस प्रदेश में भूमि समतल है, नदिया हैं, तालाब हैं तब भी इन चीजों को उत्पादन करने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं और यह बजट मौन है। मान्यवर, बात छोटी है लेकिन बहुत व्यापक समाज को रोजगार देती है। मान्यवर, इन सब पर बजट मौन है। अर्थात इस बजट में समाज के समग्र उत्थान की बात पर कुछ नहीं कहा गया है। आधी-अधूरी टिप्पणी में समस्याओं पर आकर बजट पेश कर दिया गया है। गम्भीर विषयों पर इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है। भूगर्भ जल के गिरते स्तर से बड़ी कोई समस्या क्या इस प्रदेश की है ? मान्यवर, सौ से ज्यादा ब्लाकों में पेयजल की गम्भीर समस्या है। आज आम चर्चा हो रही है कि तीसरा महायुद्ध पानी के लिए होगा। कोई शहर ऐसा नहीं है कि जहां पर अप्रैल का माह शुरू होते ही तालाब, हैण्डपम्प न सूखने लगते हों। इस पर भी बजट मौन है। भूगर्भ जल की समस्या सतही जल की समस्या से ज्यादा गम्भीर है। इस पर बजट मौन है। नदियों का प्रदूषण सामान्य बात नहीं है। इसके

साथ-साथ यह जीवन रेखा भी है। मान्यवर, गंगा प्रदूषित हो रही है, यमुना प्रदूषित हो रही है, गोमती नाला बन गई है। इस पर बजट में एक शब्द नहीं कहा गया है। इस पर बजट मौन है। औद्योगीकरण के लिए पूंजीनिवेश को आमंत्रित करने के कार्यक्रम के बारे में एक वाक्य नहीं है। रोजगार कहां से देंगे ? मान्यवर, आज भारत सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में विकासशील देश कहा जाता है। जो परिवार सूचना प्रोद्योगिकी को ग्रहण कर लेता है वह विकसित कहलाने लगता है। इस बजट में सूचना प्रोद्योगिकी के लिए कोई शब्द नहीं कहा गया है। इसलिए मान्यवर, प्रमुख और गम्भीर समस्याओं और विकास के मूल प्रश्नों पर बजट मौन है। इसलिए हमने कहा कि यह सामान्य बजट है। इतना ही नहीं मान्यवर, यह राष्ट्रीय संवेदनाओं के प्रति संवेदनहीन सिद्ध हो रहा है। 1857 का एक सौ पचासवां वर्ष है और इसे देश मना रहा है। 1857 की क्रान्ति का यह देश एक सौ पचासवां वर्ष मना रहा है और उसी वर्ष में यह सरकार बनी, पांच साल की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, कम से कम श्रद्धांजलि तो दे देते। श्रद्धांजलि का एक शब्द तो इसमें प्रयोग करते। क्या यह प्रदेश क्रान्तिकारियों के लिए, उन शहीदों की याद में कार्यक्रम शून्य रहेगा ? पूरा प्रदेश क्या कहेगा कि यह उत्तर प्रदेश का बजट है और क्रान्तिकारी आन्दोलनों की यादगार में एक शब्द भी नहीं। प्रारम्भिक वाक्य में ही श्रद्धांजलि प्रदान की जानी चाहिए थी। मुख्य मंत्री एक कार्यक्रम इसके बारे में प्रदेश की तरफ से घोषित कर दें यह मैं उनसे अनुरोध करूंगा, तब यह पता चल पायेगा कि यह सदन संवेदनशील है क्योंकि मुख्य मंत्री की घोषणा पूरे सदन की घोषणा मानी जायेगी। मुख्य मंत्री यदि घोषणा नहीं करेंगी तो सरकारी कार्यक्रम और सरकारी श्रद्धांजलि नहीं मानी जायेगी, सदन की श्रद्धांजलि नहीं मानी जायेगी इसलिए मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वे एक कार्यक्रम की घोषणा जरूर कर दें जब अपना जवाब दें। मुझे याद है जितने दिन में सदन में रहा जब-जब बजट पेश हुआ देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों के बारे में जरूर कुछ कहा गया। मैं आभारी हूं नेता प्रतिपक्ष के प्रति कि लोकतंत्र सेनानियों के बारे में कुछ कहा, लेकिन उन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा, क्या यह समाज एक वर्ग का है, एक जाति का है ? इसमें भी राजनीति होगी ? लेकिन राजनीति की जा रही है, इसलिए यह बजट 'सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय' का नहीं रह गया है। मान्यवर, दूसरी बात यह कही गयी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, तो आपने दस प्रतिशत विकास दर की बात कही। देश में इतनी हिम्मत नहीं है, वह नौ प्रतिशत से ज्यादा हिम्मत नहीं कर पा रहा है और आप कहते हैं कि दस प्रतिशत जबकि इस समय आप 5.1 प्रतिशत पर है। मान्यवर, आज हम इस बात से हम परेशान हैं कि अनुत्पादक खर्च दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसमें अंकुश लगायेंगे और उत्पादक खर्चों को बढ़ायेंगे, यह वाक्य इस बजट में नहीं है। लगता ही नहीं है कि यह बजट अर्थ शास्त्रियों द्वारा, वित्तीय विशेषज्ञों के द्वारा, वित्तीय जानकारों के द्वारा बनाया गया है ? लगता है कि बैठे-बैठे ड्राफ्ट कर दिया और बना दिया गया। कुछ चीजें पिछले अपने बजटों से ले लिया और उसको बढ़ा दिया। पर्यटन उद्योग शून्य है। औद्योगिक विकास की बात तो कही नहीं की गई है। पर्यटन उद्योग भी शून्य है। पर्यटन उद्योग आज सबसे बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है क्योंकि उससे आम आदमी लाभान्वित होता है। केवल होटल वाला नहीं लाभान्वित होता है, रिक्शा वाला, खोंचा वाला, ठेला वाला, ढाबे वाला, कुली यह सब सारे ज्यादा लाभान्वित होते हैं। आज अमरनाथ जी की यात्रा पर विघ्न पड़ा है सोंचिये हजारों हजार घोड़े वालों के भविष्य, पूरे साल वह क्या खायेंगे यह है। पर्यटन से छोटा व्यक्ति ज्यादा लाभान्वित हो रहा है। पर्यटन ही गायब, गरीबों का

बजट। रोजगार देंगे पर्यटन उद्योग जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार होता है, उस पर मौन, शून्य। बड़े औद्योगिक विकास और बढ़े निवेश के बिना विकास का ऊंचा प्रतिशत नहीं प्राप्त किया जा सकता है। औद्योगिक विकास भी नहीं, बड़े निवेश को आकर्षित करने की योजना भी नहीं, पर्यटन उद्योग की बात भी नहीं। पीछे जिन पर मौन रहा उसकी भी बात मैंने कहा। किसी 10 प्रतिशत का विकास लक्ष्य प्राप्त करने की एक विश्वसनीय सुनिश्चित समयबद्ध कार्ययोजना का पूर्ण अभाव, 10 परसेण्ट लक्ष्य, लेकिन मैं उस पर अधिक नहीं बोलूंगा क्योंकि यह अगले बजट में बोलने का है कि आप कितना प्राप्त करते हैं। आप जितना चाहें लक्ष्य प्राप्त कर लें लेकिन अनुत्पादक खर्चों को काटे बगैर, बड़े औद्योगिक विकास किये बगैर, बड़ी पूंजी को आकर्षित किये बगैर मान्यवर, आप केवल राष्ट्रीय रोजगार योजना जैसे नाम बदल के सड़क बना करके और इस तरह के कार्य करके लोगों को रोजगार नहीं, मजदूरी देते हैं। मजदूरी से 10 प्रतिशत का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। चाहे एक करोड़ को दे दो, चाहे दो करोड़ को दे दो, चाहे पांच करोड़ को दे दो। मजदूरी दे करके आप 10 प्रतिशत का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि 10 प्रतिशत का लक्ष्य विश्वसनीय बनायें इसके लिए कोई कार्य-योजना इसी चर्चा के दौरान शसन की तरफ से आ जाये। अनुत्पादक खर्चों को कटौती में अंकुश लगाने की कोई कार्य-योजना आ जाये तो कुछ विश्वास हो।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय ओम प्रकाश जी, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, विकास दर में मैं एक बात जरूर, मूलभूत बात कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था और अर्थविशेषज्ञ इस बात से चिन्तित है बार-बार आता है कि 20 प्रतिशत लोग विकास का 80 प्रतिशत हिस्सा पा रहे हैं, पैसा उन्हीं के यहां एकत्रित हो रहा है। प्रदेश में भी डेढ़-दो करोड़ लोग ही विकास का 80 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं। 80 प्रतिशत लोग 20 प्रतिशत विकास का हिस्सा पा रहे हैं। इसका संतुलन बिना बनाये आप समतामूलक समाज नहीं बना सकते, इसलिए यह जो विषमता है, बड़ी पूंजी बड़े निवेश जो बिना विकास दर नहीं प्राप्त कर सकते और विकास दर प्राप्त करने में यह विषमता पैदा हो रही है, देश के 15-20 करोड़ लोगों के पास 80 प्रतिशत विकास की पूंजी इकट्ठी हो रही है, देश विकसित हो रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि आप भी विकास का आंकलन चूंकि आप गरीबों के नाम पर आये हैं, गरीब समाज के उत्थान के लिए आये हैं। पूरे बजट में गरीबों की बात ही विशेष रूप से अम्बेडकर ग्राम और अनुसूचित जाति की बात कही गई है। आप जी0डी0पी0 को विकास का आधार मत मानिये। गरीब समाज के पास, गरीब व्यक्ति के पास कितनी पूंजी जाती है, वह विकास के मूलयांकन का आधार होना चाहिए। यह पूरा औसत नहीं। औसत तो 20 प्रतिशत लोगों के पास 80 प्रतिशत पूंजी जा रही है। पूंजीपति विकसित हो जायेंगे लेकिन गरीब, गरीब ही रह जायेगा। इसलिए आज की विकास दर की जो पद्धति है उसमें विषमता भी बढ़ रही है।

मान्यवर, कानून व्यवस्था की बात बड़े धूम-धाम से कही गई। क्या अपराधीकरण और थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप के रहते अपराध पर नियंत्रण होगा क्या ? जातीय आधार पर थानों में पोस्टिंग

के आधार पर क्या अपराधियों का वर्गीकरण भी जातीय आधार पर नहीं होगा। यह प्रदेश भुगता है। आप तो इससे बचाओ आप भी उसी जाति के आधार पर कह रहे हो 30 योग्यता के आधार पर तो किसी के साथ भेद-भाव नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन योग्यता के आधार पर होना चाहिए। राजनैतिक हस्तक्षेप पोस्टिंग के ऊपर या किसी कार्यवाही में बंद नहीं होगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पायेंगे। यह आज प्रदेश देख रहा है। आज सत्ता बदली है थानों के आस पास यह बात कही जाती है कि दलालों का प्रवेश वर्जित है। लेकिन वास्तविकता क्या है दलालों के चेहरे केवल बदल गये हैं और कुछ नहीं बदला है व्यवस्था वहीं है। (भारतीय जनता पार्टी दल की ओर से मेजों की थपथपाहट) आप उन चेहरों को रोकें। थाने से अपराधियों का नियंत्रण हो। मैंने अपने यहां जनता से पूछा था कि क्या परिवर्तन आया है बताया हमारे कार्यकर्ताओं ने कि पहले लोग 9 बजे आते थे अब 7 बजे आ जाते हैं। आप अपराध रोकने के लिये काम करें। जो यह 180 करोड़ रुपये की बात है पुलिस आधुनिकीकरण के लिये यह पर्याप्त नहीं है। आप अधिक लक्ष्य बनायें। पांच साल की जो अवधि है उसमें कहें कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था का पूरी तरह से आधुनिकीकरण कर देंगे। आज भी मान्यवर, 303 जो प्रचलित राइफल है वह हटी नहीं है। वह राइफल हम बचपन में देखते थे इस उम्र में आ गये हैं तब भी देखते हैं। 1974 की विधानसभा में थे तब भी देखते थे और आज 2007 की विधान सभा के समय में भी देख रहे हैं। यह कैसा आधुनिकीरण है, कुछ तो आधुनिकीकरण करके दिखादये। बिना आधुनिकीकरण हुए अपराधों को रोकने में कठिनाई होगी।

आज आप आतंकवाद पर बिल्कुल मौन है। आपने कहा कि आतंकवाद, नक्सलवाद और आई0एस0आई0 पर नियंत्रण करने के लिये कड़े निर्देश दिये गये हैं। यह निर्देश हर सरकार देती है हर व्यक्ति देता है हर अधिकारी देता है। अगर कड़े नियंत्रण होते तो यह 34 जिलों में क्यों हो जाता। आप दिखावा न करें। बजट में जो आपने शब्दों का प्रयोग किया है। बात आतंकवाद को रोकने के लिये मात्र नहीं है। इससे लगता है कि आप आई0एस0आई0 को बढ़ावा देना चाहते हैं, नक्सलवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, बजट भाषण से सीधे इसकी बू आती है। कड़े निर्देश की जो बात है यह तो स्वाभाविक है। आप उसको रोकने के लिये काम कीजिये।

मान्यवर, इसी अपराधीकरण की बात का अवसर लेकर कहना चाहता हूं कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिये। हर नेता से पूछो तो कहेगा कि हमारे दल में अपराधी नहीं है। संसद में भी नेता कहते हैं कि मेरे दल में अपराधी नहीं हैं। तो अपराधी है कहां ? अगर सदन में अपराधी नहीं हैं संसद में अपराधी नहीं है और किसी पार्टी में अपराधी नहीं है तो नेताओं को इस बात की चिन्ता क्यों होती है ? इसका मतलब है कि तेरे में अपराधी हैं मेरे में नहीं हैं। मान्यवर, इस परिभाषा से तो राजनीति का अपराधीकरण नहीं रुकेगा। मैं चाहूंगा कि माननीया मुख्यमंत्री जी यह जो राजनीति में अपराधीकरण की बात है इसको अलग से परिभाषित कीजिये। हमारा दल उसका समर्थन करेगा। (भारतीय जनता पार्टी दल की ओर से मेजों की थपथपाहट)। राजनीति का अपराधीकरण रुकना चाहिये। अगर अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलना बंद नहीं होगा तब तक कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरने वाली नहीं है।

मान्यवर, कृषि की बात आयी है। इस देश की आबादी 2025 में कई गुना बढ़ जायेगी। हमारे यहां 600 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होना चाहिये वह अगर वर्षा ठीक हो गयी तो 400 लाख मीट्रिक टन के आस पास हो जाता है। अगर वर्षा कम हुई तो यह कम हो जाता है। इस तरह से खाद्यान्न का उत्पादन हमारे यहां स्थिर है। आज विकास के कारण से हमारी भूमि घट रही है और दूसरी तरफ खाने वाले रोज बढ़ रहे हैं। चौधरी साहब ने जनसंख्या पर नियंत्रण की कोई बात नहीं की है। खाने वाले बढ़ रहे हैं। और उत्पादन वाली भूमि घट रही है। हमें 2025 की जनसंख्या को लक्ष्य मानकर उत्पादन बढ़ाने की बात सोचनी होगी। आप तय करें कि पांच साल में प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन हमें इतना बढ़ाना है और इसके लिए इतने संसाधनों की हम व्यवस्था करेंगे। अन्यथा 2025 के आते-आते यह गंगा जमुना का मैदानी भाग प्रदेश के खाद्यान्न के मामले में अभावग्रस्त हो जायेगा। फिर बाहर से मंगवाकर अगली पीढ़ी के लिये प्रबन्ध करना होगा। इसलिए इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक समस्या पैदा हो गयी है। फसल है पलिया मार गया। यह रोग नहीं है। जमीन के अंदर दशमलव .8 प्रतिशत जीवांशु होने चाहिये। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह दशमलव 4 और दशमलव 2 के बीच पहुंच गया है। जिस खेत में दशमलव 2 या उसके नीचे का जीवांश होता है उसमें लहलहाती फसल होगी, बाली होगी लेकिन दाना नहीं होगा। यह जीवांश होना चाहिए। यह कृषि विभाग को भी नहीं पता है बहुत थोड़े लोगों को पता है। इसलिए इस समस्या का समाधान कृषि विभाग को खोजना चाहिए। बजट में इसकी व्यवस्था नहीं है, होनी चाहिए। सिंचाई केवल 55 प्रतिशित है जमीन की, कोई लक्ष्य नहीं है टेल तक पानी पहुंचाना, सब कहते हैं, यह कोई समस्या नहीं है। मुख्य समस्या यह है कि 55 प्रतिशत सिंचाई प्रदेश की, बुन्देलखण्ड की केवल 34 प्रतिशत सिंचाई है। लक्ष्य बनाइये प्रतिवर्ष का कि इतना क्षेत्र अवश्य सिंचित करने का लक्ष्य हमारा हो। यह 14 नलकूपों से लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इससे अच्छा यह 14 शब्द न देते। दीर्घकालीन सिंचाई योजना देने के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित कीजिए। 2025 तक जितने सिंचाई के साधन चाहिए, शतप्रतिशत भूमि की सिंचाई हो जाय इसके लिए 5 साल है।

मान्यवर, शिक्षा के बारे में कुछ बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। शिक्षा में आपने कहा कि इतने स्कूल कालेज खोल देंगे, बिल्डिंग खोल देंगे। भवन की समस्या स्कूलों की समस्या नहीं है, ज्ञान का श्रोत सूख रहा है। प्राइमरी स्कूलों से जो व्यक्ति अपने बच्चे की फीस दे सकता है वह दूसरे स्कूलों में नर्सरी में पढ़ाता है। गरीब जिससे आप वायदा करते हैं उसका बच्चा जाता है इसमें, अगर इण्टरमीडिएट के बाद एप्लीकेशन लिखना नहीं जानता सरकारी स्कूलों का पढ़ा बच्चा तो उसको आप आगे क्या बनायेंगे ? श्रीमन् ज्ञान का श्रोत सूख रहा है, गुणवत्ता लुप्त हो गयी है और आपके डेढ़ लाख प्राइमरी से लेकर इण्टरमीडिएट तक शिक्षकों के पद रिक्त है। इसके लिए एक शब्द भी बजट में नहीं कहा। इसीलिए मैंने कहा मूल समस्याओं पर आप संवेदनहीन हो, राष्ट्रय भावनाओं के प्रति आप संवेदनहीन हो, मूल समस्याओं के प्रति आप उदासीन हो। इसलिए यह बजट एक सामान्य बजट है, संवेदनहीन बजट है, निराशा पैदा करने वाला बजट है। यह प्रदेश को एक सुनिश्चित समयबद्ध,

विकास के लक्ष्य तक पहुंचाने में असफल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा बजट है। मान्यवर, आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे वर्ष 2007-08 की अनुदानों पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता-

आप माननीय प्रमोद तिवारी जी जो नेता हैं, उनकी तरफ से बोल रहे हैं। तो आपका अपना यह समय है या नेता वाला समय है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं। मैं डिप्टी लीडर भी हूं।

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रखा गया बजट लोकलुभावन और वायदे सपने जरूर दिखाता है और ऐसा उम्मीद भी करता हूं कि यह सपनों को पूरा करने की कोशिश करेगा। परन्तु इन सरकारों को हम पहले भी देख चुके हैं और आज भी समाज की स्थिति वैसी ही पाते हैं जैसा कि पूर्व में रहा है। जो शोषित पीड़ित और गरीब जनता का मामला है बात करता हूं मलिन बस्तियों की। आप जाकर देखिये पूर्व में तमाम सरकारें रहीं, जब भी हम लोग गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि मलीन बस्तियों की हालत आज भी वैसी है। गरीब जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं आज भी हम उन बस्तियों की तरफ जाते हैं, प्रदेश में घूमते हैं तो उनके स्तर में कोई सुधार नहीं दिखता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जब पूर्ण बहुमत में सरकार आई है वह ग्रासरूट में जाकर यह देखेगी कि वास्तव में जो घोषणा किया है वह नीचे तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। या चंद कुछ लोगों तक ही वह लाभ सीमित होकर जा रहा है और उस गरीब जनता को वह लाभ मिल पा रहा है या नहीं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक विकास दर की बात की गयी है और 7.6 प्रशितात विकास दर जो पिछली बार रहा और इस बार 10 प्रतिशत विकास दर की बात कही गयी है, काफी बड़ा टारगेट लिया है इन लोगों ने, और इतना तो हमारी केन्द्र सरकार का भी टारगेट नहीं है। यह एक चैलेन्जिंग टास्क है, इसको आप कैसे पूरा करेंगे, यह देखने की बात है। क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस जी0डी0पी0 रेशियो में और उसे अनुपालन करने में देखना होगा, विचारना होगा और आपका सभी मंत्रिमण्डल और सभी अधिकारियों को जीतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मान्यवर, जहां तक मैं महसूस करता हूं, इस बजट को पढ़ने के बाद। कि कोई ज्यादा फर्क नहीं है पिछली सरकार की विकास योजनाओं में और आपकी विकास योजनाओं में, मैंने अहसास किया कि आपने अधिकतर में नाम बदल दिये हैं, पहले लोहिया जी का नाम होता था तो अब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आ गया है। तो यह सारी सड़क की परियोजना हो, चाहे दलित समाज की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परियोजना हो, चाहे कोई भी विकासोन्मुख परियोजना हो उसमें बजट में आगे-पीछे बढ़ाकर जो आपने काम किया है, मैं समझूंगा कि इसे डुप्लीकेसी आफ दि वर्ड कहा जा सकता है। इसके पीछे मैं महसूस करता हूं कि बजट को बनाने में कोई ज्यादा बड़े अर्थशास्त्रियों को न लगाते हुये जल्दी जल्दी में इस बजट को बनाया गया है। मान्यवर, जहां तक सवाल बिजली की कमी का है काफी जोर डाला गया, बिजली की व्यवस्था सुधारने के लिये और अलग-अलग फंड्स के एलोकेशन के लिये। अच्छा होता यह सरकार एक टाइमबांउड प्रोग्राम के अन्दर यह कहती कि हम यह दो बिजलीघर बनाकर प्रदेश की जनता को देंगे और उनसे प्रदेश में व्यापक सुधार होगा। मान्यवर, केन्द्र सरकार ने ए0पी0डी0आर0पी0 स्कीम के तहत प्रदेश सरकार को पैसा दिया। अभी भी काफी पैसा ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्दर पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देखें कि उस ए0पी0डी0आर0पी0 की योजना का, उस केन्द्र सरकार के पैसे का किस तरह दुरुपयोग हुआ है, बिजली विभाग के अधिकारियों ने शहरों के अन्दर लटकते हुये तार, जिनकी चपेट में आकर आये दिन मौतें होती हैं, उनमें कितना सुधार किया है। यह देखने की बात है कि कितना परिवर्तन उस केन्द्र सरकार के पैसे से आया। मैं चाहूंगा विद्युत मंत्री जी यहां बैठे हैं कि यह केन्द्र सरकार द्वारा लायी गयी योजनाओं को पूरे प्रदेश में ढंग से लागू करें। केन्द्र सरकार तो खुले मन से पैसा देने को तैयार रहती है परन्तु उस पैसे का इस्तेमाल और अनुपालन ढंग से पूरे प्रदेश में नहीं हो पाता, जिससे आम जनता को पूरा लाभ नहीं मिल पाता। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो राशन वितरण प्रणाली है यह बहुत गौरतलब बात है, ए0 पी0 एल0 और बी0 पी0 एल0 के राशनकार्डों की हम बात करते हैं, परन्तु हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में राशन कार्डों के दलाल भी हैं। बिलो पावर्टी लाइन गरीबी रेखा के नीचे के आप उन राशनकार्डों की जांच करवाइये, आप देखिये कि कितने निरीह गरीबों को यह राशनकार्ड मिल पाते हैं। डी0 एस0 ओज के आफिस में दलालों की भरमार है, वह दुकानदार अपने यहां उन गरीबों को, जिनकी एप्रोच नहीं है, जिनसे राशनकार्ड बनाने के लिये 200-300 रुपये लिये जाते हैं और राशन कार्ड भी उन दलालों के पास रहते हैं। चावल, गेहूं और चीनी ब्लैक मार्केट में बिक जाता है। वह गरीब गरीब ही रहता है, हम यहां बैठे हुये लोग कुछ भी नीतियां बना लें कितनी ही इस तरह की सोच रखे लें कि हम अपने यहां की इन अच्छी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचायेंगे, वह उन तक नहीं पहुंच पाती। मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि और माफियाओं पर तो वह हाथ डाल ही रही हैं, राशन माफियाओं पर भी हाथ डालें जिससे कि गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान की जो बात है वह उन लोगों तक पहुंच पाये। जहां तक खाद का प्रश्न है किसानों की हम लोग बात करते हैं। तो आप सब लोग यहां बैठे हैं, आप जानते हैं कि किसानों को खाद कितनी मुश्किल से मुहैया होता है, वह भी रेट के रेट सब ब्लैक मार्केट में बिक जाती है यह बहुत जबरदस्त समस्या है कि ब्लैकमार्केटिंग होती है खाद में और किसानों को खाद नहीं मिल पाती। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से, कि उस खाद के वितरण की व्यवस्था वह उसी सख्ती से करायें जिस तरह से मैंने आप लोगों से राशन की

व्यवस्था की बात की। नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की बात हर सरकार कहती है कि हम टेल तक पानी पहुंचायेंगे, हम नहरों को खुदवायेंगे लेकिन आप मैदान में जाकर देखिये नहरें भी नहीं खुदती, सिर्फ आई-वाश होता है। जो आगरा कैनाल है या दूसरी बड़ी कैनाल है कहीं सफाई नहीं हो पाती है और पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है किसानों में गोलियां चलती हैं और किसान मरहूम बना रह जाता है, फसल पैदा होने की बात तो दूर ही रह जाती है। जहां तक किसानों की बात है उनको उनकी लागत का वाजिब मूल्य मिलना चाहिये। हर सरकार वायदे करती है कि हम वाजिब मूल्य दिलायेंगे, इस बार भी इसी तरह के वायदे किये गये हैं।

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्युवल मिशन के अन्दर उत्तर प्रदेश के सात शहरों को शामिल किया है, यह शहर हैं आगरा, लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, मथुरा और मेरठ। अभी डेढ़ साल होने को है इस स्कीम को, इसमें पूरे भारत में 63 शहर चुने गये और उसमें से 7 शहर हमारे उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन इसमें कोई रुचि नहीं ली जा रही है। मैंने माननीय नगर विकास मंत्री जी से भी कहा है और मैं माननीया मुख्यमंत्री जी से भी आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इन सात शहरों के जीर्णोद्धार के लिये केन्द्र सरकार जब पैसा दे रही है तो उस तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है ? जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्युवल मिशन, जिससे उत्तर प्रदेश के सात शहरों की दशा और दिशा बदलने जा रही है, इसके लिये आपको अलग से एक सेल बनाना होगा, आई0 ए0 एस0 अधिकारी नियुक्त करने होंगे। मान्यवर, मथुरा में जहां नगर पालिका परिषद् है, आपको अलग से यूनिट्स बनानी होंगी। जब हम लोग केन्द्र सरकार के अधिकारियों से बात करते हैं तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश योजनाओं का पैसा लेने में पिछड़ जाता है। हम लोग उस स्पीड से काम नहीं करते, जिस स्पीड से हमें काम करना चाहिये। मान्यवर, जब केन्द्र सरकार खुले दिल से पैसा देने के लिये तैयार है इन सात शहरों के लिये तो हम चाहेंगे कि आप भी उसी खुले दिल से आयें और इन कम से कम सात शहरों के जीर्णोद्धार में भागीदारी सुनिश्चित करें।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पर्यटन के मामले में जब से उत्तराखण्ड अलग हुआ है, हम पिछड़ गये हैं। हमारे यहां सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है, कोई होटल लगाने आता है तो उसे 10 जगह रजिस्ट्रेशन के लिये जाना पड़ता है। मान्यवर, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बिजली का कनेक्शन लीजिये तो सुविधा शुल्क दीजिये, रजिस्ट्रेशन कराइये तो सुविधा शुल्क दीजिये तो बाहर से इन्टरप्रेन्योर आपके प्रदेश में क्यों आयेगा ? मान्यवर, पर्यटन को उद्योग का दर्जा जो पिछली सरकार ने दिया था उसका अनुपालन करते हुये इस उद्योग की ओर ध्यान दें। चाहे मथुरा हो, वाराणसी हो और भी तमाम रिलीजेज टूरिज्म के प्लेसेज हैं, उनको डेवलप करने के लिये जोड़ना होगा। प्रदेश सरकार की जेब में इतना पैसा न हो तो देशी-विदेशी कम्पनियों को बुलाकर टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी बैठे हैं उनका क्षेत्र छाताकोसी एक ऐसा बार्डर है जिसे हम नोयडा और ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र के रूप में विकसित कर सकते हैं, वहां बहुत स्कोप है इण्डस्ट्रीज का। दिल्ली और भारतवर्ष से तमाम लोग उत्तर प्रदेश के इस बार्डर पर इण्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं। मैं

माननीया मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस तरफ भी ध्यान दें और इस इलाके को नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरह विकसित करायें जिससे कि भगवान कृष्ण की धरती भी महसूस करे कि उस क्षेत्र का विकास हो गया है, वहां इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा सकता है। मान्यवर, रिलीजियस टूरिज्म और टूरिज्म की बात कर रहे हैं। आज का अमर उजाला है उसमें खबर आया है कि 'हवाई अड्डे के मामले में पिछड़ रहा है उत्तर भारत'। मान्यवर, हमें प्रस्ताव कर देने में क्या दिक्कत है यदि मथुरा और आगरा के बीच में एक नये हवाई अड्डे का प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी केन्द्र सरकार को भेज दें तो एक इण्टरनेशनल एअर-पोर्ट बन जाए तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, किसी के जेब से कोई खर्चा नहीं होने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस बात के लिये तवज्जों देंगी और मथुरा और आगरा के बीच में एक इण्टरनेशनल एअरपोर्ट बनाने के लिये जो पुरानी मांग चली आ रही है, उससे हमारे इण्टरनेशनल मानूमेण्ट ताजमहल को तवज्जो मिलेगी इण्टरनेशनल टूरिज्म के लेबिल पर। वहीं मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, नन्दगांव, बरसाना जैसे रिलीजियस टूरिज्म को भी हम अन्तर्राष्ट्रीय लेबिल पर तरजीह दे पायेंगे। इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे एअरपोर्टस भी डेवलप कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। जहां हम टूरिज्म की बात करते हैं जब इसके लिये आप और आपके अफसर लगेंगे तो मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार के दरवाजे, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दरवाजे, हमारी नेता सोनिया गांधी के दरवाजे खुले हुये है उत्तर प्रदेश के विकास के लिये। जितना ऐड आप चाहेंगे, वह प्रस्ताव बनाइये और हम सब लोग मिलकर इसमें मेहनत करेंगे। उत्तर प्रदेश में कई एअरपोर्ट होने चाहिये जिससे रिलीजियस टूरिज्म और टूरिज्म को बढ़ावा मिले। जहां तक इण्डस्ट्रीज का मामला है। हम बात करते हैं बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियल हाउसेज चलाने की, हम बात करते हैं अम्बानी की, नुसली वाडिया की, विजय माल्या की इन सबकी बात करते हैं। क्या आपने मिलकर देखा है कि स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज का क्या हाल है ? उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल एरिया का क्या हाल हो रहा है, सारी बीमार इकाईयां हैं। आपने कोई डाटा निकलवाया है कि उत्तर प्रदेश में इण्डस्ट्रीज की क्या हालत है ? बड़े-बड़े इण्डिस्ट्रलिस्ट को बुलाकर सेमिनार करवाते हैं, हम इण्टरनेशनल सेमिनार में जाते हैं और घूमते हैं लेकिन वास्तविक धरातल की भूमि पर आप देखें कि आज हमारे प्रदेश में इण्डस्ट्री की क्या हालत है ? मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, आप सब लोग अपने गिरेवान में झांककर देखें कि कौन सी इण्डस्ट्री जिन्दा है ? आज आप देखें जिला उद्योग केन्द्रों की क्या हालत है ? वे सिर्फ इण्डस्ट्री के रजिस्ट्रेशन और दलाली के अड्डे बन गये हैं। हर फाइल पर 3 हजार से लेकर 5 हजार और 10 हजार की रिश्वत मांगी जाती है जिला उद्योग केन्द्रों में, एस0 एस0 आई0 यूनिट के रजिस्ट्रेशन कराने के लिये। आपको रिहैबिलिटेशन पैकेज बनाने होंगे, आपको डायरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज, एस0 एस0 आई0 इण्डस्ट्रीज से सम्बन्धित जितने अधिकारी हैं उनको निर्देशित करना होगा कि जितनी भी रूग्ण इकाइयां है उनकी लिस्ट बनवाइये , कितनी इण्डस्ट्रियल एरियाज सिक हैं उनके पुनर्वास की बात करिये। आप पुरानी इण्डस्ट्रीज को छोड़ते चले जा रहे हैं। जो बीमार हैं उन्हें तो मरने दीजिये और आगे के लिये नये-नये बड़े पूंजीपतियों को पकड़ कर पैसे लगाने की बात करते हैं। यह कहां तक सही है। पुराने लोग जो हैं क्या हम लोग यह सोच सकते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मार दें। मान्यवर, इण्डस्ट्री

पालिसी के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होगा। जहां तक शिक्षा के ऊपर तवज्जो दी गयी है, आपके बजट में कहा गया है कि हम लोग बात करेंगे नये स्कूलों को खोलने के लिये, स्कूल खोलना बहुत जरूरी है। चाहे वह स्कूल प्राइमरी हो, जूनियर हाईस्कूल हो, इण्टर कालेजेज हों या टेक्निकल एजूकेशन हो या कोई भी इन्जीनियरिंग या मेडिकल कालेजेज हों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी शिक्षा रोजगारपरक होनी चाहिये। आज देखिये, मुझे तो यह डर है कि इतने इन्जीनियरिंग कालेजेज, मेडिकल कालेजेज, डेण्टल कालेजेज खुल गये हैं कि एक समय वह आयेगा जब एक इन्जीनियर एक अप्लीकेशन लेकर क्लर्क की पोस्ट के लिये जायेगा। दूसरी तरफ, एक तरफ तो इण्डस्ट्रीज में बढ़ावा नहीं देते हैं फैक्ट्रीज को लगने के लिये। दूसरी तरफ हम इन्जीनियर पैदा करते चले जा रहे हैं जब एक इन्जीनियर क्लर्क की पोस्ट के लिये अप्लीकेशन लेकर आयेगा तो कैसा महसूस होगा आपको, हम सबको। इतने प्राइवेट कालेजेज खुलते चले जा रहे हैं, इसके लिये भी हमें सोचना होगा। मुझे कहने में कतई आपत्ति नहीं है कि इन्जीनियरिंग, मेडिकल कालेज व डेन्टल कालेजेज जो भी खुल रहे हैं वह लोग भी एजुकेशन माफिया बन चुके हैं सिर्फ पैसा लगाने के लिये। आप पैसा देकर इंजीनियरिंग में मेडिकल में डेंटल में एडमीशन ले लीजिये 25 लाख 50 लाख रुपये में एडमीशन ले लीजिये चाहे आपके कितने ही प्रतिशत नम्बर आये हों कोई भी बैकग्राउण्ड क्यों न हो उसके बावजूद जब कोई इस तरह से पैसा देकर इंजीनियर और डाक्टर बनकर आयेगा तो उनके पास क्या टेक्निकल नालेज होगी वह तो पैसा देकर सिर्फ पेसा कमाने के चक्कर में लगा रहेगा। हमें इस तरफ ध्यान देना होगा। हमारी शिक्षा रोजगारपरक हो हमारी शिक्षा में क्वालिटी हो। हम जानते हैं हमारे क्षेत्र में तमाम ऐसे लड़कें हैं जो एम0 ए0, एम0 एस0 सी0 पास हैं लेकिन एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते है। ऐसे लोग कैसे ब्यूरोक्रेसी के सामने डिस्कसन कर सकते हैं, वह कहीं पार्टीसिपेट नहीं कर सकते है। इन सब पर कहीं पर भी बजट में चर्चा नहीं की गई। जहां तक ट्रांसपोर्ट का मामला है हम रोज देखते है हाइवे पर एक्सीडेंट होते रहते हैं कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन हाई वे पर एक्सीडेंट न हों। आर0 टी0 ओ0 ऐसी छकड़ा गाड़ियों को परमिट भी दे देते हैं। विदेश में कोई गाड़ी अगर खराब है तो उसकी सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं मिलती है। यहां पर छकड़ा बसें हाइवे पर चल रही हैं। यह बिना परमिट के चल रही हैं इसी वजह से रोज एक्सीडेंट हो रहे है। आपको शायद पता नहीं है लेकिन निचले स्तर पर यह कारगुजारियां होती हैं जिससे रोज एक्सीडेंट होते हैं और सैकड़ों लोग मरते है। बस अड्डों की क्या हालत है शर्म आती है इसके लिये आपको एक विशेष पैकेज रखना चाहिये था। आपने 100 बसें चला दी लेकिन जहां पर यह बसें खड़ी होती हैं वहां पर बस अड्डों की हालत बहुत खराब है। इन सबको ठीक करने का चैलेंज है। आप लोग मेजारिटी में आये हैं आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी बात को कहने और उसका अनुपालन करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। कथनी को करनी में बदलकर दिखाइये।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

इस मामले में मैं आपके साथ हूं। प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम विश्वास और सहयोग के साथ आपके साथ हैं। केन्द्र सरकार से आप मदद लेने के लिये कहेंगे तो हम और हमारे नेता और हमारी पार्टी के सभी एम0 एल0 ए0 आपके साथ हैं किसी भी परियोजना को लेकर चलिये। आप प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर लाइये। धन्यवाद।

*डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने के लिये अवसर दिया। बजट के सम्बन्ध में मैं कुछ बातों की तरफ आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, लोकतंत्र में किसी भी सरकार और किसी भी व्यवस्था को चलाने का उद्देश्य आम जनता तक पहुंचना होता है। महात्मा गांधी के सपनों के अनुसार समाज में जो सबसे पीछे खड़ा हुआ आदमी है उसको हमारी नीतियों से क्या लाभ होता है सरकार की नीतियों से क्या लाभ होता है। उसको लाभ पहुंचाना हमारा उद्देश्य होना चाहिये। मान्यवर, आंकड़ों की कारीगरी तो खूबसूरत जाल है जिसमें सामान्य तौर पर हर बजट बनाने वाला अपनी कार्यकुशलता का इस्तेमाल करता है लेकिन कुछ चीजों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, मेरी चिन्ता के तीन-चार विषय है। वर्तमान में रोजगार सृजन की बात तो बहुत की जाती है और उसका उद्देश्य किसी भी योजना में ज्यादातर अकुशल श्रमिक से होता है। स्थिति यह है कि आज देहात के अन्दर भी अकुशल श्रमिक के लिये जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है मैं पूर्व के जिलों के बारे में तो ज्यादा आश्वस्त नहीं हूं लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर न्यूनतम वेतन से डेढ़ गुना वेतन आम तौर पर अकुशल श्रमिक भी पा रहे हैं। हमारी चिन्ता का विषय है शिक्षित बेरोजगार जो जानते कुछ नहीं हैं क्योंकि उनको टेक्निकल जानकारी नहीं है, कोई रोजगार परक शिक्षा उसको नहीं मिली लेकिन आज के समय में और व्यवस्था में शिक्षा के व्यवसायीकरण के चलते उसने हाई स्कूल, इन्टर और बी0 ए0 तो पास कर लिया। खेती की ओर वह इसलिये नहीं जाना चाहता क्योंकि खेती आज लाभ का सौदा नहीं रह गया। दूसरी जगह उसको कहीं नौकरी मिलने वाली नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में बजट में कोई चिन्ता नहीं प्रकट की गई है। इन लोगों के बारे में सोचना सरकार का दायित्व है। यह जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो सरकारी फैक्ट्रीज से निकलकर तैयार हो गये हैं इनके बारे में सरकार को चिन्ता अवश्य करनी चाहिये। एक और विसंगति की ओर मैं खास तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि यह जो भू-गर्भ जल का स्तर निरन्तर घटता जा रहा है जिससे सिंचाई और पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है इसके बारे में भी पूरे प्रदेश के लिये कोई नीति बनाई जानी चाहिये। यह भी सत्य है कि पूरे प्रदेश के अन्दर कुछ ब्लाक्स डार्क और कुछ ग्रे घोषित है। इनके लिये विशेष तौर से कोई कार्य योजना तैयार की जानी चाहिये। यह देखा गया है कि डार्क घोषित ब्लाक्स नहर के टेल पर उपस्थित है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा कहना है कि इसके लिये बजट के अन्दर या फिर अलग से कोई कार्य योजना का प्राविधान नहीं किया गया है। इस ओर भी मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि विशेष करके डार्क ब्लाक्स में भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने के लिये कोई विशेष कार्य योजना इस बजट के अन्दर होनी चाहिये। मान्यवर, आज के इस युग में टैक्निक दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है, अपडेट होती जा रही है। सैटेलाइट सर्वेक्षण जैसी सुविधा भी इस देश के अन्दर मौजूद है। आप किसी भी गांव या कस्बे का सर्वे कराकर, फोटो लेकर, एक समस्या को पिन प्वाइन्ट कर सकते हैं। मैं अपने क्षेत्र के अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं कि हमारे इलाके में बहुत सी विलुप्त नदियां हैं जिनको आज पुनर्जीवित किया जा सकता है। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर बड़े-बूढ़े बताते हैं कि तमसा नाम की एक नदी हुआ करती थी। 10-15 गांवों में उस नदी के अवशेष चिन्ह मौजूद हैं। पोखर और तालाब सेटेलाइट के माध्यम से सर्वे कराये जायं। विलुप्त नदियों के पुनर्जीवन पर धन व्यय करके कुछ कार्यवाही की जा सकती हैं। मैं सरकार की इस ओर तवज्जो चाहता हूं कि इसके लिये कोई कार्य योजना बनाने की कृपा करें।

मान्यवर, चिकित्सा के मामले में कहना चाहता हूं कि बजट में नये भवन, नये अस्पताल बनाने पर जोर दिया गया है। बजट में कहा गया है कि 100 बेड के अस्पताल बनाये जायेंगे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और नई बिल्डिंग बनाने से चिकित्सा की समस्या दूर नहीं हो जायेगी। बिल्डिंग से अस्पताल नहीं चल सकते, चिकित्सा नहीं की जा सकती। सूबे के अन्दर चिकित्सक और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है। संविदा पर डाक्टर्स रखने की बात की जाती है । आज मेडिकल ग्रेज्युएट बड़ी तादात में तैयार होकर निकल रहे हैं। उनको इन अस्पतालों में तैनात करके उनको रोजगार देकर उनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। पैरा मेडिकल स्टाफ बड़ी मात्रा में तैयार होकर निकल रहे हैं और ओवर-फ्लो हो रहे हैं। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगरा में 3/4 सेन्टर हैं जो रेडियोलोजिस्ट, ओ0 टी0 टैक्नीशियन और नर्सेज तैयार कर रहे हैं। स्टाफ नर्सेज तैयार कर रहे हैं लेकिन उस पैरा मेडिकल स्टाफ को डायजेस्ट करने वाला कोई भी हमारे जो सरकारी तंत्र हैं उसके अन्दर कोई सिस्टम नहीं बनाया गया जबकि पैरा मेडिकल स्टाफ और डाक्टर से ही किसी अस्पताल को चलाया जा सकता है। मैं इस मुद्दे की ओर आप लोगों का ध्यान दिलाते हुये यह रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि अस्पताल की बिल्डिंग बनाने के पहले उसके लिये जरूरी स्टाफ की व्यवस्था करना ज्यादा जरूरी है। शान्ति व्यवस्था के मसले में भी पुलिस को 180 करोड़ का बजट दिया गया है। उसके आधुनिकीकरण के लिये, लेकिन स्थिति यह है कि किसी भी थाने में चले जाइये सिपाहियों की, सब इन्सपेक्टर्स की ओर फोर्सेज की बहुत कमी है। मेरे जिले के कप्तान मुझे बता रहे थे कि आम पुलिस के मामले में यह माना जाता है कि यह जो रिजर्व फोर्स है इसमें कोई रिक्ति एक दिन भी नहीं रहनी चाहिये। लेकिन स्थिति यह है कि जो पुलिस लाइन फोर्स होता है, आर्म्स पुलिस है, रिजर्व पुलिस है उसमें भी हर जिले के अन्दर रिक्तियां हैं और थानों के अन्दर तो स्थिति इतनी

खराब है कि बहुत से जो छोटे थाने हैं। हमारे जिले के जो छोटे थाने हैं उनमें बामुश्किल तीन चार सिपाही एक समय में मौजूद रहते हैं। बाकी एक सिपाही डाक लेकर चला गया, एक पोस्टमार्टम में चला गया। पता लगा वहां तीन-चार सिपाही मौजूद है। जिन पर प्रदेश की एक-डेढ़ लाख की जनता का भार रहता है। मैं समझता हूं कि आधुनिकीकरण में सबसे पहले जो पुलिस बल है उसकी संख्या मानक के अनुरूप किये जाने पर जोर दिया जाना ज्यादा जरूरी है जिसके बारे में बजट में सरकार ने चुप्पी साध रखी है। महोदय, एक ओर सरकार के रेवेन्यू से जुड़ा सवाल है और सूबे के हित का भी। हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर जहां तक मेरी जानकारी है नये वाहन पर रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वह उसके मूल्य का लगभग पांच फीसदी है। जबकि हमारे पास के जो सूबे हैं जैसे हरियाणा है उसमें नये वाहन के रजिस्ट्रेशन का ढाई प्रतिशत पर या तीन प्रतिशत पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर उनसे बारगेन करें तो एक फीसदी पर भी हो जाता है और इसकी वजह से जो हमारे बार्डर के जिले हैं सहारनपुर से लेकर के मथुरा, आगरा तक के, उनके आधे से जयादा वाहनों के रजिस्ट्रेशन हरियाणा में किये जा रहे हैं जिससे प्रदेश की सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। मेरा अपना मानना यह है कि हम अपने साथी राज्य के बराबर टैक्स कर देंगे तो हमारे राजस्व की हानि भी नहीं होगी और हमारे वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी हमारे सूबे में होने लगेगा। मुझे यह बड़ा ताज्जुब है कि सरकार में इतने विचारशील लोगों के रहते हुये भी इस मुद्दे पर बजट में एक शब्द भी नहीं आया। मान्यवर, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुये एक चीज की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सहकारी ऋणों पर नाबार्ड के निर्देशों के मुताबिक यह सरकार का जवाब भी है, एक तारांकित प्रश्न के जवाब में, कि नाबार्ड के निर्देश के मुताबिक सन् 2004 से जो लघु और सीमान्त कृषक हैं उनके लिये एक मुश्त समाधान योजना जारी है और हकीकत यह है कि आम किसान को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है तो मैं सरकार से यह उम्मीद करता हूं कि उनको बजट में इस चीज को लाना चाहिये था। बहुत व्यापक जनहित की बात है। किसान हित की बात है और इस चीज को सुनिश्चित किया जाय कि जब हर चीज का टारगेट दिया जा सकता है तो आपके जो सरकारी कर्मी हैं उनको यह टारगेट दिया जाय कि सबसे पहले तो उनसे यह पूछा जाय कि आपके इस सहकारी समिति के क्षेत्र में कितने लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं और उसके सापेक्ष उनको एक टारगेट दिया जाय कि इस समयसीमा के अन्दर आपको कम से कम 80 फीसदी लोगों को लाभान्वित कराना है। मैं समझता हूं कि इस बजट में, इस बात का सरकार को जिक्र करना चाहिये था इसी तरह से बड़ी विसंगतियां हैं। अभी भूमि विकास बैंक पर एकमुश्त समाधान योजना थी, ऋण में कुछ माफी वगैरह दी गई थी और उसकी समय सीमा रखी गई थी, 31 मार्च। मैं समझता हूं कि सदन के अन्दर 80 फीसदी किसान या किसान परिवारों से ताल्लुक रखने वाले, उनकी नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। मान्यवर, 31 मार्च तक किसी भी किसान के पास पैसा नहीं होता है, उस समय किसान की जेब का सारा पैसा खेत में बिखरा हुआ होता है, आवक अप्रैल, मई से शुरू होती है। इसलिए

इस वर्ष के लिए मैं चाहूंगा कि इसे अगस्त-सितम्बर के लिए कर दिया जाए तो किसान उसका बेहतर लाभ उठा पायेंगे। मान्यवर, भूमि विकास बैंक से जो किसानों को कृषि उपकरण, ट्रैक्टर आदि दिया जाता है, मैं भूमि विकास बैंक के अन्दर जो भ्रष्टाचार है, उसकी बात नहीं कह रहा हूं। भ्रष्टाचार की जो हालत है, जो पैसा दिया जाता है, दलाल उस पर 30 प्रतिशत तक कमीशन काट लेते हैं। 18 फीसदी की ब्याज दर पर किसान को ट्रैक्टर, हैरो, ट्राली आदि के लिए ऋण दिया जाता है। मान्यवर, कार खरीदने जायें तो यह ब्याज दर 9 फीसदी है। इतनी बड़ी विसंगति है। सहकारी बैंक का बजट में जिक्र भी है कि इसकी जो दर होगी, वह 6 प्रतिशत होगी लेकिन भूमि विकास बैंक की जो दरें हैं, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। सरकार इसको सम्भाल सकती है और बजट में प्रावधान कर सकती है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भूमि विकास बैंक की जो ऊंची दरें हैं, उनको नीचे लाया जाए।

मान्यवर, बजट में गन्ने की अगेती वैराइटी के बीज पर किसानों को अनुदान दिए जाने के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अग्रिम वैराइटी पर कीमत अच्छी मिलती है। गन्ना सोसाइटी की पर्चियों पर बड़ी हेराफेरी होती है और किसानों का शोषण होता है। हम चाहते हैं कि आजकल कम्प्यूटर का जमाना है, अगर गन्ना सोसाइटी पर कम्प्यूटरीकरण कर दिया जाए तो किसान पर्चियों में हेराफेरी से बच सकता है। एक और बड़े मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, इस सूबे के अन्दर बहुत सी सड़कें मण्डी परिषद्, गन्ना विभाग अथवा जिला पंचायत द्वारा निर्मित की गई है लेकिन इस सूबे में सबसे खराब कहीं सड़कों को देखना है, तो यही है। उनके रख-रखाव, अनुरक्षण के लिए कहीं किसी भी बजट में प्राविधान नहीं किया गया है। यह बजट भी इस पर मौन है। हमारी इच्छा थी कि इन सड़कों के रख-रखाव के लिए भी कुछ प्राविधान किया जाए।

महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन गंग नहर और यमुना नहर है। ये वहां के किसानों के लिए लाइफ लाइन हैं लेकिन यह बड़ी शर्म की बात है कि इसका अधिकतर हिस्सा या तो दिल्ली को बेच दिया जाता है या हरियाणा इसको जबरदस्ती ले लेता है। अपने हिस्से के इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी कार्य-योजना का, किसी भी नीति का बजट में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है और यह तब है जब मुख्य मंत्री जी भी उसी इलाके से बिलांग करने वाली हैं। हम लोग उम्मीद करते थे कि इस बारे में वह जिक्र करेंगे लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है।

मान्यवर, शिक्षा के मसले पर भी कहना चाहते हैं कि नई बिल्डिंग बनाने, नए प्राइमरी, माध्यमिक स्कूल खोलने, रसोई बनाने का बड़ा ध्यान दिया जा रहा है लेकिन शिक्षक और छात्र का जो अनुपात, 1: 40 का होना चाहिए, उसकी स्थिति बड़ी भयावह है। कहीं-कहीं तो 200 छात्रों के ऊपर एक शिक्षक है।

मान्यवर, उन शिक्षकों में भी ज्यादातर दूसरे काम करते रहते हैं। जैसे अगर कहीं पर 3 शिक्षक हैं तो एक डलिया पकड़े होगा तो दूसरा लकड़ी की व्यवस्था देख रहा होगा और तीसरा छात्रों को कटोरा लेकर लाइन लगाने में लगा हुआ होता है। पढ़ाई के लिए कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं है। मेरा अनुरोध है कि इन शिक्षकों से शिक्षा का काम लिया जाए और शिक्षकों की जो रिक्तियां हैं उन्हें अविलम्ब पूरा किया जाए। जब तक हम बेसिक शिक्षा को नहीं सुधारेंगे तब तक आगे की शिक्षा की बात करना बेकार है। अभी बात आई कि हाई स्कूल, बी0ए0, एम0ए0 पास लड़के दरख्वास्त नहीं लिख सकते। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार ने चौधरी चरण सिंह नहर विकास योजना और चौधरी चरण सिंह राजकीय नलकूप योजना को समाप्त कर दिया है। मान्यवर, इस सरकार के आधे से ज्यादा मंत्रीगण चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में राजनीति का पाठ पढ़कर आगे बढ़े हैं।

मान्यवर, चौधरी साहब वह व्यक्ति थे जिन्होंने दलितों के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वह किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। मान्यवर, उन्होंने जमींदारी उन्मूलन एक्ट लागू किया जिससे जो जमीन निकलकर आई उनका पट्टा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिया। मान्यवर, उन्होंने चकबन्दी कानून लागू किया और जो सरप्लस जमीन निकलकर आई उसका पट्टा अनुसूचित जाति के लिए देकर उन्हें भूमि देने का काम किया। उन्हीं चौधरी साहब से जुड़ी दो ही योजनाएं थीं वह भी समाप्त कर दी हैं। इनमें से एक योजना जो नहर विकास योजना थी उसमें नहर के किनारे की सड़कें और पटरियां बनती थीं। आज भी गांवों में जाने का सीधा रास्ता इन्हीं पटरियों से जाता है। केवल राजनीतिक द्वेष और अपने राजनीतिक एजेण्डे के कारण नहर और बम्बों की पटरियों को बनाने की योजना समाप्त कर दी। मान्यवर, अल्पसंख्यकों के मदरसों में साइंस के लिए प्रोविजन किया गया है। लेकिन इसमें मेरा सुझाव है कि वहां पर साइंस के साथ-साथ उर्दू और हिन्दी को भी अनिवार्य विषय की तरह पढ़ाया जाए। मान्यवर, कृषि के बाद पशुपालन दूसरा मुख्य व्यवसाय है लेकिन इसके बारे में बजट में कोई जिक्र नहीं किया है कि पशुपालन के स्वरूप के लिए, इसको बढ़ाने के लिए बजट में क्या प्राविधान किया गया है। मान्यवर, स्थानीय निकायों की आबादी बढ़ी है। 20 हजार की आबादी में नगर पालिका होनी चाहिए लेकिन आज 50-60 हजार और एक-एक लाख की आबादी होने पर भी उस एरिया को टाउन एरिया घोषित रखा जाता है जिससे उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में परेशानी होती है। इसके बारे में बजट में कोई प्रविधान नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि यह संशोधन इसमें किया जाए कि जितने भी टाउन एरिया हैं और नोटिफाई हैं उनकी बेहतरी के लिए उनके विकास के लिए नए सिरे से उन्हें अधिसूचित किया जाए और इसके लिए बजट में प्राविधान किया जाए। इसके साथ ही मैं अपनी बात पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा माननीय नेता राष्ट्रीय परिवर्तन दल श्री धर्मपाल यादव डी0 पी0 यादव, माननीय नेता जनता दल (यूनाइटेड) श्री धनन्जय सिंह, माननीय नेता जनमोर्चा श्री धर्मपाल सिंह और माननीय नेता राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी श्री आर0 के0 चौधरी का नाम पुकारे जाने पर सभी अनुपस्थित थे।)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं नियम-51 ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 03 जुलाई, 2007 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इसमें पहली सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखीमपुर खीरी के ईसानगर, धौरहरा तथा मियांवेहड़ विकास-खण्डों में पूर्व में मण्डी परिषद् द्वारा अधोमानक निर्माण के फलस्वरूप सड़कों के जर्जर होने की स्थिति की जांच कराने तथा उसके पुनर्निमाण के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं, दूसरी सूचना चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी की प्रदेश के महाविद्यालयों में इण्टरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को समुचित प्रवेश न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वाकृत हुयीं, तीसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद-आजमगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत थाना-कोतवाली से धीरज नाम के लड़के के अपहरण विषयक मुकदमें पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न कर अंतिम रिपोर्ट लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं, चौथी सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की जनपद-संतकबीरनगर और गोरखपुर से होकर बहने वाली आमी नदी के जल के प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं, पांचवीं सूचना डा0 अनिल चौधरी की जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ कस्बे में प्रशासनिक मण्डी व पुलिस अधिकारियों द्वारा गल्ला व्यवसायी की दुकान को कथित रूप से राजनैतिक दबाववश सील करने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं, छठीं सूचना हाजी जमीरउल्ला खाँ की जनपद-अलीगढ़ के अलीगढ़ शहर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जलभराव की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं, सातवीं सूचना श्रीमती कृष्णा राज की जनपद-लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मोहम्मदी-गोला-शाहजहांपुर के अधूरे व जीर्ण-शीर्ण मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं, आठवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु प्रदत्त धनराशि का समुचित एवं शीघ्र सदुपयोग न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयीं, नवीं सूचना श्री शिव शंकर चौहान की जनपद-बलिया

के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बांसडीह में बी0पी0एल0 सर्वे सूची में की गयी व्यापक धांधली के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयीं, दसवीं सूचना श्री इमरान मसूद की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कतिपय जनपदों के 38 मार्गों पर प्राइवेट बसों की बंदी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयीं, ग्यारहवीं सूचना श्री राम सागर अकेला की जनपद-बलरामपुर, गोण्डा में बंद जिला सहकारी बैंक से जमाकर्ताओं का धन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयीं, बारहवीं सूचना श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र की सी0एम0ओ0 आजमगढ़ के कार्यालय में व्याप्त लूट-खसोट व भ्रष्टाचार के उत्तरदायी को तत्काल अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने तथा आवश्यक जांच कराने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं। श्री मदन चौहान, डा0 आर0ए0 उस्मानी, डा0 पी0के0 राय, श्री विजय बहादुर यादव, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सनातन, श्री ओ0पी0 सिंह, श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री राम बिशुन आजाद, श्री सुन्दर सिंह, श्री अब्दुल वारिस खां, श्री दीनानाथ कुशवाहा, श्री उदयराज तथा श्री आलोक कुमार शाक्य।

जनपद झांसी स्थित उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की कताई मिल की बन्दी तथा कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं वेतन आदि अन्य बकायों का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वस्त्रोद्योग मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-17 स्थगित है।

जनपद सिद्धार्थनगर के मिसरौलिया थानाध्यक्ष द्वारा गणमान्य नागरिकों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री का वक्तव्य

* वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

माननीय सदस्य की दी गई सूचना के सम्बन्ध में.....

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री जगदीश नारायण राय-

[पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर से जांच करायी गयी। प्राप्त जांच आख्या के अनुसार श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री मंसू साकिन नवेला थाना मिसरौलिया ने बताया कि दिनांक 25-06-2007 को किराये पर टैक्सी लेकर अपने ग्राम नवेला से गेहूं लोड कर खड़न्जा से आ रहा था, टेम्पों खड़न्जा से नीचे उतर गया कि प्रधान पति जगराम केवट पुत्र श्री मुंशी व उनके लड़के कमलेश आकर गाली गुप्ता देने लगे कि अब इस गांव में गाड़ी लेकर मत आना। मैंने कहा कि क्या गांव में कोई गाड़ी नहीं ला सकता। इस पर उन्होंने ढकेल दिया और अपमानित किये। इससे पहले प्रधान पति अपनी सीनाजोरी से मेरे भाई दलसिंगार को भी मार चुके हैं। इस बारे में शिकायत लेकर थाना पर आया, इसके पीछे प्रधान पति जगराम भी थाने आये। एस0 ओ0 साहब मुझे व जगराम की शिकायत सुन रहे थे कि क्षेत्रीय लोग थाने पर आ गये। मुझे व प्रधान पति जगराम को समझाये कि गांव की बात है आप लोग आपस में सुलह कर लें जिस पर हम दोनों में सुलह हुआ तथा सुलहनामा एस0 ओ0 साहब को दिया गया। एस0 ओ0 साहब हम लोगों को भविष्य में झगड़ा न करने की हिदायत देकर छोड़ दिये थे। एस0 ओ0 साहब द्वारा न तो मुझे और न ही प्रधान पति श्री जगराम को गाली गुप्ता दिया गया और न तो थाने में बन्द किया गया और न तो रुपया पैसे की लेन देन की बात की गयी।

श्री जगराम पुत्र श्री छब्बी निषाद जो ग्राम सभा नेवल के प्रधान पति हैं उन्हें बयान हेतु बुलाया गया परन्तु वो नहीं आये तथा माननीय विधायक जी श्री माता प्रसाद पाण्डेय विधान सभा क्षेत्र इटवा से सम्पर्क किये। लगातार प्रयासों के बाद सूचना मिलने पर भी वह उपस्थित नहीं हुआ।

श्री जयदीप दुबे थानाध्यक्ष मिसरौलिया ने बताया कि दिनांक 25-06-2007 को ग्राम नवेल के दिलीप कुमार गांव के प्रधान पति श्री जगराम निषाद के विरुद्ध जबानी थाने पर शिकायत किया कि खड़न्जा से गाड़ी नहीं ले जाने दे रहे हैं तथा गाली गुप्ता दे रहे हैं। चन्द समय बाद प्रधान पति थाने आये और दोनों पक्षों को बेन्च पर बैठा कर उन लोगों की बात सुन रहा था कि ग्राम नवेल व आस पास के तमाम लोग भी आ गये तथा गांव की छोटी बात बता कर दोनों पक्षों के बीच सुलहनामा करा दिये तत्पश्चात् मैंने दोनों पक्षों को सख्त हिदायत कर कि भविष्य में झगड़ा न करें अगर झगड़े की बात सामने आयी तो सख्त कार्यवाही की जायेगी। यही बात कह कर छोड़ दिया गया था।

पुलिस अधीक्षक द्वारा करायी गयी जांच से यह पाया गया कि ग्राम नवेला के प्रधान पति श्री जगराम के विरुद्ध पूर्व में थाना मिसरौलिया के अभिलेख में मु0 अ0 सं0-29/81

नोट :-] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

धारा-147/342/323/332 भा0दं0वि0 व मु0अ0सं0-53/82 धारा-457/380 भा0दं0वि0 का मुकदमा दर्ज है। राजनैतिक शरण में रह कर तथा दबंग होने के कारण सामान्य जनता पर दबाव रखते हैं तथा अपना वर्चस्व रखना चाहते हैं। थानाध्यक्ष मिसरौलिया के प्रति इस प्रकरण में लगाया गया आरोप असत्य व बेबुनियाद है।]

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने नियम-51 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में थाना मिसरौलिया में वहां के थानाध्यक्ष तमाम सम्मानित लोगों को पकड़ कर थाने में बैठाते हैं, हवालात में बन्द करते हैं, पीटते हैं, उसके बाद रुपया लेकर उन्हें छोड़ते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जिले को एक ऐसे एस0 पी0 मिले हुये हैं, जिनकी इच्छायें असीमित हैं। उन असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिये इन थानेदारों को बड़ा प्रयास करना पड़ता है। उसी का परिणाम है कि राजनैतिक दबाव में ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है जो हम लोगों से सम्बन्धित हैं। इसमें मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, हकीकत यह है कि यह जो उत्तर बनाया गया है, यह सरासर गलत है। इतना भाग इसमें सही है कि उसने मना किया था कि खड़न्जे पर न ले जाओ, इसके बाद उसे ही पीटा गया और वही थाने में गया, दूसरा पक्ष गया ही नहीं और उसे ही थाने में हवालात में बन्द कर दिया गया। हवालात में बन्द करने के बाद शाम को छोड़ा गया। उससे रुपया मांगा गया, वह भाग आया। मेरे नाम का इसमें जिक्र आया है कि उनसे सम्पर्क किया गया। मान्यवर, जब मैंने यहां नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दिया और उसकी कापी गई, तो उसे ढूढ़ा जाने लगा। भय के वश वह गांव को छोड़ कर भाग गया था। पूरे गांव में तलाशी ली जाने लगी, बारह,एक बजे रात को। मुझे लखनऊ में सूचना दी गई तो मैंने सी0 ओ0 से पूछा कि काहे को तलाशी करा रहे हो, गांव भर परेशान हैं, तो उन्होंने कहा, नहीं-नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसे ही है। मुझे बाद में पता चला कि उसे ढूढ़ कर यह कुछ लिखवाना चाहते थे। उसी सन्दर्भ में इन्होंने लिखा, सुलह करा लिया, मुझे कुछ भी नहीं कहना। मैं मान्यवर, उसकी एफीडेविट ले आया हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। यह उसकी नोटरी एफीडेविट है और उसके साथ थाने में एक दूसरा हमारा प्रधान बन्द था और उसका लिखा-पढ़ी हुई और लिखा पढ़ी में उसका 151 में चालान किया गया। उसने भी अपने एफीडेविट में यह स्वीकार किया है कि यह मेरे साथ हवालात में बन्द थे। मुझे जमानत के लिये भेजा गया, इन्हें हवालात में रखा गया। यह मैं दोनों एफीडेविट आपके पास भेज दे रहा हूं, आप माननीय मंत्री जी को दे दें। इसमें यह भी लिखा गया है कि इसका आपराधिक इतिहास है। मान्यवर, इसका आपराधिक इतिहास है ? मुझसे सम्पर्क किया गया, या वहां सुलहनामा कराया गया, इस सबकी जांच मेरा आग्रह है कि यहां मुख्यालय से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैं अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से मैं आपसे मांग करता हूं, मैं कोई दण्ड की बात नहीं करता हूं, मेरी एक ही मांग है कि यहां लखनऊ मुख्यालय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से किसी डी0 एस0 पी0 को भेज कर आप जांच करा लें। अगर मेरा आरोप असत्य होगा तो मैं इसके लिये खेद प्रकट करूंगा और अगर सत्य है तो उस दरोगा के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं दोनों एफीडेविट आपके पास भेज दे रहा हूं।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जो रिपोर्ट आई है, उसको माननीय मंत्री जी ने पढ़ कर आपको अवगत कराया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मैंने भी उस रिपोर्ट को पढ़ा है, उसमें सरासर असत्य है।

श्री लालजी वर्मा-

तो आप जो तथ्य लिखकर भिजवा देंगे, उसका परीक्षण करा लिया जायेगा।

जनपद कुशीनगर के नौरंगिया विधान सभा क्षेत्र तथा कतिपय अन्य चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का बकाया तथा गन्ना अन्तर मूल्य का कई वर्षों का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शम्भू चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में यह कहा गया है कि जनपद कुशीनगर के नौरंगिया विधान सभा क्षेत्र तथा जनपद महाराजगंज के किसानों का कतिपय चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य तथा अन्तर गन्ना मूल्य का कई वर्षों से भुगतान हेतु बकाया है, जिसका अविलम्ब भुगतान कराया जाये।

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद-कुशीनगर, महराजगंज एवं गोरखपुर के अन्तर्गत आने वाली चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2006-07 में पेरे गये गन्ने के सापेक्ष दिनांक 28-06-2007 को देय गन्ना मूल्य भुगतान तथा अवशेष की स्थिति निम्नवत् है :-

(धनराशि लाख रुपये में)

चीनी मिल का नाम	देय गन्ना मूल्य	भुगतान	अवशेष
जनपद-कुशीनगर			
खड्डा (निगम क्षेत्र)	2972.55	1335.00	1637.55

नोट :-[[यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चीनी मिल का नाम	देय गन्ना मूल्य	भुगतान	अवशेष
लक्ष्मीगंज (निगम क्षेत्र)	860.31	185.14	675.17
रामकोला (पी)	8938.29	7255.51	1682.78
कप्तानगंज	7106.01	5859.41	1446.60
जनपद-महराजगंज			
सिसवा बाजार	4227.24	2131.00	2096.24
गड़ौरा	6659.76	4063.16	2596.60

उपरोक्त चीनी मिलों में से निजी क्षेत्र की चीनी मिल कप्तानगंज पर वर्ष 2002-03 का परामर्शित गन्ना मूल्य एवं वास्तविक दिये गये गन्ना मूल्य के अन्तर की धनराशि रु0 822.53 लाख तथा वर्ष 2003-04 का गन्ना मूल्य रु0 433.00 लाख बकाया है। उक्त बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु चीनी मिल कप्तानगंज के विरुद्ध दिनांक 28-12-2006 को वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

पेराई सत्र 2006-07 के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु गन्ना आयुक्त स्तर से समय-समय पर उपरोक्त सभी मिलों को नोटिसें जारी करते हुये शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कड़े निर्देश दिये गये। इसी क्रम में गन्ना आयुक्त द्वारा चीनी मिलों के मालिकों/अध्यासियों की बैठक करके उनसे माहवार/सप्ताहवार शेड्यूल प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। जिन चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कोई प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की गयी और न ही कोई सप्ताहवार भुगतान शेड्यूल प्रस्तुत किया गया उन चीनी मिलों में सबसे खराब गन्ना मूल्य भुगतान करने वाली चीनी मिल गड़ौरा-महराजगंज के विरुद्ध दिनांक 26-06-2007 को वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया। चीनी मिलों के गन्ना मूल्य भुगतान की निरन्तर समीक्षा कर प्रशासकीय दबाव बनाते हुये भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है।]

जनपद शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की कमी से जन सामान्य को हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री सुरेश कुमार खन्ना, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 28-06-07 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि शाहजहांपुर का जिला अस्पताल जो वर्तमान में 100 शैय्या वाला है ...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[डाक्टरों के न होने से मरीजों को बड़ी कठिनाई होती है। बेचारे मरीज तथा तीमारदार पंजीकरण करवाते हैं और बड़े प्रशासनिक डाक्टरों से मिलकर लौट आते हैं। वर्तमान में इस अस्पताल में दो सर्जन (डाक्टर) के पद हैं, जो दोनों रिक्त हैं, दो आंखों का डाक्टर होना चाहिये, आंख का कोई डाक्टर नहीं है। एक ई0 एन0 टी0 सर्जन, एक स्किन स्पेशलिस्ट, एक बाल रोग विशेषज्ञ के पद खाली है, इसके अतिरिक्त 05 नर्सों की भी कमी है, 08 चतुर्थ श्रेणी के पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं। एक स्वीपर का भी पद खाली है तथा एक ई0 सी0 जी0 टेक्नीशियन का पद खाली है। स्टाफ के अभाव में मरीजों की न देखभाल हो पाती है, न ही इलाज हो पा रहा है। जनहित में अस्पताल के स्टाफ की पूर्ति आवश्यक है।

2-जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में कार्यरत चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ का विवरण :-

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	01	01	00
2	अधीक्षक/प्रभारी भण्डार	01	01	00
3	[illegible]नीशियन	02	01	01
4	चेर [illegible]शियन	01	01	00
5	बालरोग [illegible]विशेषज्ञ	02	01	01
6	रेडियोलाजिस्ट	02	04	00
7	पैथालाजिस्ट	02	02	00
8	स्किन विशेषज्ञ	01	00	01
9	कार्डियोलाजिस्ट	01	01	00
10	एनेस्थेटिस्ट	02	03	00
11	जनरल सर्जन	02	00	02
12	आर्थोपेडिक सर्जन	02	02	00

नोट :-[[illegible]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
13	ई0 एन0 टी0 सर्जन	01	00	01
14	नेत्र सर्जन	02	00	02
15	ई0 एम0 ओ0	04	04	00
16	वरिष्ठ डेण्टल सर्जन	01	01	00
17	वरिष्ठ सहायक	01	00	01
18	वरिष्ठ लिपिक	01	01	00
19	कनिष्ठ लिपिक	02	02	00
20	मैट्रन	01	01	00
21	सिस्टर	08	08	00
22	उपचारिका (स्टाफ नर्स)	22	17	05
23	प्रभारी अधिकारी फार्मे0	01	00	01
24	चीफ फार्मासिस्ट	06	03	03
25	फार्मासिस्ट	02	06	00
26	लैब टेक्नीशियन	02	02	00
27	एक्सरे टेक्नीशियन	01	01	00
28	ई0सी0जी0 टेक्नीशियन	01	00	01
29	डेण्टल हाइजेनिस्ट	01	00	01
30	आप्टोमेटिस्ट (नेत्र सहायक)	01	01	00
31	इलेक्ट्रीशियन	01	01	00
32	वाहन चालक	01	01	00
33	वार्ड व्याय	22	22	00
34	चपरासी	06	06	00
35	माली	02	02	00
36	भिस्ती	02	02	00
37	कहार	02	02	00
38	लैब अटेन्डेन्ट	01	01	00
39	टेलर	01	01	00
40	चौकीदार	06	05	01

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
41	धोबी	01	01	00
42	क्लीनर	01	01	00
43	कुक	02	02	00
44	चतुर्थ श्रेणी	00	01	00
45	स्वीपर	12	11	01

3-वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में शासनादेश संख्या-2733/चि-3-07-टी-1(99)/2007, दिनांक 29 जून, 2007 द्वारा 01 फिजीशियन (ई0एम0ओ0) एवं शासनादेश संख्या-2636/चि0-3-07-टी-1(107)/2007, दिनांक 30 जून, 2007 द्वारा 01 नेत्र सर्जन की तैनाती कर दी गयी है एवं शेष रिक्त पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती शीघ्र कर दी जायेगी। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0 लखनऊ को शासनादेश संख्या-2696/चि-3-2007-जी-165/2007 दिनांक 28 जून, 2007 द्वारा नर्स, ई0 जी0सी0 टेक्नीशियन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्वीपर के रिक्त पदो पर तैनाती के आदेश दिये जा चुके हैं।

प्रदेश में तात्कालिक रूप से चिकित्सकों की कमी को पूरा करने हेतु शासनादेश संख्या-2098/चि-3-07-4 नियुक्ति/06, दिनांक 25 मई, 2007 द्वारा 1400 चिकित्सकों एवं शासनादेश संख्या-1260/5-11-2007-एन (43)/2007, दिनांक 28 मई, 2007 द्वारा 930 स्टाफ नर्स तथा शासनादेश संख्या-1047/5-7-2007-आठ-11/06 टी0सी0 दिनांक 01 जून, 2007 द्वारा 642 फार्मासिस्ट को संविदा पर भरे जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0 लखनऊ को निर्देश दे दिये गये हैं। समूह "ग" एवं "घ" के बैकलाग के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

उक्त से यह स्पष्ट है कि जनपद शाहजहांपुर में अधिकांशतः चिकित्साधिकारी पैरा मेडिकल स्टाफ व अन्य कर्मी भरे हुये हैं। जैसे-जैसे चिकित्सक व अन्य कर्मी उपलब्ध होंगे आवश्यकतानुसार रिक्त पदों पर तैनाती कर दी जायेगी।]

जनपद इलाहाबाद के बारा क्षेत्रान्तर्गत नहरों में पानी की कमी से किसानों को हो रही गम्भीर कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

विधान सभा क्षेत्र-बारा जनपद इलाहाबाद के किसानों के खेतों को पानी टोन्स एवं बाघला नहर के प्रखण्ड के माध्यम से मिलता है ...

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[जिला स्तर पर अधिकारियों से बार-बार कहने पर भी नहरों को चलाया नहीं जा रहा है और इसके पीछे का कारण भी नहीं बतलाया जाता। इस बात से किसानों में आक्रोश तो व्याप्त ही है, नहरों का संचालन बन्द होने से न तो खेतों को पानी मिल पा रहा है और न ही जानवरों को। विधान सभा क्षेत्र का शंकरगढ़ विकास खण्ड पहाड़ी क्षेत्र तथा वाटर लेबल नीचा होने के कारण न तो हैण्ड पम्प कार्य कर रहे हैं और न ही कुआं में ही पानी बचा है। ऐसी स्थिति आने वाली है कि किसान भूख से तो बाद में मरेंगे, शायद प्यास से पहले। यह गम्भीर विषय है कि प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश के माध्यम से नहरों का संचालन बन्द रखने हेतु जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। शासन की मंशा किसानों के प्रति ठीक नहीं दिखती है।

वक्तव्य

विकास खण्ड बारा, जनपद इलाहाबाद में किसानों के खेतों को पानी टोन्स एवं बाघला नहर प्रखण्ड द्वारा दिया जाता है। बेलन मुख्य नहर, टोन्स पम्प नहर तथा यमुना पम्प नहर प्रणालियों की क्षमतावृद्धि एवं पुनरोद्धार के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु दि॰ 01-04-2007 से 30-06-2007 तक शासनादेश संख्या 1733/07-27-सिं-4-48 (डब्ल्यू/05, दिनांक 05-04-2007 द्वारा बन्द रखने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ दिये गये कि प्रश्नगत नहरों की क्षमतावृद्धि एवं पुनरोद्धार के अवशेष कार्य पूर्ण होने के तुरन्त बाद यदि पानी की आवश्यकता रहे तो नहरों को पुनः चला दिया जाये। अतः खरीफ 1415 के रोस्टर में भी उक्त बन्दी का अंकन कर दिया गया है। खरीफ 1415 के रोस्टर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है तथा विधान सभा सदस्य बारा के साथ-साथ अन्य जनप्रतिनिधियों को पत्रांक 316/टोन्स/आर-24, दिनांक 15-05-2007 द्वारा प्रेषित किया गया है। क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुये बारा विधान सभा में 101 तालाब यमुना पम्प नहर प्रणाली से तथा 33 तालाब टोन्स पम्प नहर से दिनांक 22-04-2007 से 02-06-2007 के बीच भरे गये। क्षेत्र की मांग पर जिलाधिकारी, इलाहाबाद के निर्देशानुसार यमुना पम्प नहर प्रणाली को दिनांक 28-06-2007 से चला दिया गया है। टोन्स पम्प नहर को दिनांक 30-06-2007 की मध्य रात्रि से चला दिया गया है।]

नोट :- [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धन कन्याओं के विवाह हेतु प्रदत्त धनराशि को बढ़ाये जाने तथा गरीबी के मानक के अन्तर्गत आने वाली अन्य जातियों की कन्याओं को भी लाभार्थी श्रेणी में रखे जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश सौरभ द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में माननीय विधायक जी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि शासन द्वारा निर्धन कन्याओं के विवाह में .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[शासकीय मदद का प्रावधान है। परन्तु गरीबी के मानक को मात्र गिनती की जातियों पर लागू किया गया है। मेरा मानना है कि इस शासकीय मदद को मात्र कुछ जातियों तक सीमित रखा जाना उचित नहीं है। निर्धन कन्याओं को वैवाहिक आर्थिक मदद की मात्रा और समय भी आपत्तिजनक प्रतीत होता है। आर्थिक मदद की मात्रा अत्यल्प है और उसमें आधा हिस्सा बाबूशाही की भेंट चढ़ जाता है और मदद भी विवाह सम्पन्न होने के बाद कभी-कभी सालों लग जाते हैं। इस राशि को आज की महंगाई को देखते हुये बढ़ाना आवश्यक प्रतीत होता है तथा विवाह पूर्व यह राशि मिलनी चाहिये।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1982 में शासनादेश संख्या-2418/86-1-82, दिनांक 27-7-1982 द्वारा अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी तथा उनके परिजनों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना लागू की गयी थी। शासनादेश संख्या-4321/26-3-97, दिनांक 9-9-1997 द्वारा अनुसूचित जनजातियों को भी उक्त योजना के अन्तर्गत सहायता अनुमन्य की गयी। वर्ष 2006 में प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-2896/26-3-2006, दिनांक 11-8-2006 द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पुत्रियों की शादी एवं उनके परिजनों के इलाज हेतु अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये लागू योजना के अनुसार उन्हीं शर्तों एवं दरों पर आर्थिक सहायता दिया जाना अनुमन्य किया गया। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या-3152/26-3-2006, दिनांक 8-9-2006 द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भी उनके पुत्रियों की शादी एवं उनके परिजनों के इलाज हेतु अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये लागू योजना के अनुसार उन्हीं शर्तों एवं दरों पर आर्थिक सहायता दिया जाना अनुमन्य किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पात्रता हेतु निर्धारित आय सीमा रु0 12000/- प्रति वर्ष को शासनादेश संख्या-1452/26-3-2005, दिनांक 23-5-2005 द्वारा संशोधित कर गरीबी रेखा का मानक निर्धारित किया गया। गरीबी रेखा का अर्थ ग्रामीण क्षेत्र में रु0 19,884/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्र में रु0 25,546/- प्रति परिवार वार्षिक आय सीमा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित निर्धन कन्याओं के विवाह हेतु शासकीय आर्थिक सहायता की योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों के लिये लागू है न कि मात्र कुछ ही जातियों तक सीमित है।

उक्त योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2586/26-3-97, दिनांक 6-6-1997 द्वारा निर्धन कन्याओं हेतु देय सहायता की धनराशि रु0 5000/- से बढ़ाकर रु0 10000/- कर दी गयी है जो वर्तमान में भी लागू है। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर उपलब्ध धनराशि के अनुसार लाभार्थियों को धनराशि की स्वीकृति जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष तथा जनपद के समस्त मा0 सांसदगण, मा0 विधायकगण अथवा उनके नामित प्रतिनिधि सदस्य होते हैं, के द्वारा प्रदान की जाती है। प्रदेश सरकार के संसाधनों के दृष्टिगत धनराशि के अभाव में जो पात्र आवेदन-पत्र स्वीकृति हेतु शेष रह जाते हैं, वित्तीय वर्ष के अन्त में उन पर अनुदान की अनुमन्यता समाप्त हो जाती है।

उक्त योजना के अन्तर्गत अनुदान हेतु ऐसे व्यक्तियों को सहायता दी जाती है जिन्होंने अपनी पुत्री की शादी तय कर दी हो एवं विवाह की तिथि निश्चित कर दी हो। प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-2896/26-3-2006, दिनांक 11-8-2006 द्वारा इस आशय की व्यवस्था कर दी गयी है कि आवेदक को शादी से पूर्व अथवा विलम्बतः शादी के दिवस तक अनुदान की धनराशि अवश्य उपलब्ध करा दी जाय। योजनान्तर्गत देय धनराशि की दर में वृद्धि किया जाना प्रदेश के आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत फिलहाल सम्भव नहीं है। वर्ष 2006-07 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी तथा उनके परिजनों के इलाज योजनान्तर्गत रु0 32.93 करोड़ की धनराशि वितरित कर 32197 शादी के तथा 2708 बीमारी के लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध करायी गयी तथा अनुसूचित जनजाति के 119 परिवारों को रु0 14.32 लाख की धनराशि व्यय करके लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2006-07 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य व अन्य पिछड़ वर्ग के पुत्रियों की शादी एवं उनके परिजनों के इलाज हेतु रु0 9.485 करोड़ का अनुदान वितरित किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में भी अनुसूचित जाति/जनजाति व सामान्य वर्ग के परिवारों की पुत्रियों व उनके परिजनों के इलाज हेतु वर्ष के प्रथम चार माह के लिये रु0 11.66 करोड़ की धनराशि आवंटित कर दी गयी है।]

जनपद सुल्तानपुर की मुसाफिरखाना तहसील के पूरे मातादीन पाण्डेय, पूरे सूबेदार व अन्य ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर जनपद सुल्तानपुर के ग्राम पंचायत दक्खिनगांव के अन्तर्गत राजस्व ग्राम निचोटी के पुरवे .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[जनपद सुल्तानपुर के ग्राम पंचायत दक्खिनगांव के अन्तर्गत ग्राम निचोटी के पुरवे यथा पूरेमातादीन पाण्डेय, पूरे सूबेदार, पूरे चन्दन, पूरे जोरई एवं पूरे महादेव का विद्युतीकरण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सप्लीमेण्टरी स्कीम में किया जाना स्वीकृत है। कार्यदायी संस्था मेसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन लि0 द्वारा उक्त ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। मेसर्स ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, नई दिल्ली द्वारा धन उपलब्ध होने पर उक्त ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जायेगा।]

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 16 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 3 जुलाई, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट :- [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये नत्थी 'क' पीछे पृष्ठ 36 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2007 के पहले मंगल के लिये निर्धारित श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-21 का संलग्नक

क्रमांक	नाम	पदनाम	तैनाती की तिथि
1	2	3	4
1	डा0 आर0 के0 सक्सेना	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	01-02-07
2	डा0 जी0 पी0 वर्मा	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	05-07-06
3	डा0 आर0 के0 सक्सेना	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	06-07-06
4	डा0 भरत सिंह	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	01-09-03
5	डा0 किरन श्रीवास्तव	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	28-08-06
6	श्री हरि नारायन गुप्ता	मुख्य खाद्य निरीक्षक	21-07-05
7	श्री के0 एल0 वर्मा	खाद्य निरीक्षक	26-07-04
8	श्री के0 के0 उपाध्याय	खाद्य निरीक्षक	24-07-04
9	श्री वी0 के0 पाण्डेय	खाद्य निरीक्षक	30-04-05
10	श्री के0 पी0 श्रीवास्तव	खाद्य निरीक्षक	अक्टूबर, 1997
11	श्री आर0 के0 अग्रहरि	खाद्य निरीक्षक	जून, 2000
12	श्री एम0 एल0 यादव	खाद्य निरीक्षक	23-06-05
13	श्री एस0 पी0 सिंह	खाद्य निरीक्षक	अगस्त, 2005
14	श्री वीरेन्द्र कुमार	औषधि निरीक्षक	मई, 2005
15	श्री परशुराम पाण्डेय	आशुलिपिक	13-07-06
16	श्री रामदास	चीफ फार्मासिस्ट	13-10-06
17	श्री संतोष कुमार	रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन	04-07-06
18	मो0 हनीफ	सेनेट्री सुपरवाइजर	01-01-89
19	श्री राममिलन	सेनेट्री सुपरवाइजर	03-04-89
20	श्री पी0 पी0 श्रीवास्तव	स्टोरकीपर	07-02-05
21	श्री राधेश्याम	वरिष्ठ सहायक	30-01-06

1	2	3	4
22	श्री वी0 पी0 श्रीवास्तव	वरिष्ठ लिपिक	01-08-89
23	श्री एन0 जे0 खान	वरिष्ठ लिपिक	07-04-01
24	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव	कनिष्ठ लिपिक/उर्दू अनुवादक	08-02-97
25	श्री के0 डी0 पी0 ओझा	कनिष्ठ लिपिक	08-08-96
26	श्री अब्दुल अजीज	कनिष्ठ लिपिक	01-03-95
27	मो0 अली	अर्दली	09-07-02

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 311 विधान सभा (587)-14-11-07-813 (कम्प्यूटर)।